

विनियोग लेखे

वर्ष 2015-16 के लिए

बिहार सरकार

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv-xvi
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	xvii-xix
क्रमांक तथा अनुदान/विनियोग का नाम	
1. कृषि विभाग	01-17
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	18-25
3. भवन निर्माण विभाग	26-42
4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	43-47
5. राज्यपाल सचिवालय	48-49
6. निर्वाचन विभाग	50-51
7. निगरानी विभाग	52-53
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	54-57
9. सहकारिता विभाग	58-62
10. ऊर्जा विभाग	63-67
11. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	68-70
12. वित्त विभाग	71-76
13. सूद भुगतान	77-79
14. ऋण अदायगियों	80-81
15. पेंशन	82-85
16. पंचायती राज विभाग	86-91
17. वाणिज्य-कर विभाग	92-93
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	94-99
19. पर्यावरण एवं वन विभाग	100-103
20. स्वास्थ्य विभाग	104-115
21. शिक्षा विभाग	116-133
22. गृह विभाग	134-145
23. उद्योग विभाग	146-151
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	152-154
25. सूचना प्रावैधिकी विभाग	155-158
26. श्रम संसाधन विभाग	159-165
27. विधि विभाग	166-168
28. उच्च न्यायालय	169-170
29. खान एवं भूतत्व विभाग	171-172

	पृष्ठ
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	173-175
31. संसदीय कार्य विभाग	176
32. विधानमंडल	177-179
33. सामान्य प्रशासन विभाग	180-184
34. बिहार लोक सेवा आयोग	185-186
35. योजना एवं विकास विभाग	187-193
36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	194-199
37. ग्रामीण कार्य विभाग	200-202
38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	203-205
39. आपदा प्रबंधन विभाग	206-218
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	219-224
41. पथ निर्माण विभाग	225-231
42. ग्रामीण विकास विभाग	232-240
43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	241-244
44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	245-250
45. गन्ना उद्योग विभाग	251-253
46. पर्यटन विभाग	254-256
47. परिवहन विभाग	257-259
48. नगर विकास एवं आवास विभाग	260-269
49. जल संसाधन विभाग	270-279
50. लघु जल संसाधन विभाग	280-284
51. समाज कल्याण विभाग	285-291
परिशिष्ट वर्ष 2015-16 के लेखों में व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियों का अनुदानवार विवरण	292-297

प्रस्तावना

वर्ष 2015-16 के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

टिप्पणी

इन लेखाओं में :

- “मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।
“अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।
“पुनर्वि०” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

उप-शीर्ष (अधिक/बचत) के चयन हेतु वहीं मानदण्ड अपनायी गयी है, जो अविभाजित बिहार राज्य हेतु महालेखाकार (ले० एवं हक०)-I, बिहार एवं झारखण्ड द्वारा विनियोग लेखे के तैयारी करने हेतु अपनायी जाती थी।

उप-शीर्ष (अधिक/बचत) के चयन हेतु मानदण्ड समान्यतया उपबन्ध के 10 प्रतिशत अथवा नीचे दिये गये तालिका में दर्शायी गयी राशि जो भी अधिक हो बिहार राज्य के विनियोग लेखे के टिप्पणी हेतु अपनायी गयी है-

क्रम सं०	बजट प्रावधान	बचत/अधिक व्यय
1.	₹ 5.00 करोड़ तक	₹ 5.00 लाख
2.	₹ 5.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 50.00 करोड़ से कम	₹ 10.00 लाख
3.	₹ 50.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 100.00 करोड़ से कम	₹ 15.00 लाख
4.	₹ 100.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 500.00 करोड़ से कम	₹ 20.00 लाख
5.	₹ 500.00 करोड़ से अधिक	₹ 25.00 लाख

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
1. कृषि विभाग दत्तमत	3,39,49,443	47,42,049	1,74,28,492	2,33,978
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दत्तमत	60,03,088	0	41,19,891	0
3. भवन निर्माण विभाग दत्तमत	56,71,261	2,98,53,671	45,98,410	1,63,82,303
4. मंत्रिमंडल सचिवालय दत्तमत	16,53,823	2,05,414	12,07,071	1,22,983
5. राज्यपाल सचिवालय प्रभारित	1,16,941	0	89,958	0
6. निर्वाचन विभाग दत्तमत	31,98,320	0	30,36,885	0
7. निगरानी विभाग दत्तमत	3,54,952	0	2,81,881	0
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग दत्तमत	13,06,306	3,500	6,85,866	3,500
9. सहकारिता विभाग दत्तमत	89,55,391	24,62,028	58,85,282	17,82,431
10. ऊर्जा विभाग दत्तमत	6,18,81,671	4,14,26,000	6,15,40,298	2,93,47,389
11. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दत्तमत	3,10,45,831	1,60,000	2,58,07,920	87,384

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

1,65,20,951	45,08,071	0	0
18,83,197	0	0	0
10,72,851	1,34,71,368	0	0
4,46,752	82,431	0	0
26,983	0	0	0
1,61,435	0	0	0
73,071	0	0	0
6,20,440	0	0	0
30,70,109	6,79,597	0	0
3,41,373	1,20,78,611	0	0
52,37,911	72,616	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			

12. वित्त विभाग				
दत्तमत	25,68,783	3,20,000	14,08,609	2,30,036
प्रभारित	49,18,605	0	49,18,540	0
13. सूद भुगतान				
प्रभारित	7,22,99,383	0	7,09,76,922	0
14. ऋण अदायगियाँ				
प्रभारित	0	4,16,37,706	0	4,12,48,506
15. पेंशन				
दत्तमत	13,17,66,663	0	11,82,93,691	0
प्रभारित	1,13,735	0	10,877	0
16. पंचायती राज विभाग				
दत्तमत	5,46,51,062	20,002	2,89,30,066	0
17. वाणिज्य-कर विभाग				
दत्तमत	13,12,460	0	9,02,201	0
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
दत्तमत	2,40,02,076	9,801	1,42,39,689	8,800
19. पर्यावरण एवं वन विभाग				
दत्तमत	32,22,002	2,42,651	27,36,442	1,49,342
20. स्वास्थ्य विभाग				
दत्तमत	4,49,60,292	1,65,86,346	3,53,19,724	1,07,90,319
21. शिक्षा विभाग				
दत्तमत	24,45,53,116	1,28,30,526	18,64,14,068	52,53,800
22. गृह विभाग				
दत्तमत	6,17,07,230	57,70,634	5,54,78,731	42,14,984

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

11,60,174	89,964	0	0
65	0	0	0
13,22,461	0	0	0
0	3,89,200	0	0
1,34,72,972	0	0	0
1,02,858	0	0	0
2,57,20,996	20,002	0	0
4,10,259	0	0	0
97,62,387	1,001	0	0
4,85,560	93,309	0	0
96,40,568	57,96,027	0	0
5,81,39,048	75,76,726	0	0
62,28,499	15,55,650	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			

23. उद्योग विभाग				
दत्तमत	1,37,47,872	1,12,340	98,43,677	1,03,340
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग				
दत्तमत	21,60,627	0	14,14,229	0
25. सूचना प्रावैधिकी विभाग				
दत्तमत	19,39,062	2,03,770	9,90,363	1,99,947
26. श्रम संसाधन विभाग				
दत्तमत	54,76,678	40,000	24,37,101	0
27. विधि विभाग				
दत्तमत	66,22,567	0	51,56,181	0
28. उच्च न्यायालय				
प्रभारित	13,74,811	0	9,99,535	0
29. खान एवं भूतत्व विभाग				
दत्तमत	2,02,189	0	1,27,886	0
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग				
दत्तमत	27,65,176	21,35,580	23,06,894	21,16,239
31. संसदीय कार्य विभाग				
दत्तमत	17,295	0	16,393	0
32. विधान मंडल				
दत्तमत	15,00,498	0	12,51,300	0
प्रभारित	11,538	0	7,670	0

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

39,04,195	9,000	0	0
7,46,398	0	0	0
9,48,699	3,823	0	0
30,39,577	40,000	0	0
14,66,386	0	0	0
3,75,276	0	0	0
74,303	0	0	0
4,58,282	19,341	0	0
902	0	0	0
2,49,198	0	0	0
3,868	0	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
33. सामान्य प्रशासन विभाग				
दत्तमत	54,47,168	0	36,32,238	0
प्रभारित	42,080	0	39,563	0
34. बिहार लोक सेवा आयोग				
प्रभारित	2,48,819	0	1,95,928	0
35. योजना एवं विकास विभाग				
दत्तमत	26,87,677	2,18,39,826	13,37,323	2,30,29,861
36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग				
दत्तमत	46,01,956	1,20,59,400	35,87,549	77,37,918
37. ग्रामीण कार्य विभाग				
दत्तमत	1,40,88,114	9,08,49,274	98,67,454	7,87,55,902
38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग				
दत्तमत	15,45,155	10,000	10,55,688	10,000
39. आपदा प्रबंधन विभाग				
दत्तमत	2,80,13,019	4,000	39,45,498	1,116
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग				
दत्तमत	72,80,443	3,75,652	48,96,765	2,22,107
41. पथ निर्माण विभाग				
दत्तमत	1,03,29,417	5,03,89,904	91,53,095	4,43,90,119
42. ग्रामीण विकास विभाग				
दत्तमत	7,08,24,488	24,34,050	3,52,84,083	1,00,532
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग				
दत्तमत	12,13,454	4,22,100	8,50,012	2,48,186

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

18,14,930	0	0	0
2,517	0	0	0
52,891	0	0	0
13,50,354	0	0	11,90,035 (11,90,034,806.00)
10,14,407	43,21,482	0	0
42,20,660	1,20,93,372	0	0
4,89,467	0	0	0
2,40,67,521	2,884	0	0
23,83,678	1,53,545	0	0
11,76,322	59,99,785	0	0
3,55,40,405	23,33,518	0	0
3,63,442	1,73,914	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग				
दत्तमत	1,91,80,215	10,000	1,55,65,227	10,000
45. गन्ना उद्योग विभाग				
दत्तमत	23,69,292	1,81,884	16,42,734	1,75,914
46. पर्यटन विभाग				
दत्तमत	3,24,026	6,71,047	2,98,864	3,77,464
47. परिवहन विभाग				
दत्तमत	5,81,498	32,05,091	4,10,808	32,05,091
48. नगर विकास एवं आवास विभाग				
दत्तमत	3,11,11,473	377,300	1,97,74,716	0
49. जल संसाधन विभाग				
दत्तमत	91,63,751	1,73,76,346	83,92,638	1,48,60,902
50. लघु जल संसाधन विभाग				
दत्तमत	69,41,579	32,26,680	33,41,946	20,05,298
51. समाज कल्याण विभाग				
दत्तमत	6,79,55,689	9,51,100	5,29,31,804	5,15,322
कुल दत्तमत :	1,04,08,54,148	32,15,07,966	76,78,27,683	24,66,72,507
कुल प्रभारित :	7,91,25,912	4,16,37,706	7,72,38,993	4,12,48,506
कुल जोड़ :	1,11,99,80,060	36,31,45,672	84,50,66,676	28,79,21,013

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			

36,14,988	0	0	0
7,26,558	5,970	0	0
25,162	2,93,583	0	0
1,70,690	0	0	0
1,13,36,757	377,300	0	0
7,71,113	25,15,444	0	0
35,99,633	12,21,382	0	0
1,50,23,885	4,35,778	0	0
27,30,26,465	7,60,25,494	0	11,90,035
18,86,919	3,89,200	0	0
27,49,13,384	7,64,14,694	0	11,90,035

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमशः

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान से अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है

संख्या एवं अनुदान/विनियोग का नाम

अनुभाग

35- योजना एवं विकास विभाग

पूँजी (दत्तमत)

विनियोग लेखे का सारांश- क्रमशः

विनियोग लेखे का सारांश में दिखाए गए व्यय में आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किए गए वैसे खर्च शामिल नहीं है जिनकी वर्ष के अंत तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई। व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :-

अनुदान /विनियोग संख्या	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम की राशि लेकिन जिन्हें वर्ष 2015-16 के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।
		(₹ हजार में)

शून्य

विनियोग लेखे का सारांश- क्रमांत

चूँकि अनुदान और विनियोग व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखों में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2015-16 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

दत्तमत		प्रभारित	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	76,78,27,683	24,66,72,507	7,72,38,993	4,12,48,506
---------------------------------	--------------	--------------	-------------	-------------

घटायें- कुल वसूलियाँ	89,07,169	8,00,018	154	0
----------------------	-----------	----------	-----	---

निम्न कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे खण्ड-I के विवरण II में दिखाया गया है।

ऊपर वर्णित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे इस वर्ष की प्राप्तियों और संचितियों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले० एवं हक०) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढाँचा है।

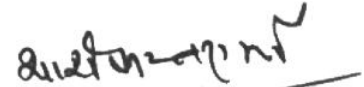
लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अर्थार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियाँ के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले बिहार सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक : 28 नवम्बर 2016

स्थान : नई दिल्ली


(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

**अनुदान संख्या - 1 - कृषि विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2401	फसल कृषि-कर्म			
2402	मृदा तथा जल संरक्षण			
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल		2,41,48,183	3,39,49,443	1,74,28,492
अनुपूरक		98,01,260		(-)1,65,20,951
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,59,01,273
8 जुलाई 2015		55,39,790		
23 नवम्बर 2015		9,908		
31 मार्च 2016		1,03,51,575		
पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय			
6401	फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज			
दत्तमत :				
मूल		41,84,200	47,42,049	2,33,978
अनुपूरक		5,57,849		(-)45,08,071
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				45,01,782
8 जुलाई 2015		38,19,084		
23 नवम्बर 2015		19,014		
24 नवम्बर 2015		2,30,620		
31 मार्च 2016		4,33,064		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 1,65,209.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 44,790.62 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 47,840.99 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 5,380.99 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 98,012.60 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,59,012.73 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,65,209.51 लाख) से ₹ 6,196.78 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2401 फसल कृषि-कर्म			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन	900.01	885.10	(-)14.91
मूल	1,181.64		
अनुपूरक	10.00		
पुनर्वि०	(-)291.63		
₹ 291.63 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 नई कार्य योजना का राज्यांश-कृषि विपणन	0.00	0.00	0.00
मूल	780.00		
पुनर्वि०	(-)780.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
102 खाद्यान्नों की फसलें			
योजना (राज्य योजना)			
0201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	3,495.10	3,165.27	(-)329.83
अनुपूरक	7,379.13		
पुनर्वि०	(-)3,884.03		
₹ 3,884.03 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की सम्पूर्ण निधि स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ।			
0301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2,860.06	2,550.42	(-)309.64
मूल	39.00		
अनुपूरक	5,304.13		
पुनर्वि०	(-)2,483.07		
प्रावधान में ₹ 2,483.07 लाख की हुई कमी, ₹ 2,036.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 4,519.07 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 4,519.07 लाख का प्रत्यर्पण योजना की सम्पूर्ण निधि स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 बीज			
(गैर-योजना)			
0001 बीज गुणन फार्म	1,364.28	1,325.92	(-)38.36
मूल	1,592.72		
पुनर्वि०	(-)228.44		
₹ 228.44 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना	(केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0417	गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00
	मूल	1,000.00		
	पुनर्वि०	(-)1,000.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0109	बीज गुणन फार्मों का विस्तार-खेती पर व्यय	10,843.68	10,766.48	(-)77.20
	मूल	15,251.69		
	अनुपूरक	2,721.94		
	पुनर्वि०	(-)7,129.95		
	₹ 7,129.95 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
105	खाद तथा उर्वरक			
	(गैर-योजना)			
0001	कम्पोस्ट खाद योजना	187.86	187.86	0.00
	मूल	274.43		
	पुनर्वि०	(-)86.57		
	₹ 86.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0106	जैविक खेती का उन्नयन	10,097.20	10,002.74	(-)94.46
	मूल	15,600.00		
	पुनर्वि०	(-)5,502.80		
	₹ 5,502.80 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0207	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	1,759.95	1,657.64	(-)102.31
	अनुपूरक	3,445.79		
	पुनर्वि०	(-)1,685.84		
	₹ 1,685.84 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0307	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	1,847.04	1,726.99	(-)120.05
	मूल	1,560.00		
	अनुपूरक	3,825.25		
	पुनर्वि०	(-)3,538.21		
	₹ 3,538.21 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
108 वाणिज्यिक फसल (गैर-योजना)			
0001 जूट विकास योजना	274.43	274.43	0.00
मूल	448.63		
पुनर्वि०	(-)174.20		
₹ 174.20 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0220 राष्ट्रीय तेलहन एवं पाम ऑयल मिशन	211.65	79.32	(-)132.33
अनुपूरक	211.65		
0320 राष्ट्रीय तेलहन एवं पाम ऑयल मिशन	191.29	67.29	(-)124.00
मूल	117.00		
अनुपूरक	74.29		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना	14,923.63	14,829.81	(-)93.82
मूल	23,094.94		
अनुपूरक	4.00		
पुनर्वि०	(-)8,175.31		
₹ 21.75 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 8,153.56 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	18,321.81	18,131.97	(-)189.84
मूल	8,970.00		
अनुपूरक	16,600.00		
पुनर्वि०	(-)7,248.19		
₹ 7,248.19 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0106 इन्टेंसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड सपोर्ट (नई योजना)	7,969.54	7,738.24	(-)231.30
मूल	10,757.24		
पुनर्वि०	(-)2,787.70		
₹ 2,787.70 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0114	एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य संपोषित योजना)	0.00	0.00	0.00
	मूल	4,756.44		
	अनुपूरक	310.00		
	पुनर्वि०	(-)5,066.44		
	₹ 5,066.44 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0216	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०) अतिरिक्त	9,891.00	9,891.00	0.00
	केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०)			
	अनुपूरक	18,917.36		
	पुनर्वि०	(-)9,026.36		
	₹ 9,026.36 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
0217	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	3,989.34	3,916.77	(-)72.57
	अनुपूरक	6,607.92		
	पुनर्वि०	(-)2,618.58		
	₹ 2,618.58 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0316	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)(ए०सी०ए०)	11,548.36	11,548.36	0.00
	मूल	18,283.38		
	पुनर्वि०	(-)6,735.02		
	₹ 6,735.02 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने तथा योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0317	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	4,456.91	4,451.76	(-)5.15
	मूल	3,510.00		
	अनुपूरक	2,738.35		
	पुनर्वि०	(-)1,791.44		
	₹ 1,791.44 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
113	कृषि अभियांत्रिकी			
योजना	(राज्य योजना)			
0105	प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	13,204.56	12,149.01	(-)1,055.55
	मूल	20,658.90		
	अनुपूरक	867.78		
	पुनर्वि०	(-)8,322.12		
	₹ 6,286.12 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । ₹ 2,036.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
119 बागवानी तथा वनस्पति फसलें (गैर-योजना)			
0001 उद्यान विकास योजना	1,145.87	1,135.70	(-)10.17
मूल	1,582.40		
पुनर्वि०	(-)436.53		
प्रावधान में ₹ 436.53 लाख की हुई कमी, ₹ 7.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 443.53 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि और कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 उद्यान विकास योजना	2,738.60	2,738.60	0.00
मूल	6,240.00		
पुनर्वि०	(-)3,501.40		
₹ 3,501.40 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ब्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0224 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1,162.00	1,162.00	0.00
अनुपूरक	3,026.18		
पुनर्वि०	(-)1,864.18		
₹ 1,864.18 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
0324 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1,029.26	1,029.26	0.00
मूल	1,092.00		
अनुपूरक	2,011.92		
पुनर्वि०	(-)2,074.66		
₹ 2,074.66 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0106 इन्टेसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट-नई योजना	1,290.29	1,283.70	(-)6.59
मूल	3,481.60		
पुनर्वि०	(-)2,191.31		
₹ 2,191.31 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ब्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम	1,763.52	1,762.72	(-)0.80
मूल	3,557.48		
अनुपूरक	524.72		
पुनर्वि०	(-)2,318.68		
₹ 2,318.68 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ब्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0120	प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	1,668.78	1,653.60	(-)15.18
	मूल	5,297.15		
	अनुपूरक	167.28		
	पुनर्वि०	(-)3,795.65		
	₹ 3,795.65 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0124	एग्रीकल्चर मार्केटिंग	0.00	0.00	0.00
	मूल	200.00		
	पुनर्वि०	(-)200.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
0125	बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	1,177.59	1,119.61	(-)57.98
	मूल	2,300.00		
	अनुपूरक	3,200.00		
	पुनर्वि०	(-)4,322.41		
	₹ 4,322.41 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0126	जैविक खेती का उन्नयन	1,833.10	1,830.09	(-)3.01
	मूल	4,000.00		
	पुनर्वि०	(-)2,166.90		
	₹ 2,166.90 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0130	उद्यान विकास योजना	528.00	528.00	0.00
	मूल	1,600.00		
	पुनर्वि०	(-)1,072.00		
	₹ 1,072.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0132	एग्रीबिजनेस इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य सम्पोषित परियोजना)	0.00	0.00	0.00
	मूल	1,219.60		
	पुनर्वि०	(-)1,219.60		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
0203	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	1,906.70	0.00	(-)1,906.70
	अनुपूरक	3,646.72		
	पुनर्वि०	(-)1,740.02		
	₹ 1,740.02 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0234	राष्ट्रीय तिलहन तथा पाम ऑयल मिशन अनुपूरक अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	40.80 40.80	8.44	(-)32.36
0235	राष्ट्रीय बागवानी मिशन अनुपूरक पुनर्वि० ₹ 359.36 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।	224.00 583.36 (-)359.36	224.00	0.00
0236	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन अनुपूरक पुनर्वि० ₹ 459.14 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	814.68 1,273.82 (-)459.14	784.62	(-)30.06
0237	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अनुपूरक पुनर्वि० ₹ 799.61 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	622.87 1,422.48 (-)799.61	522.70	(-)100.17
0238	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अनुपूरक पुनर्वि० ₹ 338.72 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	324.53 663.25 (-)338.72	245.33	(-)79.20
0303	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०) (ए०सी०ए०) मूल पुनर्वि० ₹ 1,515.57 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने तथा योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।	2,226.19 3,741.76 (-)1,515.57	2,226.19	0.00
0323	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मूल अनुपूरक पुनर्वि० प्रावधान में ₹ 558.74 लाख की हुई कमी, ₹ 390.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 948.74 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 948.74 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	473.74 10.00 1,022.48 (-)558.74	291.26	(-)182.48

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0334	राष्ट्रीय तिलहन तथा पाम ऑयल मिशन	44.32	8.59	(-)35.73
	मूल	30.00		
	अनुपूरक	14.32		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0335	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	117.07	0.00	(-)117.07
	मूल	280.00		
	अनुपूरक	387.84		
	पुनर्वि०	(-)550.77		
	₹ 550.77 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0336	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	388.16	18.70	(-)369.46
	मूल	900.00		
	अनुपूरक	527.88		
	पुनर्वि०	(-)1,039.72		
	₹ 1,039.72 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0338	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	338.48	333.06	(-)5.42
	मूल	400.00		
	अनुपूरक	737.40		
	पुनर्वि०	(-)798.92		
	₹ 798.92 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0134	इन्टेसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना)	26.29	25.72	(-)0.57
	मूल	369.16		
	पुनर्वि०	(-)342.87		
	₹ 342.87 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्य में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0140	बीज उत्पादन कार्यक्रम	81.66	78.49	(-)3.17
	मूल	306.00		
	अनुपूरक	32.80		
	पुनर्वि०	(-)257.14		
	₹ 257.14 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्य में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0143	प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	85.91	85.91	0.00
	मूल	529.72		
	अनुपूरक	10.46		
	पुनर्वि०	(-)454.27		
	₹ 430.27 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । ₹ 24.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0147	बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	89.33	89.33	0.00
	मूल	230.00		
	अनुपूरक	200.00		
	पुनर्वि०	(-)340.67		
	₹ 340.67 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0148	जैविक खेती का उन्नयन	165.56	164.36	(-)1.20
	मूल	400.00		
	पुनर्वि०	(-)234.44		
	₹ 234.44 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0152	उद्यान विकास योजना	33.00	0.00	(-)33.00
	मूल	160.00		
	पुनर्वि०	(-)127.00		
	₹ 127.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0154	एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (ई०ए०पी०)	0.00	0.00	0.00
	मूल	121.96		
	पुनर्वि०	(-)121.96		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
0231	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)	119.17	119.17	0.00
	(ए०सी०ए०)			
	अनुपूरक	227.92		
	पुनर्वि०	(-)108.75		
	₹ 108.75 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
0258	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	9.89	8.89	(-)1.00
	अनुपूरक	42.45		
	पुनर्वि०	(-)32.56		
	₹ 32.56 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0259	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	15.97	4.42	(-)11.55
	अनुपूरक	88.91		
	पुनर्वि०	(-)72.94		
	₹ 72.94 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0260	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	44.88	16.11	(-)28.77
	अनुपूरक	79.61		
	पुनर्वि०	(-)34.73		
	₹ 34.73 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0331	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)(ए०सी०ए०)	139.14	0.00	(-)139.14
	मूल	1,360.86		
	पुनर्वि०	(-)1,221.72		
	₹ 1,221.72 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने तथा योजना उद्ध्यय मे पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0357	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	7.12	7.12	0.00
	मूल	28.00		
	अनुपूरक	24.24		
	पुनर्वि०	(-)45.12		
	₹ 45.12 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
0358	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	13.53	13.15	(-)0.38
	मूल	40.00		
	अनुपूरक	46.08		
	पुनर्वि०	(-)72.55		
	₹ 72.55 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0359	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	14.96	14.10	(-)0.86
	मूल	1.00		
	अनुपूरक	63.91		
	पुनर्वि०	(-)49.95		
	प्रावधान में ₹ 49.95 लाख की हुई कमी, ₹ 24.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 73.95 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 73.95 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0360	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	23.48	23.45	(-)0.03
	मूल	90.00		
	अनुपूरक	32.99		
	पुनर्वि०	(-)99.51		
	₹ 99.51 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2402	मृदा तथा जल संरक्षण			
00				
001	निर्देशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001	मुख्यालय स्थापना	154.33	150.13	(-)4.20
	मूल	182.45		
	पुनर्वि०	(-)28.12		
	₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 3.12 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102	मृदा संरक्षण			
योजना	(राज्य योजना)			
0112	भूमि संरक्षण कार्य	1,070.33	1,070.33	0.00
	मूल	1,950.00		
	पुनर्वि०	(-)879.67		
	₹ 879.67 का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0213	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०)	531.47	531.47	0.00
	अनुपूरक	1,115.19		
	पुनर्वि०	(-)583.72		
	₹ 583.72 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
0313	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०)	373.06	373.06	0.00
	मूल	1,560.00		
	अनुपूरक	2,526.85		
	पुनर्वि०	(-)3,713.79		
	₹ 3,713.79 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	भूमि संरक्षण कार्य	201.01	201.01	0.00
	मूल	500.00		
	पुनर्वि०	(-)298.99		
	₹ 298.99 का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0202	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०) अनुपूरक पुनर्वि० ₹ 115.16 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।	99.82 214.98 (-)115.16	99.82	0.00
0302	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०) मूल अनुपूरक पुनर्वि० ₹ 816.94 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।	70.16 400.00 487.10 (-)816.94	70.16	0.00
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0108	भूमि संरक्षण कार्य मूल पुनर्वि० ₹ 49.38 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।	0.62 50.00 (-)49.38	0.62	0.00
0309	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०) मूल अनुपूरक पुनर्वि० ₹ 69.34 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।	1.11 40.00 30.45 (-)69.34	1.11	0.00
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01	फसल कृषि-कर्म			
004	अनुसंधान (गैर-योजना)			
0006	मिट्टी जाँच एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की योजना मूल पुनर्वि० ₹ 108.97 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	505.65 614.62 (-)108.97	504.50	(-)1.15
योजना	(राज्य योजना)			
0107	मिट्टी, बीज एवं उर्वरक का सुदृढीकरण मूल अनुपूरक पुनर्वि० ₹ 406.89 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	455.35 780.00 82.24 (-)406.89	446.93	(-)8.42

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
277 शिक्षा (गैर-योजना)			
0006 सेवा काल में प्रशिक्षण-प्रसार एवं शिक्षा पर्षद की योजना	186.10	186.02	(-)0.08
मूल	285.19		
पुनर्वि०	(-)99.09		
₹ 99.09 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0108 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	7,344.87	7,344.87	0.00
मूल	34,320.00		
पुनर्वि०	(-)26,975.13		
₹ 26,975.13 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0103 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	1,415.68	1,415.68	0.00
मूल	8,800.00		
पुनर्वि०	(-)7,384.32		
₹ 7,384.32 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक का सुदृढीकरण	60.49	57.42	(-)3.07
मूल	200.00		
अनुपूरक	15.85		
पुनर्वि०	(-)155.36		
₹ 155.36 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0104 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	88.51	82.80	(-)5.71
मूल	880.00		
पुनर्वि०	(-)791.49		
₹ 791.49 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ।			
2435 अन्य कृषि कार्यक्रम			
01 विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
102 श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं			
(गैर-योजना)			
0003 बीज परीक्षण प्रयोगशाला	338.63	338.49	(-)0.14
मूल	540.43		
अनुपूरक	5.50		
पुनर्वि०	(-)207.30		
₹ 207.30 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		
00			
106	भार और माप का विनियमन (गैर-योजना)		
0001	माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना	657.56	657.56
	मूल	875.38	
	अनुपूरक	1.50	
	पुनर्वि०	(-)219.32	
	₹ 219.32 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।		
योजना	(केन्द्रीय योजनागत योजना)		
0402	वैधानिक भार एवं माप का सुदृढीकरण	0.00	0.00
	मूल	500.00	
	पुनर्वि०	(-)500.00	
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।		

पूँजीगत (दत्तमत)

- (iv) ₹ 45,080.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 4,666.38 लाख) तथा दिसम्बर 2015 (₹ 912.11 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,578.49 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 45,017.82 लाख), अंतिम बचत (₹ 45,080.71 लाख) से ₹ 62.89 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय		
00			
051	निर्माण		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	कृषि कार्यालय भवनों का निर्माण	555.58	555.58
	मूल	1,000.00	
	अनुपूरक	712.11	
	पुनर्वि०	(-)1,156.53	
	₹ 1,156.53 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ब्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।		
102	खाद्यान्न फसलें		
योजना	(राज्य योजना)		
0201	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)	0.00	0.00
	(ए०सी०ए०)		
	मूल	23,133.00	
	पुनर्वि०	(-)23,133.00	
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्ब्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।		

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0202	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	0.00	0.00
	मूल	5,240.00		
	पुनर्वि०	(-)5,240.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
105	खाद तथा उर्वरक			
योजना	(राज्य योजना)			
0201	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	537.94	537.94	0.00
	मूल	1,682.00		
	अनुपूरक	904.28		
	पुनर्वि०	(-)2,048.34		
	₹ 2,048.34 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
113	कृषि अभियंत्रण			
योजना	(राज्य योजना)			
0201	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	0.00	0.00
	मूल	2,610.00		
	पुनर्वि०	(-)2,610.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
114	तिलहन बीज का विकास			
योजना	(राज्य योजना)			
0201	राष्ट्रीय तेलहन तथा पॉम ऑयल मिशन	0.00	0.00	0.00
	मूल	209.00		
	पुनर्वि०	(-)209.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
119	बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
योजना	(राज्य योजना)			
0201	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	0.00	0.00	0.00
	मूल	3,646.00		
	पुनर्वि०	(-)3,646.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0202	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	3,042.24		
	पुनर्वि०	(-)3,042.24		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0203	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	103.20	40.32	(-)62.88
	अनुपूरक	498.56		
	पुनर्वि०	(-)395.36		
	₹ 395.36 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने तथा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0203	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	190.14		
	पुनर्वि०	(-)190.14		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0204	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	5.95	5.95	0.00
	अनुपूरक	31.16		
	पुनर्वि०	(-)25.21		
	₹ 25.21 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने तथा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पौजीगत परिव्यय			
00				
102	मृदा संरक्षण			
योजना	(राज्य योजना)			
0202	एकीकृत जल संधार प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डबल्यू०एम०पी०)	1,000.00	1,000.00	0.00
	मूल	4,322.00		
	पुनर्वि०	(-)3,322.00		
	₹ 3,322.00 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से सम्पूर्ण निधि की प्राप्ति नहीं होने तथा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 2 - पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2403 पशु-पालन			
2404 डेरी विकास			
2405 मछली-पालन			
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
दत्तमत :			
मूल	53,00,598	60,03,088	41,19,891 (-)18,83,197
अनुपूरक	7,02,490		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			16,41,422
4 जुलाई 2015	1,165		
4 अगस्त 2015	50		
2 सितम्बर 2015	50,000		
24 नवम्बर 2015	30,000		
3 फरवरी 2016	1,00,000		
11 फरवरी 2016	70,000		
31 मार्च 2016	13,90,207		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 18,831.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 11.90 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 6,313.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 700.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 7,024.90 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 16,414.22 लाख), अंतिम बचत (₹ 18,831.97 लाख) से ₹ 2,417.75 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2403 पशु-पालन			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 मुख्यालय स्थापना	498.99	498.99	0.00
मूल	580.94		
पुनर्वि०	(-)81.95		
₹ 81.95 लाख का प्रत्यर्पण कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण हुई ।			
0003 अधीक्षण-क्षेत्रीय स्थापना	2,074.80	2,074.80	0.00
मूल	2,321.28		
पुनर्वि०	(-)246.48		
प्रावधान में ₹ 246.48 लाख की हुई कमी, ₹ 11.60 लाख की हुई वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 258.08 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 258.08 लाख का प्रत्यर्पण, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदस्थापना नहीं होने के कारण हुई । वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
0003 अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना	11,752.49	9,607.87	(-)2,144.62
मूल	11,764.09		
पुनर्वि०	(-)11.60		
₹ 11.60 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना	2,368.07	2,356.67	(-)11.40
मूल	2,800.00		
अनुपूरक	150.00		
पुनर्वि०	(-)581.93		
₹ 581.93 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 पशु तथा भैस विकास (गैर-योजना)			
0001 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पटना एवं डुमराँव)	144.86	144.86	0.00
मूल	189.67		
पुनर्वि०	(-)44.81		
₹ 44.81 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मियों के बकाये एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 फ़ोजेन सीमेन बैंक	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
₹ 25.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई । ₹ 75.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0110 गोशाला के विकास की योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
₹ 50.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई । ₹ 150.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 कुक्कुट विकास (गैर-योजना)			
0003 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	496.22	407.11	(-)89.11
मूल	496.22		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0106 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	110.79	110.79	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)889.21		
₹ 475.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई । ₹ 414.21 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0211 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
मूल	300.00		
पुनर्वि०	(-)300.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
104 भेड़ तथा ऊन विकास योजना (राज्य योजना)			
0102 अवि० एवं अजा० का पोषण एवं विकास	65.66	65.66	0.00
मूल	120.00		
पुनर्वि०	(-)54.34		
₹ 54.34 लाख का प्रत्यर्पण, निविदा की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
106 अन्य पशुधन विकास योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0411 एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना	63.30	63.25	(-)0.05
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)36.70		
₹ 36.70 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0210 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1,991.67	1,989.69	(-)1.98
मूल	293.00		
अनुपूरक	4,826.66		
पुनर्वि०	(-)3,127.99		
₹ 3,127.99 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कटौती एवं भारत सरकार से आवश्यक राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0212 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	507.97	507.97	0.00
मूल	229.00		
अनुपूरक	433.86		
पुनर्वि०	(-)154.89		
₹ 154.89 लाख का प्रत्यर्पण, कुछ योजनाओं की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
0310 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	989.49	989.49	0.00
मूल	709.44		
अनुपूरक	550.00		
पुनर्वि०	(-)269.95		
₹ 269.95 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई ।			
0312 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	74.58	74.58	0.00
मूल	167.46		
पुनर्वि०	(-)92.88		
₹ 92.88 लाख का प्रत्यर्पण, कुछ योजनाओं की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी (गैर-योजना)			
0002 पशु एवं मत्स्य पालन विभाग में सांख्यिकी इकाईयाँ	82.73	82.08	(-)0.65
मूल	119.09		
पुनर्वि०	(-)36.36		
₹ 36.36 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 बैक यार्ड बकरी पालन योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,120.00		
पुनर्वि०	(-)1,120.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई ।			
0102 बैक यार्ड मुर्गी पालन योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	531.80		
पुनर्वि०	(-)531.80		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0205 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	560.00		
पुनर्वि०	(-)560.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
0206 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	22.85	22.85	0.00
मूल	70.00		
अनुपूरक	382.48		
पुनर्वि०	(-)429.63		
₹ 429.63 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0124 बैक यार्ड बकरी पालन योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	336.00		
पुनर्वि०	(-)336.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्ब्यय में कटौती के कारण हुई ।			
0125 बैक यार्ड मुर्गी पालन योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	199.74		
पुनर्वि०	(-)199.74		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
0226 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	168.00		
पुनर्वि०	(-)168.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
2404 डेरी विकास			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(गैर-योजना)			
0001 मुख्यालय स्थापना	268.78	266.87	(-)1.91
मूल	331.11		
अनुपूरक	0.25		
पुनर्वि०	(-)62.58		
प्रावधान में ₹ 62.58 लाख की हुई कमी, ₹ 16.03 लाख की हुई वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 78.61 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 78.61 लाख का प्रत्यर्पण कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 डेरी विकास परियोजनाएं (गैर-योजना)			
0010 क्षेत्रीय स्थापना	574.81	574.81	0.00
मूल	658.02		
पुनर्वि०	(-)83.21		
₹ 67.18 लाख का प्रत्यर्पण कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण हुई । ₹ 16.03 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0201 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	25.00		
पुनर्वि०	(-)25.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
191 सहकारी समितियों तथा अन्य निकायों को सहायता			
योजना (राज्य योजना)			
0201 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)			
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०)	1,354.00	1,354.00	0.00
मूल	2,375.00		
पुनर्वि०	(-)1,021.00		
₹ 1,021.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2405 मछली-पालन			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 मत्स्य विकास योजना	1,409.67	1,395.06	(-)14.61
मूल	1,729.17		
पुनर्वि०	(-)319.50		
₹ 319.50 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन (एम०ए०सी०पी०) का बकाया पर व्यय संबंधित विपत्र की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन	39.32	36.82	(-)2.50
मूल	143.00		
पुनर्वि०	(-)103.68		
₹ 103.68 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्ध्य में कटौती के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0102 मत्स्य प्रसार	364.90	333.76	(-)31.14
मूल	580.00		
पुनर्वि०	(-)215.10		
₹ 215.10 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्ध्यय में कटौती के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101 अंतर्देशीय मछली-पालन (गैर-योजना)			
0001 मत्स्य पालक विकास अभिकरण	566.66	554.38	(-)12.28
मूल	950.60		
पुनर्वि०	(-)383.94		
₹ 383.94 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन (एम०ए०सी०पी०) का बकाया पर व्यय संबंधित विपत्र की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 मछुआ सहयोग समितियों के सदस्यों के सामूहिक दुर्घटना जीवन बीमा हेतु अनुदान	30.41	29.41	(-)1.00
मूल	121.00		
पुनर्वि०	(-)90.59		
₹ 90.59 लाख का प्रत्यर्पण केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0103 मन मत्स्य का विकास	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में कटौती के कारण हुई ।			
0104 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	2,496.57	2,490.87	(-)5.70
मूल	3,700.58		
पुनर्वि०	(-)1,204.01		
₹ 1,204.01 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0201 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,377.00		
पुनर्वि०	(-)1,377.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में कटौती के कारण हुई ।			
0301 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	300.00		
पुनर्वि०	(-)300.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
03 पशुपालन			
277 शिक्षा			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
01 जनगणना			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
योजना (केंद्रीय योजनागत योजना)			
0405 पशुधन गणना	65.59	63.81	(-)1.78
मूल	515.01		
पुनर्वि०	(-)449.42		
₹ 449.42 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से केन्द्रांश ससमय विमुक्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 3 - भवन निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2059 लोक निर्माण कार्य			
2216 आवास			
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
3053 नागर विमानन			
दत्तमत :			
मूल	56,48,257	56,71,261	45,98,410
अनुपूरक	23,004		(-)10,72,851
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			7,02,485
(31 मार्च 2016)			
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4408 खाद्य-भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय			
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	2,43,47,863	2,98,53,671	1,63,82,303
अनुपूरक	55,05,808		(-)1,34,71,368
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,33,86,971
1 अक्टूबर 2015	1,80,000		
28 जनवरी 2016	9,54,484		
1 फरवरी 2016	27,50,000		
5 फरवरी 2016	9,900		
18 मार्च 2016	7,70,000		
27 मार्च 2016	23,974		
31 मार्च 2016	86,98,613		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 10,728.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 20.02 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 110.01 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹100.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 230.04 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,024.85 लाख), अंतिम बचत (₹ 10,728.51 लाख) से ₹ 3,703.66 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0020 भवन निर्माण विभाग	159.91	159.90	(-)0.01
मूल	198.86		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	(-)38.96		
प्रावधान में ₹ 38.96 लाख की हुई कमी, ₹ 5.13 लाख की हुई वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 44.09 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि और कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2059 लोक निर्माण कार्य			
01 कार्यालय भवन			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0008 ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र भवनों का संधारण	119.60	119.60	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)80.40		
₹ 80.40 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0011 पशुपालन विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	22.88	0.00	(-)22.88
मूल	25.00		
पुनर्वि०	(-)2.12		
₹ 2.12 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0014 कृषि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	81.78	81.78	0.00
मूल	150.00		
पुनर्वि०	(-)68.22		
₹ 68.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0016 शिक्षा विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	47.67	39.23	(-)8.44
मूल	150.00		
पुनर्वि०	(-)102.33		
₹ 102.33 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0017 विधि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.00	0.00	0.00
मूल	771.00		
पुनर्वि०	(-)771.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0021 गन्ना उद्योग विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जीर्णोद्धार	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0118 वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	119.99	119.99	(-)0.00
मूल	100.00		
अनुपूरक	100.00		
पुनर्वि०	(-)80.01		
₹ 80.01 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
60 अन्य भवन			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत			
(गैर-योजना)			
0001 शहरी अस्पताल के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य	68.16	67.68	(-)0.48
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	68.15		
प्रावधान में ₹ 68.15 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 68.55 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 0.40 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि और कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0013 कारा विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	283.71	270.67	(-)13.04
मूल	450.00		
पुनर्वि०	(-)166.29		
₹ 166.29 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0014 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के	94.71	85.83	(-)8.88
भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत			
मूल	300.00		
पुनर्वि०	(-)205.29		
₹ 205.29 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0016 उपभोक्ता फोरम भवन	24.22	24.22	0.00
मूल	125.00		
पुनर्वि०	(-)100.78		
₹ 100.78 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 साज-सामान (गैर-योजना)			
0001 बिहार विधानमंडल भवन का साज-सामान	107.10	107.10	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-92.90)		
₹ 92.90 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
80 सामान्य			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन	1,971.22	1,549.93	(-)421.29
मूल	1,856.22		
अनुपूरक	20.00		
पुनर्वि०	95.00		
₹ 95.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 कार्यान्वयन	15,704.01	12,473.58	(-)3,230.43
मूल	15,572.37		
अनुपूरक	10.00		
पुनर्वि०	121.64		
₹ 121.64 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0011 उद्यान (स्थापना)	1,854.43	1,848.46	(-)5.97
मूल	2,168.12		
पुनर्वि०	(-)313.69		
₹ 313.69 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
051 निर्माण (गैर-योजना)			
0001 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	488.28	488.28	0.00
मूल	900.00		
पुनर्वि०	(-)411.72		
₹ 45.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 366.72 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
052 मशीनरी तथा उपस्कर (गैर-योजना)			
0001 नई आपूर्ति एवं मरम्मत	98.84	98.84	0.00
मूल	125.00		
पुनर्वि०	(-)26.16		
₹ 26.16 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
053 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0001 रख-रखाव तथा मरम्मत	23,401.20	23,401.20	0.00
मूल	27,000.00		
पुनर्वि०	(-)3,598.80		
₹ 718.19 लाख के पुनर्विनियोग, ₹ 2,880.61 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 कार्यभारित स्थापना	25.54	25.54	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)174.46		
₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 124.46 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0010 राज भवन का मरम्मत	0.00	0.00	0.00
मूल	187.00		
पुनर्वि०	(-)187.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0012 माननीय उच्च न्यायालय, पटना के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य	1,011.96	1,011.96	0.00
मूल	490.00		
पुनर्वि०	521.96		
प्रावधान में ₹ 521.96 लाख की वृद्धि, ₹ 522.87 लाख की वृद्धि एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 0.91 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 साज-सामान (गैर-योजना)			
0004 भवनों का साज-सज्जा का निरीक्षण	0.00	0.00	0.00
मूल	25.00		
पुनर्वि०	(-)25.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
2216 आवास			
01 सरकारी रिहायशी भवन			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0001 अन्य रख-रखाव व्यय-प्रखंड के भवनों हेतु	383.78	383.78	0.00
मूल	600.00		
पुनर्वि०	(-)216.22		
₹ 216.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0002	अन्य रख-रखाव व्यय- ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र के भवनों हेतु मूल 250.00 पुनर्वि० (-)233.49 ₹ 233.49 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	16.51	16.51	0.00
0003	निर्बंधन विभाग के आवासीय भवन मूल 300.00 पुनर्वि० (-)284.44 ₹ 284.44 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	15.56	19.07	(+)3.51
0004	मुख्यमंत्री आवास संख्या-1, अणे मार्ग, पटना में साज-सामान एवं पैनेलिंग की मरम्मत मूल 250.00 पुनर्वि० (-)225.22 ₹ 225.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	24.78	24.78	0.00
800	अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0012	विधायकों, राज्य मंत्रियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के आवास का साज-सामान मूल 187.00 पुनर्वि० (-)40.62 ₹ 40.62 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	146.38	146.39	(+)0.01
3053	नागर विमानन			
02	विमान पत्तन			
102	हवाई अड्डा (गैर-योजना)			
0001	हवाई अड्डा मूल 50.00 पुनर्वि० (-)49.48 ₹ 49.48 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	0.52	0.52	0.00

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

पूँजीगत (दत्तमत)

- (iv) ₹ 1,34,713.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 41,934.61 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 10,367.55 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 2,755.92 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 55,058.08 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,33,869.71 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,34,713.68 लाख) से ₹ 843.97 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 वाणिज्यकर विभाग के भवन	148.98	148.98	0.00
मूल	603.77		
पुनर्वि०	(-)454.79		
₹ 454.79 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0105 कोषागार कार्यालय में अतिरिक्त संसाधन का अधिष्ठापन	307.89	287.08	(-)20.81
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)692.11		
₹ 692.11 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01 कार्यालय भवन			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0104 सामान्य प्रशासन विभाग के लिए समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण	981.07	975.62	(-)5.45
मूल	1,250.00		
पुनर्वि०	(-)268.93		
₹ 268.93 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0105 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए भवनों का निर्माण	380.01	380.01	0.00
मूल	813.22		
पुनर्वि०	(-)433.21		
₹ 433.21 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0106 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के लिये अभिलेख प्रकोष्ठ-सह-कार्यालय भवनों का जीर्णोद्धार	0.00	0.00	0.00
मूल	300.00		
पुनर्वि०	(-)300.00		

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0107	वित्त विभाग के भवन	0.00	0.00	0.00
	मूल	2,000.00		
	पुनर्वि०	(-)2,000.00		
	उपयुक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0110	निबंधन विभाग के भवन	50.41	49.11	(-)1.30
	मूल	278.44		
	पुनर्वि०	(-)228.03		
	₹ 228.03 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0111	उत्पाद विभाग के भवन	0.00	0.00	0.00
	मूल	183.36		
	पुनर्वि०	(-)183.36		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0116	संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	283.37	283.37	0.00
	मूल	1,000.00		
	पुनर्वि०	(-)716.63		
	₹ 716.63 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0117	प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग)	10,174.12	10,131.11	(-)43.01
	मूल	49,660.00		
	पुनर्वि०	(-)39,485.88		
	₹ 39,485.88 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0118	पंचायती राज विभाग के भवनों का आधुनिकीकरण	127.66	127.66	0.00
	मूल	0.01		
	अनुपूरक	300.00		
	पुनर्वि०	(-)172.35		
	₹ 172.35 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0119	कृषि कार्यालय के भवन	267.64	244.73	(-)22.91
	मूल	1,100.00		
	अनुपूरक	1,109.27		
	पुनर्वि०	(-)1,941.63		
	₹ 1,941.63 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0122	अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय	170.22	170.22	0.00
	मूल	300.00		
	अनुपूरक	99.00		
	पुनर्वि०	(-)228.78		
	₹ 228.78 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0124	बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय एवं कार्यालय भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00
	मूल	120.00		
	पुनर्वि०	(-)120.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	अनुसूचित जातियों के लिए भवनें	8,433.03	8,412.94	(-)20.09
	मूल	24,467.00		
	पुनर्वि०	(-)16,033.97		
	₹ 16,033.97 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0104	अनुसूचित जनजाति के भवन	24.16	24.16	0.00
	मूल	2,000.00		
	पुनर्वि०	(-)1,975.84		
	₹ 1,975.84 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
60	अन्य भवन			
051	निर्माण			
	(गैर-योजना)			
0015	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई०वी०एम०) गोदाम का निर्माण	1,904.05	1,886.39	(-)17.66
	(निर्वाचन विभाग)			
	मूल	4,000.00		
	पुनर्वि०	(-)2,095.95		
	₹ 2,095.95 लाख का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से अधियाचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0017	वित्त आयोग की अनुशंसा पर ए०डी०आर० केन्द्र की	109.35	109.35	0.00
	स्थापना (विधि विभाग)			
	मूल	815.20		
	पुनर्वि०	(-)705.85		
	₹ 705.85 लाख का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से अधियाचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
योजना	(केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0420	उपभोक्ता अदालत फेज-II का सुदृढीकरण	393.28	304.99	(-)88.29
	अनुपूरक	393.28		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0104 परिसदन का निर्माण एवं संधारण	505.34	499.78	(-)5.56
मूल	600.01		
पुनर्वि०	(-)94.67		
₹ 94.67 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0105 केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण(गृह कारा विभाग)	1,188.77	1,188.77	0.00
मूल	1,500.00		
पुनर्वि०	(-)311.23		
₹ 311.23 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0106 स्टेडियम एवं खेल संरचना	1,050.97	1,050.97	0.00
मूल	10,200.00		
पुनर्वि०	(-)9,149.03		
₹ 9,149.03 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0107 सांस्कृतिक संरचना	13,343.64	13,302.85	(-)40.79
मूल	17,147.35		
पुनर्वि०	(-)3,803.71		
₹ 3,803.71 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०) के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन	1,674.83	1,674.83	0.00
मूल	2,022.60		
पुनर्वि०	(-)347.77		
₹ 347.77 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0116 जिला परिवहन कार्यालयों का निर्माण	603.66	600.35	(-)3.31
मूल	900.00		
पुनर्वि०	(-)296.34		
₹ 296.34 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0218 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना	212.94	0.00	(-)212.94
मूल	1,960.00		
पुनर्वि०	(-)1,747.06		
₹ 1,747.06 लाख का प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0222 कौशल विकास योजना	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	869.69		
पुनर्वि०	(-)869.69		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से अधियाचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0318 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना	178.47	178.22	(-)0.25
मूल	760.00		
पुनर्वि०	(-)581.53		
₹ 581.53 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0322 कौशल विकास योजना	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से अधिचाचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
80 सामान्य			
051 निर्माण (गैर-योजना)			
0001 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
0002 लघु निर्माण	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
उपर्युक्त दो मामलों में प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 सरकारी भवनों में परिवर्द्धन/परिवर्तन संबंधी मुख्य निर्माण	313.85	313.85	0.00
मूल	450.00		
पुनर्वि०	(-)136.15		
₹ 136.15 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0105 न्यायिक भवन (विधि विभाग)	1,705.77	1,705.77	0.00
मूल	3,340.90		
पुनर्वि०	(-)1,635.13		
₹ 800.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 835.13 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0110 न्यायिक भवनों (भवन निर्माण विभाग)	3.79	3.79	0.00
मूल	144.00		
पुनर्वि०	(-)140.21		
₹ 140.21 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0118 पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	37.40	37.40	0.00
मूल	800.00		
पुनर्वि०	(-)762.60		
₹ 762.60 लाख का का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0119	सरकारी भूमि की घेराबंदी	655.12	652.91	(-)2.21
	मूल	100.00		
	अनुपूरक	650.00		
	पुनर्वि०	(-)94.88		
	₹ 94.88 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0122	आई०टी० भवन	267.80	267.80	0.00
	मूल	6,500.00		
	पुनर्वि०	(-)6,232.20		
	₹ 6,232.20 लाख का का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से अधियाचना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0220	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	1,909.24	1,909.24	0.00
	मूल	871.00		
	अनुपूरक	2,938.00		
	पुनर्वि०	(-)1,899.76		
	₹ 1,899.76 लाख का का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से अधियाचना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0320	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	316.27	272.33	(-)43.94
	मूल	217.75		
	अनुपूरक	735.00		
	पुनर्वि०	(-)636.48		
	₹ 636.48 लाख का का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से अधियाचना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0321	अल्पसंख्यकों के लिए बहुदेशीय विकास कार्यक्रम	3,586.85	3,586.85	0.00
	मूल	1,500.00		
	अनुपूरक	2,500.00		
	पुनर्वि०	(-)413.15		
	₹ 413.15 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110	अस्पताल तथा औषधालय			
योजना	(राज्य योजना)			
0115	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल एवं औषधालय	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	50.00		
	पुनर्वि०	(-)50.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0116	शहरी अस्पतालों के भवनों का निर्माण	210.18	210.18	0.00
	मूल	300.00		
	पुनर्वि०	(-)89.82		
	₹ 89.82 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
02	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
110	अस्पताल तथा औषधालय			
योजना	(राज्य योजना)			
0102	ग्रामीण अस्पतालों के भवनों का निर्माण	33.57	33.57	0.00
	मूल	100.00		
	पुनर्वि०	(-)66.43		
	₹ 66.43 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01	सरकारी रिहायशी भवन			
700	अन्य आवास			
	(गैर-योजना)			
0003	लोक निर्माण	1,193.81	1,193.81	0.00
	मूल	1,600.00		
	पुनर्वि०	(-)406.19		
	₹ 406.19 लाख का का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से अधियाचना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	अन्य आवास	56.68	56.68	0.00
	मूल	1,000.00		
	पुनर्वि०	(-)943.32		
	₹ 943.32 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0206	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	75.00	75.00	0.00
	मूल	200.00		
	अनुपूरक	900.00		
	पुनर्वि०	(-)1,025.00		
	₹ 1,025.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0306	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	34.75	34.75	0.00
	मूल	50.00		
	अनुपूरक	225.00		
	पुनर्वि०	(-)240.25		
	₹ 240.25 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
80 सामान्य			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0103 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए आवास	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
₹ 101.00 लाख का का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से अध्याचना पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । ₹ 99.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0103 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण	903.34	879.51	(-)23.83
(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)96.66		
₹ 96.66 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0104 अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन	0.00	0.00	0.00
निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)			
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
4235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
02 समाज कल्याण			
104 वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 वृद्धाश्रम	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
4408 खाद्य-भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय			
02 भंडारण तथा भांडागार			
101 ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम			
योजना (राज्य योजना)			
0101 लक्षित जनवितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न का भंडारण हेतु	1,491.53	1,491.53	0.00
गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम			
अनुपूरक	2,050.87		
पुनर्वि०	(-)559.34		
₹ 559.34 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
00				
101	पंचायती राज			
योजना	(राज्य योजना)			
0107	बिहार पंचायत सृद्धीकरण परियोजना अंतर्गत पंचायत सरकार भवन का निर्माण (विश्व बैंक संपोषित)	42.29	42.27	(-)0.02
	मूल	22,810.00		
	पुनर्वि०	(-)22,767.71		
	₹ 22,767.71 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0106	बिहार पंचायत सृद्धीकरण परियोजना अंतर्गत पंचायत सरकार भवन का निर्माण (विश्व बैंक संपोषित)	0.00	0.00	0.00
	मूल	5,000.00		
	पुनर्वि०	(-)5,000.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
(vii)	अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01	कार्यालय भवन			
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	भवन	18,777.98	20,059.11	(+)1,281.13
	मूल	23,449.53		
	पुनर्वि०	(-)4,671.55		
	₹ 4,671.55 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
60	अन्य भवन			
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0121	पटना उच्च न्यायालय का विस्तार	3,297.94	3,297.94	0.00
	मूल	2,500.00		
	पुनर्वि०	797.94		
	प्रावधान में ₹ 797.94 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 800.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2.06 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि और कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
80	सामान्य			
201	भूमि का अर्जन			
योजना	(राज्य योजना)			
0103	इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी	4,354.77	4,354.77	0.00
	मूल	3,000.00		
	पुनर्वि०	1,354.77		
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01	सरकारी रिहायशी भवन			
700	अन्य आवास			
योजना	(राज्य योजना)			
0105	न्यायाधीशों के लिए आवास (विधि विभाग)	563.52	613.52	(+)50.00
	मूल	1,408.34		
	पुनर्वि०	(-)844.82		

₹ 1,354.77 लाख के प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

₹ 844.82 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

(viii)(क) **उच्चतन लेन-देन :-** इस शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किये गये हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं । लेन-देन, में नाम और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं । लघु शीर्ष उच्चतन के चार उप-प्रभाग होते हैं; यथा -(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उच्चतन ।

इनमें से प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देन की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है :-

- (i) **स्टॉक -** इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है । इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गई सामग्रियों का मूल्य घटा दिया जाता है । स्टॉक का शेष, स्टॉक के अंतर्गत रखी गयी सामग्रियों का सूचक है ।
- (ii) **क्रय -** जब माह के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किए बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती है, उनका मूल्य यथास्थिति लेखे के उस विशिष्ट “कार्य” शीर्ष में या “स्टॉक” उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर “क्रय” में जमा दिखाया जाता है । जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि को “क्रय” शीर्ष में नामे डाल दिया जाता है । इस प्रकार प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है जो प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है । वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को शीर्ष “8658-उच्चतन लेखा, 129-सामग्री क्रय पर परिनिर्धारण उच्चतन लेखा” के अंतर्गत दर्ज किया जाता है । लेकिन कुछ विभाग, यथा-भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पूर्व के वर्गीकरण को अपना रहे हैं ।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमांत

- (iii) **विविध निर्माण कार्य अग्रिम-** इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार की राशि, जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गयी राशि, बट्टे-खाते में डाली गयी रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।
- (iv) **कार्यशाला उच्चत-** (क) लोक निर्माण कार्य के लिए विभागीय कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।
- (ख) इनमें प्रत्येक उप-प्रभागों के अंतर्गत 2015-16 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष तथा अंतशेष नीचे दिये गये हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2015 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2016 को अंतशेष
(₹ लाख में)					
लोक निर्माण कार्य एवं आवास					
क्रय	(-)2,777.22	0.00	0.00	0.00	(-)2,777.22
स्टॉक	1,349.82	0.00	0.00	0.00	1,349.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	13,116.71	134.72	1,555.87	1,421.15	11,695.56
कुल	11,689.31	134.72	1,555.87	1,421.15	10,268.16

- (ix) **भवन निर्माण एवं आवास विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर प्रभागों की समीक्षा -** लोक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभागों में से अन्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किये गये कार्य के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती हैं तथा शेष प्रभार को लेखा के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अंतर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2013-14 से 2015-16 के इन प्रभागों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय के साथ उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है :-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभागों की प्रतिशतता	मशीनरी एवं उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभागों की प्रतिशतता
(₹ लाख में)					
2013-14	60,418.64	3,625.12	6.00	103.91	0.17
2014-15	1,37,780.56	15,047.98	10.92	99.89	0.07
2015-16	2,09,531.13	14,975.00	7.15	98.84	0.05

**अनुदान संख्या - 4 - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
राजस्व					
मुख्य शीर्ष					
2013	मंत्रिपरिषद				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं				
2053	जिला प्रशासन				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
2205	कला एवं संस्कृति				
3053	नागर विमानन				
दत्तमत :					
मूल		15,72,542	16,53,823	12,07,071	(-)4,46,752
अनुपूरक		81,281			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					4,07,161
15 फरवरी 2016		50,000			
31 मार्च 2016		3,57,161			

पूँजी					
मुख्य शीर्ष					
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय				
दत्तमत :					
मूल		2,05,414	2,05,414	1,22,983	(-)82,431
अनुपूरक		0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					82,431
(31 मार्च 2016)					

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 4,467.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 36.90 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 219.91 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 556.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 812.81 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,071.61 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,467.52 लाख) से ₹ 395.91 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 4 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2013	मंत्रिपरिषद्		
00			
101	मंत्रियों और उप-मंत्रियों का वेतन (गैर-योजना)		
0001	मंत्रिगण	1,285.23	1,276.63
	मूल	2,132.16	
	पुनर्वि०	(-)846.93	
	₹ 846.93 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।		
105	मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (गैर-योजना)		
0002	मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	157.00	89.20
	मूल	157.00	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।		
108	दौरा खर्च (गैर-योजना)		
0002	निजी स्टाफ का यात्रा व्यय	7.34	7.34
	मूल	93.00	
	पुनर्वि०	(-)85.66	
	₹ 85.66 लाख का प्रत्यर्पण, माननीय मंत्रीगण के निजी कर्मों के यात्रा कम करने के कारण हुई ।		
800	अन्य व्यय (गैर-योजना)		
0001	मंत्रिगण	157.00	106.48
	मूल	127.00	
	अनुपूरक	30.00	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
00			
090	सचिवालय		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	राजभाषा	67.21	67.21
	मूल	231.00	
	पुनर्वि०	(-)163.79	
	₹ 163.79 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।		

अनुदान संख्या - 4 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0147	सचिवालय ग्रंथागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय मूल 70.00 पुनर्वि० (-)69.19 ₹ 69.19 लाख के प्रत्यर्पण, कर्णांकित योजनाओं पर व्यय नहीं होने के कारण हुई ।	0.81	0.81	0.00
092	अन्य कार्यालय			
योजना	(राज्य योजना)			
0103	20 सूत्री कार्यक्रम-कार्यकारी उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते मूल 67.00 पुनर्वि० (-)25.72 ₹ 25.72 लाख का प्रत्यर्पण, उपाध्यक्ष के पद रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	41.28	38.43	(-)2.85
2053	जिला प्रशासन			
00				
093	जिला स्थापनाएं			
योजना	(राज्य योजना)			
0106	20-सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यालय हेतु मूल 200.00 अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	200.00	43.44	(-)156.56
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00				
001	निदेशन और प्रशासन			
योजना	(राज्य योजना)			
0103	जनशिकायत निवारण व्यवस्था मूल 1,000.08 पुनर्वि० (-)1,000.08 सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।	0.00	0.00	0.00
106	सिविल रक्षा (गैर-योजना)			
0003	बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद् मूल 335.49 पुनर्वि० (-)224.76 ₹ 224.76 लाख का प्रत्यर्पण, राज्य लोक समिति के गठन नहीं होने के कारण हुई ।	110.73	110.73	0.00

अनुदान संख्या - 4 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
114 वाहन का क्रय तथा रख-रखाव (गैर-योजना)			
0001 सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण	1,371.34	1,370.50	(-)0.84
मूल	2,056.68		
पुनर्वि०	(-)685.34		
₹ 685.34 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
115 अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि (गैर-योजना)			
0002 बिहार भवन-स्थापना	951.57	949.32	(-)2.25
मूल	926.33		
अनुपूरक	133.00		
पुनर्वि०	(-)107.76		
₹ 107.76 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2205 कला एवं संस्कृति			
00			
104 अभिलेखागार (गैर-योजना)			
0001 अभिलेखागार	254.68	239.92	(-)14.76
मूल	263.80		
अनुपूरक	10.80		
पुनर्वि०	(-)19.92		
₹ 19.92 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 अभिलेखागार के संरक्षण एवं आधुनिकीकरण	46.73	46.73	0.00
मूल	80.00		
पुनर्वि०	(-)33.27		
₹ 33.27 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0103 बिहार का गौरव श्रृंखला के प्रकाशनार्थ	48.03	41.05	(-)6.98
मूल	95.00		
पुनर्वि०	(-)46.97		
₹ 46.97 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 4 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3053 नागर विमानन			
80 सामान्य			
003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा (गैर-योजना)			
0001 प्रशिक्षण तथा शिक्षा	290.03	288.69	(-)1.34
मूल	532.96		
पुनर्वि०	(-)242.93		
₹ 242.93 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

पूँजीगत (दत्तमत)

- (iv) ₹ 824.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 2,054.14 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय			
02 विमानपत्तन			
102 हवाई अड्डा			
योजना (राज्य योजना)			
0101 हवाई अड्डे	1,229.83	1,229.83	0.00
मूल	2,054.14		
पुनर्वि०	(-)824.31		
₹ 824.31 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

विनियोग संख्या - 5 - राज्यपाल सचिवालय

(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+)
		(₹ हजार में)	बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
प्रभारित :			
मूल	1,10,141	1,16,941	89,958
अनुपूरक	6,800		(-)26,983
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,657
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (प्रभारित)

- (i) ₹ 269.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 68.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 26.57 लाख), अंतिम बचत (₹ 269.83 लाख) से ₹ 243.26 लाख कम था ।

विनियोग संख्या - 5 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0001 सचिवालय	630.13	526.09	(-)104.04
मूल	600.13		
अनुपूरक	30.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
103 पारिवारिक स्थापना (गैर-योजना)			
0001 राज्यपाल की परिलब्धियाँ	132.34	70.79	(-)61.55
मूल	132.34		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0008 मरम्मत	7.00	0.00	(-)7.00
मूल	14.10		
पुनर्वि०	(-)7.10		
₹ 7.10 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
107 संविदा भत्ते से व्यय (गैर-योजना)			
0001 गृह संबंधी खर्च	96.84	80.47	(-)16.37
मूल	86.84		
अनुपूरक	10.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
108 दौरा खर्च (गैर-योजना)			
0002 विविध दौरा व्यय	97.23	64.57	(-)32.66
मूल	72.23		
अनुपूरक	25.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या - 6 - निर्वाचन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2015 निर्वाचन			
दत्तमत :			
मूल	30,98,320	31,98,320	30,36,885
अनुपूरक	1,00,000		(-)1,61,435
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			1,38,871

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 1,614.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 1,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,388.71 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,614.35 लाख) से ₹ 225.64 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 6 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2015	निर्वाचन		
00			
102	निर्वाचन अधिकारी (गैर-योजना)		
0001	मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना	1,956.07	1,931.55
	मूल	2,286.96	
	पुनर्वि०	(-)330.89	
	₹ 330.89 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।		
105	संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार (गैर-योजना)		
0001	लोकसभा निर्वाचन	1,212.82	1,210.58
	मूल	500.00	
	अनुपूरक	1,000.00	
	पुनर्वि०	(-)287.18	
	₹ 287.18 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।		
106	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार (गैर-योजना)		
0002	राज्य विधान परिषद् निर्वाचन	199.68	199.68
	मूल	240.00	
	पुनर्वि०	(-)40.32	
	₹ 40.32 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।		
108	मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना (गैर-योजना)		
0001	मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय	490.99	476.36
	मूल	710.00	
	पुनर्वि०	(-)219.01	
	₹ 219.01 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।		

**अनुदान संख्या - 7 - निगरानी विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	3,52,152	3,54,952	2,81,881
अनुपूरक	2,800		(-)73,071
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			72,526
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 730.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 24.00 लाख) तथा दिसंबर 2015 (₹ 4.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 28.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 725.26 लाख), अंतिम बचत (₹ 730.71 लाख) से ₹ 5.45 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 7 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00			
104 सतर्कता (गैर-योजना)			
0002 मंत्रिमंडल (सतर्कता) विभाग	376.15	375.41	(-)0.74
मूल	433.04		
पुनर्वि०	(-)56.89		
₹ 56.89 लाख का प्रत्यर्पण, वेतन एवं भत्ते का निकासी नहीं होने, कुछ पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, विद्युत प्रभार तथा प्रशिक्षण पर व्यय नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0003 तकनीकी परीक्षक कोषांग	265.14	264.46	(-)0.68
मूल	346.29		
अनुपूरक	4.00		
पुनर्वि०	(-)85.15		
₹ 85.15 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 अनुसंधान ब्यूरो	2,048.64	2,044.61	(-)4.03
मूल	2,558.06		
अनुपूरक	20.00		
पुनर्वि०	(-)529.42		
₹ 529.42 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0014 विशेष निगरानी इकाई	119.96	119.96	0.00
मूल	164.13		
अनुपूरक	4.00		
पुनर्वि०	(-)48.17		
₹ 48.17 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 8 - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	12,85,930	13,06,306	6,85,866 (-)6,20,440
अनुपूरक	20,376		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			5,99,750

पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
6202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज				
दत्तमत :				
मूल	3,500	3,500	3,500	0
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 6,204.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2015 (₹ 103.76 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 100.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 203.76 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,997.50 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,204.40 लाख) से ₹ 206.90 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 8 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
00			
101 शारीरिक शिक्षा (गैर-योजना)			
0001 शारीरिक शिक्षा	254.24	253.41	(-)0.83
मूल	295.85		
पुनर्वि०	(-)41.61		
₹ 41.61 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0001 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०)-प्रशासन	734.88	719.02	(-)15.86
मूल	894.49		
पुनर्वि०	(-)159.61		
₹ 159.61 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 राष्ट्रीय कैडेट कोर-बरीय शाखा	892.66	889.70	(-)2.96
मूल	1,084.39		
पुनर्वि०	(-)191.73		
₹ 191.73 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0003 राष्ट्रीय कैडेट कोर-कनीय शाखा	741.10	726.86	(-)14.24
मूल	835.36		
पुनर्वि०	(-)94.26		
₹ 94.26 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0206 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०)	0.00	0.00	0.00
मूल	129.36		
पुनर्वि०	(-)129.36		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0306 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०)	0.00	0.00	0.00
मूल	92.40		
पुनर्वि०	(-)92.40		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
104 खेल-कूद (गैर-योजना)			
0001 खेल-कूद	488.88	478.31	(-)10.57
मूल	690.96		
पुनर्वि०	(-)202.08		
₹ 7.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 195.08 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 8 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना	(राज्य योजना)			
0102	खेल-कूद	444.02	443.98	(-)0.04
	मूल	1,270.00		
	पुनर्वि०	(-)825.98		
	₹ 825.98 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0207	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	0.00	0.00	0.00
	(पी०वाई०के०के०ए०)			
	मूल	182.00		
	पुनर्वि०	(-)182.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0307	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	10.11	10.10	(-)0.01
	(पी०वाई०के०के०ए०)			
	मूल	150.00		
	पुनर्वि०	(-)139.89		
	₹ 139.89 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0202	राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०)	0.00	0.00	0.00
	मूल	24.64		
	पुनर्वि०	(-)24.64		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2205	कला एवं संस्कृति			
00				
102	कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
	(गैर-योजना)			
0001	कला एवं संस्कृति का संवर्धन	103.79	105.84	(+)2.05
	मूल	450.03		
	पुनर्वि०	(-)346.24		
	₹ 17.34 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 328.90 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	कला एवं संस्कृति का संवर्धन	634.59	637.37	(+)2.78
	मूल	2,160.00		
	पुनर्वि०	(-)1,525.41		
	₹ 1,525.41 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 8 - क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103	पुरातत्व विज्ञान (गैर-योजना)			
0001	पुरातत्व विज्ञान निदेशालय	118.24	118.24	0.00
	मूल	187.64		
	पुनर्वि०	(-)69.40		
	₹ 69.40 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	पुरातत्व विज्ञान निदेशालय	503.44	401.31	(-)102.13
	मूल	983.00		
	पुनर्वि०	(-)479.56		
	₹ 479.56 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
107	संग्रहालय (गैर-योजना)			
0001	संग्रहालय	999.52	965.23	(-)34.29
	मूल	1,234.71		
	अनुपूरक	190.00		
	पुनर्वि०	(-)425.19		
	₹ 425.19 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	संग्रहालय	692.50	661.69	(-)30.81
	मूल	1,690.00		
	पुनर्वि०	(-)997.50		
	₹ 997.50 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2251	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
00				
090	सचिवालय (गैर-योजना)			
0003	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	227.33	227.33	0.00
	मूल	267.56		
	अनुपूरक	13.76		
	पुनर्वि०	(-)53.99		
	प्रावधान में ₹ 53.99 लाख की हुई कमी, ₹ 7.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 60.99 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । प्रावधान में वृद्धि, वाहनों के इंधन एवं मरम्मत, ठेका आधारित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, लोक शिकायत कर्मचारियों तथा सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकारों के भुगतान के कारण हुई । प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 9 - सहकारिता विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2401 फसल कृषि-कर्म			
2408 खाद्य-भंडारण तथा भांडागार			
2425 सहकारिता			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	58,05,798	89,55,391	58,85,282
अनुपूरक	31,49,593		(-)30,70,109
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			18,93,213
8 जुलाई 2015	5,23,480		
15 जुलाई 2015	1,45,000		
27 जुलाई 2015	2,76,500		
10 अगस्त 2015	2,24,492		
28 दिसम्बर 2015	4,71,947		
11 जनवरी 2016	40,262		
15 मार्च 2016	800		
18 मार्च 2016	900		
30 मार्च 2016	1,62,464		
31 मार्च 2016	47,368		
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय			
6425 सहकारिता के लिए कर्ज			
दत्तमत :			
मूल	16,44,108	24,62,028	17,82,431
अनुपूरक	8,17,920		(-)6,79,597
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			6,79,597
27 जुलाई 2015	4,99,008		
28 दिसम्बर 2015	33,449		
15 मार्च 2016	100		
31 मार्च 2016	1,47,040		
टीका एवं टिप्पणियाँ-			
राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 30,701.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2015 (₹ 9.01 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 31,486.92 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 31,495.93 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 18,932.13 लाख), अंतिम बचत (₹ 30,701.09 लाख) से ₹ 11,768.96 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2401 फसल कृषि-कर्म			
00			
110 फसल बीमा			
योजना (राज्य योजना)			
0101 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम एवं अन्य व्यय अनुदान	297.23	0.00	(-)297.23
मूल	941.75		
पुनर्वि०	(-)644.52		
₹ 644.52 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्ध्य में कमी के कारण हुई । सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0110 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत किसानों के बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	9,900.00	0.00	(-)9,900.00
मूल	9,900.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0127 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत किसानों के बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	992.40	0.00	(-)992.40
मूल	992.40		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2408 खाद्य-भंडारण तथा भांडागार			
02 भंडारण तथा भांडागार			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00
मूल	1,505.00		
पुनर्वि०	(-)1,505.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2425 सहकारिता			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन	390.36	352.19	(-)38.17
मूल	407.66		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	(-)17.31		
प्रावधान में ₹ 17.31 लाख की हुई कमी, ₹ 1.99 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 19.30 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 19.30 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के स्थानांतरण, एम०ए०सी०पी० के बकाये के भुगतान नहीं होने एवं मितव्ययता के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101 सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा (गैर-योजना)			
0001 अंकेक्षण	1,688.84	1,644.54	(-)44.30
मूल	2,036.77		
पुनर्वि०	(-)347.93		
प्रावधान में ₹ 347.93 लाख की हुई कमी, ₹ 4.39 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 352.32 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 352.32 लाख का प्रत्यर्पण, अंकेक्षकों के ग्रेड-पे में पुनरीक्षण के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
105 सूचना एवं प्रचार			
योजना (राज्य योजना)			
0101 सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय	7.69	7.69	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)42.31		
₹ 42.31 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0415 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	5,199.95	5,199.95	0.00
मूल	15,163.22		
पुनर्वि०	(-)9,963.27		
₹ 9,963.27 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0107 समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान	299.64	299.64	0.00
मूल	529.92		
पुनर्वि०	(-)230.28		
₹ 110.64 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 119.64 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0114 गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान	6,315.80	5,810.90	(-)504.90
मूल	9,100.00		
पुनर्वि०	(-)2,784.20		
₹ 2,784.20 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्ध्य में कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0005 सहकारिता विभाग	465.32	462.63	(-)2.69
मूल	503.17		
अनुपूरक	25.18		
पुनर्वि०	(-)63.03		
₹ 63.03 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2425 सहकारिता			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
योजना (राज्य योजना)			
0107 सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार	210.63	210.63	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	110.63		
प्रावधान में ₹ 110.63 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 110.64 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 9 - क्रमांत

पूँजीगत (दत्तमत)

- (v) ₹ 6,795.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 6,684.80 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 1,494.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,179.20 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

- (vi) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)(ए०सी०ए०)	2,346.08	2,346.08	0.00
मूल	3,359.00		
अनुपूरक	1,494.40		
पुनर्वि०	(-)2,507.32		
₹ 1,909.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई । ₹ 598.32 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०)(ए०सी०ए०)	577.92	577.92	0.00
अनुपूरक	1,450.00		
पुनर्वि०	(-)872.08		
₹ 872.08 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
6425 सहकारिता के लिए कर्ज			
00			
107 जमा सहकारी समितिया को कर्ज			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार राज्य सहकारिता बैंक को कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिए कर्ज	10,000.00	10,000.00	0.00
मूल	13,081.08		
पुनर्वि०	(-)3,081.08		
₹ 3,081.08 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।			
108 अन्य सहकारी समितियों को कर्ज			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0418 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	194.65		
पुनर्वि०	(-)194.65		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 10 - ऊर्जा विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क				
2801 बिजली				
2810 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत				
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं				
दत्तमत :				
मूल	4,29,42,971	6,18,81,671	6,15,40,298	(-)3,41,373
अनुपूरक	1,89,38,700			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,41,373
(31 मार्च 2016)				

पूँजी					
मुख्य शीर्ष					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज				
दत्तमत :					
मूल		4,14,26,000	4,14,26,000	2,93,47,389	(-)1,20,78,611
अनुपूरक		0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					1,20,78,611
	13 अगस्त 2015	12,60,000			
	23 नवम्बर 2015	26,91,100			
	17 मार्च 2016	6,48,000			
	31 मार्च 2016	74,49,511			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 3,413.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 1,20,000.00 लाख) तथा दिसम्बर 2015 (₹ 69,387.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,89,387.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2801 बिजली			
02 ताप विद्युत शक्ति उत्पादन			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि० (बी०एस०पी० जी०सी०एल०)(सम विकास योजना के अंतर्गत सामानों पर भुगतान किए गए प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)	364.19	364.19	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)635.81		
₹ 242.32 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 393.49 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
05 संचरण तथा वितरण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (गैर-योजना)			
0004 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०	0.00	0.00	0.00
(एस०बी०पी०डी०सी०एल०) (राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सामानों पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि०	(-)4,000.00		
₹ 1,000.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 3,000.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

(iii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2801 बिजली			
05 संचरण तथा वितरण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में सहायता (गैर-योजना)			
0001 नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० (एन०बी० पी०डी०सी०एल०)(राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सामानों पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)	5,242.31	5,242.31	0.00
मूल	4,000.00		
पुनर्वि०	1,242.31		
प्रावधान में ₹ 1,242.31 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,242.32 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । प्रावधान में वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

पूँजीगत (दत्तमत)

(iv) ₹ 1,20,786.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, पूँजी प्रभाग में ₹ 4,14,260.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
02 ताप विद्युत शक्ति उत्पादन			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश योजना (राज्य योजना)			
0104 विशेष सहायता (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान) (बी०आर० जी०-ऊर्जा) (बी०एस०पी०डी०सी०एल० के लिए)	0.00	0.00	0.00
मूल	8,699.99		
पुनर्वि०	(-)8,699.99		
₹ 1,600.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 7,099.99 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
05 संचरण तथा वितरण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश योजना (राज्य योजना)			
0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना (एस०बी०पी०डी०सी०एल०)	24,700.00	24,700.00	0.00
मूल	29,000.00		
पुनर्वि०	(-)4,300.00		
₹ 4,300.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0107 नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना (एन०बी०पी०डी०सी०एल०)	20,083.98	20,083.98	0.00
मूल	25,000.00		
पुनर्वि०	(-)4,916.02		
₹ 4,916.02 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0111 बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड	6,443.00	6,443.00	0.00
मूल	7,543.00		
पुनर्वि०	(-)1,100.00		
₹ 1,100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0113 विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) (एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए)	28,253.00	28,253.00	0.00
मूल	72,999.99		
पुनर्वि०	(-)44,746.99		
₹ 17,200.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 27,546.99 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0114 विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) (एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए)	31,500.00	31,500.00	0.00
मूल	73,299.99		
पुनर्वि०	(-)41,799.99		
₹ 17,000.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 24,799.99 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
00			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज (गैर-योजना)			
0015 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (ब्याज का भुगतान)	2,395.68	2,395.68	0.00
मूल	4,500.00		
पुनर्वि०	(-)2,104.32		
₹ 2,104.32 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0016 नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (ब्याज का भुगतान)	4,006.92	4,006.92	0.00
मूल	6,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,993.08		
₹ 1,993.08 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0017 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (मूलधन का भुगतान)	1,504.96	1,504.96	0.00
मूल	1,900.00		
पुनर्वि०	(-)395.04		
₹ 395.04 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0108 बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लि० का वितरण तथा संरचना परियोजना	4,170.32	4,170.32	0.00
मूल	33,537.00		
पुनर्वि०	(-)29,366.68		
₹ 29,366.68 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 10 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
201 पनबिजली उत्पादन योजना			
0101 बिहार राज्य जल विद्युत निगम को कर्ज	0.00	0.00	0.00
मूल	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,000.00		
₹ 500.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,500.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0105 बिहार राज्य जलविद्युत निगम को कर्ज (नाबार्ड)	0.00	0.00	0.00
मूल	6,780.00		
पुनर्वि०	(-)6,780.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

(vi) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
02 ताप विद्युत शक्ति उत्पादन			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश योजना			
(राज्य योजना)			
0102 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना	34,901.00	34,901.00	0.00
(बी०एस०पी०जी०सी०एल०)			
मूल	10,000.00		
पुनर्वि०	24,901.00		
₹ 24,901.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 11 - पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2251	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल		1,95,93,048	3,10,45,831	2,58,07,920
अनुपूरक		1,14,52,783		(-)52,37,911
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				26,68,021
(31 मार्च 2016)				

पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :				
मूल		1,60,000	1,60,000	87,384
अनुपूरक		0		(-)72,616
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				72,616
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 52,379.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 30,528.00 लाख), दिसंबर 2015 (₹ 20,000.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 63,999.83 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,14,527.83 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 26,680.21 लाख), अंतिम बचत (₹ 52,379.11 लाख) से ₹ 25,698.90 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 11 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277 शिक्षा			
(गैर-योजना)			
0002 छात्रावासों का संधारण	41.95	32.53	(-)9.42
मूल	111.86		
पुनर्वि०	(-)69.91		
₹ 69.91 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0010 पिछड़ी जातियों के लिये बारह कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	854.63	854.63	0.00
मूल	977.20		
पुनर्वि०	(-)122.57		
₹ 122.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0212 अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	13,999.83	365.00	(-)13,634.83
अनुपूरक	30,328.00		
पुनर्वि०	(-)16,328.17		
₹ 16,328.17 लाख का प्रत्यर्पण केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0213 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ईबीसी)	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण केन्द्र सरकार मैचिंग ग्रांट की राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0214 प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	1,812.95	1,598.96	(-)213.99
अनुपूरक	2,022.00		
पुनर्वि०	(-)209.05		
₹ 209.05 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0215 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	11,143.88	10,211.88	(-)932.00
अनुपूरक	11,977.83		
पुनर्वि०	(-)833.95		
₹ 833.95 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 11 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0024 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	182.69	179.70	(-)2.99
मूल	213.76		
पुनर्वि०	(-)31.07		
₹ 31.07 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

पूँजीगत (दत्तमत)

(iv) ₹ 726.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,600.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277 शिक्षा			
योजना (राज्य योजना)			
0101 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	773.84	773.84	0.00
मूल	1,500.00		
पुनर्वि०	(-)726.16		
₹ 726.16 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 12 - वित्त विभाग

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	25,55,855	25,68,783	14,08,619
अनुपूरक	12,928		(-)11,60,174
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			7,80,412
14 जुलाई 2015	70,000		
27 नवम्बर 2015	30,000		
8 मार्च 2016	11,000		
29 मार्च 2016	31,883		
30 मार्च 2016	1,514		
31 मार्च 2016	6,36,015		
प्रभारित :			
मूल	49,18,605	49,18,605	49,18,540
अनुपूरक	0		(-)65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			0
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4058 लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय			
7610 सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
7999 आकस्मिकता निधि को विनियोजन			
दत्तमत :			
मूल	2,40,000	3,20,000	2,30,036
अनुपूरक	80,000		(-)89,964
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			80,837
30 मार्च 2016	40,000		
31 मार्च 2016	40,837		
टीका एवं टिप्पणियाँ-			
राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 11,601.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 0.01 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 105.43 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 23.84 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 129.28 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,804.12 लाख), अंतिम बचत (₹ 11,601.74 लाख) से ₹ 3,797.62 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 समेकित जांच चौकी	1,992.51	0.00	(-)1,992.51
मूल	1,992.51		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0008 वित्त विभाग	3,483.57	3,474.10	(-)9.47
मूल	6,670.76		
अनुपूरक	110.28		
पुनर्वि०	(-)3,297.47		
₹ 3,297.47 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0015 भविष्य निधि लेखा स्थापना (मुख्यालय)	105.51	104.88	(-)0.63
मूल	147.31		
अनुपूरक	7.29		
पुनर्वि०	(-)49.09		
₹ 49.09 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
092 अन्य कार्यालय (गैर-योजना)			
0005 राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना	1,301.25	1,300.63	(-)0.62
मूल	1,612.08		
अनुपूरक	8.00		
पुनर्वि०	(-)318.83		
₹ 318.83 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लेखापरीक्षक की नियुक्ति का अनुमोदन विलम्ब से होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन			
00			
095 लेखा तथा खजाना निदेशालय (गैर-योजना)			
0002 भविष्य निधि लेखा का संधारण	1,502.71	1,502.71	0.00
मूल	1,986.76		
पुनर्वि०	(-)484.05		
₹ 484.05 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना	(राज्य योजना)			
0102	भविष्य निधि लेखा का संधारण	40.82	40.82	0.00
	मूल	100.00		
	पुनर्वि०	(-)59.18		
	₹ 59.18 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0103	बिहार राजस्व प्रशासन इन्टरनेट (ब्रेन प्रोजेक्ट एवं मिशन मोड प्रोजेक्ट)	1,031.06	961.50	(-)69.56
	मूल	3,000.00		
	अनुपूरक	0.01		
	पुनर्वि०	(-)1,968.95		
	₹ 300.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई । ₹ 1,668.95 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
097	खजाना स्थापना (गैर-योजना)			
0001	कोषागार तथा अन्य उप-कोषागार	3,269.58	3,233.08	(-)36.50
	मूल	4,234.04		
	पुनर्वि०	(-)964.46		
	₹ 964.46 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
098	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (गैर-योजना)			
0001	स्थानीय निधि लेखापरीक्षा	3,227.39	1,477.19	(-)1,750.20
	मूल	3,227.39		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2058	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण			
00				
102	फार्मों का मुद्रण, भंडारण तथा वितरण (गैर-योजना)			
0001	फार्म प्रेस, गया	334.73	333.56	(-)1.17
	मूल	552.58		
	पुनर्वि०	(-)217.85		
	₹ 217.85 लाख का प्रत्यर्पण, मितव्ययता के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103	सरकारी मुद्रणालय (गैर-योजना)			
0001	राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग	976.70	972.72	(-)3.98
	मूल	1,284.15		
	पुनर्वि०	(-)307.45		
	₹ 307.45 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	--------------------------

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

00

800 अन्य व्यय

(गैर-योजना)

0008 विविध तथा आकस्मिक व्यय

40.00

40.00

0.00

मूल

150.00

पुनर्वि०

(-)110.00

₹ 110.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	--------------------------

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

00

004 अनुसंधान एवं अनुसंधान विकास

(गैर-योजना)

0001 लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र

259.67

326.92

(+)67.25

मूल

259.67

अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

राजस्व (प्रभारित)

(v) ₹ 0.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 49,186.05 लाख का मूल प्रावधान इस अनुदान के राजस्व (प्रभारित) के अंतर्गत अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

पूँजी (दत्तमत)

(vi) ₹ 899.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 800.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

(vii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 808.37 लाख), अंतिम बचत (₹ 899.64 लाख) से ₹ 91.27 लाख कम था ।

(viii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	-------------	------------------------------	--------------------------

4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

00

103 सरकारी मुद्रणालय

योजना (राज्य योजना)

0101 मशीनरी और उपस्कर-सरकारी प्रेस गुलजारबाग के

0.00

0.00

0.00

आधुनिकीकरण की योजना

मूल

400.00

पुनर्वि०

(-)400.00

सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
7610 00 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज			
201 भवन निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)			
0002 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम	7.67	7.67	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)42.33		
₹ 29.83 लाख के प्रत्यर्पण, समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । ₹ 12.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
202 मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)			
0001 सरकारी सेवकों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	699.95	695.09	(-)4.86
मूल	500.00		
पुनर्वि०	199.95		
₹ 199.95 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 सरकारी सेवकों को मोटर साईकिल खरीदने के लिए अग्रिम	9.48	9.48	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)40.52		
₹ 28.02 लाख के प्रत्यर्पण, समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । ₹ 12.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0003 मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	18.00	0.00	(-)18.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)82.00		
₹ 57.00 लाख के प्रत्यर्पण, समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । ₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 विधानमंडल के सदस्यों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	903.25	863.25	(-)40.00
मूल	400.00		
अनुपूरक	800.00		
पुनर्वि०	(-)296.75		
₹ 196.75 लाख के प्रत्यर्पण, समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । ₹ 100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 12 - क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
204	कम्प्यूटर क्रय करने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)			
0001	पदाधिकारियों को कम्प्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम	53.54	52.86	(-)0.68
	मूल	200.00		
	पुनर्वि०	(-)146.46		

₹ 96.46 लाख के प्रत्यर्पण, समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

**विनियोग संख्या - 13 - सूद भुगतान
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2049 ब्याज अदायगियाँ			
प्रभारित :			
मूल	7,22,07,799	7,22,99,383	7,09,76,922 (-) 13,22,461
अनुपूरक	91,584		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			5,43,102
15 मार्च 2016	47,110		
31 मार्च 2016	4,95,992		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (प्रभारित)

- (i) ₹ 13,224.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 870.84 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 45.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 915.84 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,431.02 लाख), अंतिम बचत (₹ 13,224.61 लाख) से ₹ 7,793.59 लाख कम था ।

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2049 ब्याज अदायगियाँ			
01 आंतरिक ऋण पर ब्याज			
200 अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज (गैर-योजना)			
0001 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गये कर्ज पर ब्याज (नाबार्ड)	35,095.02	35,095.02	0.00
मूल	40,000.00		
पुनर्वि०	(-)4,904.98		
₹ 4,904.98 लाख के प्रत्यर्पण, अनुमानित कर्ज की कम प्राप्ति होने के कारण हुई ।			
0002 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) तथा केन्द्रीय भंडारागार से लिये गये ऋण पर ब्याज	1,328.90	1,328.90	0.00
मूल	1,800.00		
पुनर्वि०	(-)471.10		
₹ 471.10 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
305 ऋण प्रबंधन (गैर-योजना)			
0001 पुराने ऋणों से सम्बन्धित व्यय	1,000.00	812.77	(-)187.23
मूल	1,000.00		
अंतिम बचत, बजट अनुमान से कम व्यय होने के कारण हुई ।			
0002 नये कर्ज से संबंधित व्यय	200.00	111.80	(-)88.20
मूल	200.00		
अंतिम बचत, बजट अनुमान से कम ऋण की प्राप्ति होने के कारण हुई ।			
03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज (गैर-योजना)			
0001 सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	52,861.88	52,800.00	(-)61.88
मूल	70,482.50		
पुनर्वि०	(-)17,620.62		
₹ 17,620.62 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में हुई कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
701 विविध (गैर-योजना)			
0002 जमींदारों को दिये गये मुआवजा-बंध-पत्रों पर ब्याज	50.00	0.42	(-)49.58
मूल	50.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

विनियोग संख्या - 13 - क्रमांत

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0003 विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय	2,100.00	1,935.84	(-)164.16
मूल	600.00		
पुनर्वि०	1,500.00		
₹ 1,500.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में हुई वृद्धि तथा अंतिम अधिक बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 विक्री कर वापसी के मामले में देय ब्याज	14.06	14.06	0.00
मूल	14.00		
अनुपूरक	45.00		
पुनर्वि०	(-)44.94		
₹ 44.94 लाख का प्रत्यर्पण, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वाणिज्य कर के पुनर्भुगतान पर देय ब्याज नहीं मांगे जाने के कारण हुई ।			
0008 भू-अर्जन मामलों में ब्याज का भुगतान	50.00	0.22	(-)49.78
मूल	50.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2049 ब्याज अदायगियाँ			
01 आंतरिक ऋण पर ब्याज			
123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (गैर-योजना)			
0001 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	2,20,307.65	2,21,426.88	(+)1,119.23
मूल	1,97,081.65		
पुनर्वि०	23,226.00		
₹ 23,226.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में हुई वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

विनियोग संख्या - 14- ऋण अदायगियाँ
(सभी प्रभारित)

कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------------	---------------------------------	------------------------------

पूँजी

मुख्य शीर्ष

6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

प्रभारित :

मूल	3,89,52,796	4,16,37,706	4,12,48,506	(-)3,89,200
अनुपूरक	26,84,910			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2016)

1

टीका एवं टिप्पणियाँ

पूँजीगत (प्रभारित)

- (i) ₹ 3,892.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 24,448.40 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 2,400.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 26,849.10 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 0.01 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,892.00 लाख) से ₹ 3,891.99 लाख कम था ।

विनियोग संख्या - 14 - क्रमांत:

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण		
00			
106	प्रतिकर तथा अन्य बंध-पत्र (गैर-योजना)		
0002	जमींदारी उन्मूलन हेतु मुआवजा बंध-पत्र	200.00	1.31
	मूल	200.00	
	अंतिम बचत, बजट अनुमान से कम व्यय होने के कारण हुई ।		(-)198.69
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		
02	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		
101	एकमुश्त कर्ज (गैर-योजना)		
0001	1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्ज	35,076.82	31,423.70
	मूल	33,076.82	
	अनुपूरक	2,000.00	
	अंतिम बचत, मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण हुई ।		(-)3,653.12

अनुदान संख्या - 15 - पेंशन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
दत्तमत :			
मूल	12,96,82,915	13,17,66,663	11,82,93,691
अनुपूरक	20,83,748		(-)1,34,72,972
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			169
(31 मार्च 2016)			
प्रभारित :			
मूल	1,13,735	1,13,735	10,877
अनुपूरक	0		(-) 1,02,858
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 1,34,729.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2015 (₹ 2.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 20,835.48 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 20,837.48 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1.69 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,34,729.72 लाख) से ₹ 1,34,728.03 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01 सिविल			
102 पेंशन का सारांशिकृत मूल्य (गैर-योजना)			
0001 उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	83,575.45	58,219.36	(-)25,356.09
मूल	83,575.45		
0002 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	10,282.68	150.14	(-)10,132.54
मूल	10,282.68		
104 उपादान (गैर-योजना)			
0001 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को अन्य उपादान का भुगतान	2,199.30	227.89	(-)1,971.41
मूल	2,199.30		
0002 उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का भुगतान	1,83,113.27	1,31,000.81	(-)52,112.46
मूल	1,83,113.27		
105 परिवार पेंशन (गैर-योजना)			
0001 15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को पारिवारिक पेंशन मूल	4,722.21	1,489.31	(-)3,232.90
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन (गैर-योजना)			
0001 गैर-सरकारी विद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन	138.86	0.00	(-)138.86
मूल	138.86		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
111 विधायकों को पेंशन (गैर-योजना)			
0002 बिहार विधानपरिषद् के पूर्व सदस्यगण को पेंशन	800.00	184.09	(-)615.91
मूल	800.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
115 छुट्टी नकदीकरण हितलाभ (गैर-योजना)			
0002 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगताने अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि	1,12,257.34	90,112.12	(-)22,145.22
मूल	1,12,257.34		
191 नगर निगम को सहायता (गैर-योजना)			
0001 शिक्षकों को रिटायर्ड पेंशन बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत अंशदान	60.00	17.81	(-)42.19
अनुपूरक	60.00		
197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर के पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 शिक्षकों को रिटायर्ड पेंशन बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत अंशदान	1,300.00	1,095.63	(-)204.37
अनुपूरक	1,300.00		
198 ग्राम पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 शिक्षकों को रिटायर्ड पेंशन बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत अंशदान	1,400.00	1,247.18	(-)152.82
अनुपूरक	1,400.00		
उपर्युक्त चार मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01 सिविल			
105 परिवार पेंशन (गैर-योजना)			
0002 उत्तरावर्ती बिहार से सेवानिवृत्त कर्मियों से संबंधित पारिवारिक पेंशन का भुगतान	32,377.30	43,448.66	(+)11,071.36
मूल	32,377.30		
111 विधायकों को पेंशन (गैर-योजना)			
0001 बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्यगण को पेंशन	1,397.06	1,624.74	(+)227.68
मूल	1,397.06		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 15 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
115 छुट्टी नकदीकरण हितलाभ (गैर-योजना)			
0001 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगतये अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि	505.47	603.32	(+)97.85
मूल	505.47		
192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 शिक्षकों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अंतर्गत अंशदान	31.00	97.34	(+)66.34
अनुपूरक	31.00		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

राजस्व (प्रभारित)

- (v) ₹ 1,028.58 लाख के अंतिम बचत देखते हुए राजस्व (प्रभारित) भाग के अंतर्गत ₹ 1,137.35 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (vi) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01 सिविल			
106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार (गैर-योजना)			
0001 भारतीय सर्विधान के अनुच्छेद 290 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय, अंशदान-प्रभृत	939.25	0.00	(-)939.25
मूल	939.25		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर हुए चिकित्सा व्यय-प्रभृत	128.10	101.57	(-)26.53
मूल	128.10		
0003 सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को घरेलू सहायता भत्ता (प्रभृत)	70.00	7.20	(-)62.80
मूल	70.00		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 16 - पंचायती राज विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2015 निर्वाचन			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3451 सचिवालय- आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	4,36,43,214	5,46,51,062	2,89,30,066
अनुपूरक	1,10,07,848		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,48,69,854
9 जुलाई 2015	77,94,290		
31 मार्च 2016	1,70,75,564		

पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय				
6515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज				
दत्तमत :				
मूल	2	20,002	0	(-)20,002
अनुपूरक	20,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				20,002
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 2,57,209.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 82,017.91 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 15,365.01 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 12,695.56 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,10,078.48 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,48,698.54 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,57,209.96 लाख) से ₹ 8,511.42 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0003 जिला पंचायत की स्थापना	18,078.51	17,987.47	(-)91.04
मूल	26,359.19		
पुनर्वि०	(-)8,280.68		
प्रावधान में ₹ 8,280.68 लाख की हुई कमी, ₹ 60.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 8,340.68 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 जिला पंचायत की स्थापना	320.97	320.97	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)679.03		
₹ 679.03 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
003 प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण	154.21	152.00	(-)2.21
मूल	297.79		
पुनर्वि०	(-)143.58		
₹ 143.58 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0304 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	0.00	0.00	0.00
मूल	513.05		
पुनर्वि०	(-)513.05		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101 पंचायती राज योजना (राज्य योजना)			
0110 पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास	0.00	0.00	0.00
मूल	22,782.24		
पुनर्वि०	(-)22,782.24		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0213 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (जिला घटक)(ए०सी०ए०)	226.35	221.42	(-)4.93
मूल	272.00		
पुनर्वि०	(-)45.65		
₹ 45.65 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0003 पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	1,413.04	1,327.69	(-)85.35
मूल	22,691.80		
पुनर्वि०	(-)21,278.76		
₹ 21,278.76 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0007 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	0.00	0.00	0.00
मूल	8,908.90		
पुनर्वि०	(-)8,908.90		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0308 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
197 प्रखंड पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	2,828.16	2,791.85	(-)36.31
मूल	45,383.60		
पुनर्वि०	(-)42,555.44		
₹ 42,555.44 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	0.00	0.00	0.00
मूल	17,208.80		
पुनर्वि०	(-)17,208.80		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	1,637.67	1,636.58	(-)1.09
मूल	1,606.00		
अनुपूरक	305.50		
पुनर्वि०	(-)273.83		
₹ 273.83 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0305 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	0.00	0.00	0.00
मूल	1,400.00		
पुनर्वि०	(-)1,400.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
198 ग्राम पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0009 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	0.00	0.00	0.00
मूल	75,298.30		
पुनर्वि०	(-)75,298.30		
₹ 97.92 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 75,200.38 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0010 ग्राम कचहरी की विभिन्न मदें	4,291.90	3,939.57	(-)352.33
मूल	4,534.92		
अनुपूरक	11,445.56		
पुनर्वि०	(-)11,688.58		
₹ 11,688.58 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0106 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	5,939.24	5,777.57	(-)161.67
मूल	6,260.00		
अनुपूरक	700.54		
पुनर्वि०	(-)1,021.30		
₹ 1,021.30 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0111 मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
मूल	1,250.00		
पुनर्वि०	(-)1,250.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0312 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण	0.00	0.00	0.00
मूल	16,007.88		
पुनर्वि०	(-)16,007.88		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0103	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	1,383.35	1,383.35	0.00
	मूल	1,400.00		
	अनुपूरक	143.48		
	पुनर्वि०	(-)160.13		
	₹ 160.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0104	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	1,324.66	1,308.70	(-)15.96
	मूल	1,400.00		
	अनुपूरक	143.48		
	पुनर्वि०	(-)218.82		
	₹ 218.82 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0105	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	308.57	308.57	0.00
	मूल	300.00		
	अनुपूरक	62.57		
	पुनर्वि०	(-)54.00		
	₹ 54.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0107	पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास मूल	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	11,245.76		
	(-)11,245.76			
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0108	मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम मूल	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	1,250.00		
	(-)1,250.00			
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
800	अन्य व्यय			
योजना	(राज्य योजना)			
0112	ग्राम कचहरी की विभिन्न मदें मूल	307.11	295.70	(-)11.41
	पुनर्वि०	773.92		
	(-)466.81			
	₹ 466.81 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 16 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹ 200.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान में पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 200.02 लाख का मूल प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वर्ष के दौरान इसका उपयोग नहीं किया गया ।

(v) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	------------------------------

6515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज

00

190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
(गैर-योजना)

0001	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० को कर्ज	0.00	0.00	0.00
------	--	------	------	------

अनुपूरक	200.00
---------	--------

पुनर्वि०	(-)200.00
----------	-----------

सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

**अनुदान संख्या - 17- वाणिज्य-कर विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
दत्तमत :			
मूल	13,10,010	13,12,460	9,02,201
अनुपूरक	2,450		(-)4,10,259
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			3,22,494
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 4,102.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 24.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,224.94 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,102.59 लाख) से ₹ 877.65 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 17 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
00			
001	निर्देशन और प्रशासन (गैर-योजना)		
0004	वाणिज्य-कर प्राधिकार	95.38	85.60 (-)9.78
	मूल	129.26	
	पुनर्वि०	(-)33.88	
	₹ 33.88 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।		
0005	मिशन मोड प्रोजेक्ट	175.27	175.27 0.00
	मूल	390.00	
	पुनर्वि०	(-)214.73	
	₹ 214.73 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।		
101	संग्रहण प्रभार (गैर-योजना)		
0001	जिला प्रभार	8,043.77	7,175.91 (-)867.86
	मूल	11,049.30	
	पुनर्वि०	(-)3,005.53	
	₹ 180.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 2,825.53 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।		
0002	भामाशाह सम्मान योजना	0.00	0.00 0.00
	मूल	74.55	
	पुनर्वि०	(-)74.55	
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, व्यवसायियों के चयन नहीं होने के कारण हुई ।		

**अनुदान संख्या - 18 - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार				
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं				
3456 सिविल पूर्ति				
दत्तमत :				
मूल	2,13,47,790	2,40,02,076	1,42,39,689	(-)97,62,387
अनुपूरक	26,54,286			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				97,50,208
18 अगस्त 2015	9,800			
31 मार्च 2016	97,40,408			

पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
दत्तमत :				
मूल	0	9,801	8,800	(-)1,001
अनुपूरक	9,801			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,001
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 97,623.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 21,977.04 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 3,448.40 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 1,117.42 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 26,542.86 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 97,502.08 लाख), अंतिम बचत (₹ 97,623.87 लाख) से ₹ 121.79 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) (₹ लाख में) बचत (-)
--------------	-------------------	----------------------	---

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

00

090 सचिवालय

(गैर-योजना)

0011 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	607.39	589.23	(-)18.16
---------------------------------------	--------	--------	----------

मूल	718.12
-----	--------

अनुपूरक	39.00
---------	-------

पुनर्वि०	(-)149.73
----------	-----------

₹ 149.73 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

3456 सिविल पूर्ति

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(गैर-योजना)

0001 मुख्यालय प्रभार	1,781.20	1,763.15	(-)18.05
----------------------	----------	----------	----------

मूल	1,000.00
-----	----------

अनुपूरक	3,410.01
---------	----------

पुनर्वि०	(-)2,628.81
----------	-------------

₹ 2,628.81 लाख का प्रत्यर्पण, माननीय मंत्री का आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

0002 जिला प्रभार	4,069.66	4,038.09	(-)31.57
------------------	----------	----------	----------

मूल	4,588.61
-----	----------

अनुपूरक	28.00
---------	-------

पुनर्वि०	(-)546.95
----------	-----------

₹ 546.95 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)	1,044.11	1,033.76	(-)10.35
-------------------------------------	----------	----------	----------

मूल	1,617.68
-----	----------

अनुपूरक	30.00
---------	-------

पुनर्वि०	(-)603.57
----------	-----------

₹ 603.57 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग	108.03	73.53	(-)34.50
-----------------------------	--------	-------	----------

मूल	106.13
-----	--------

अनुपूरक	42.65
---------	-------

पुनर्वि०	(-)40.75
----------	----------

₹ 40.75 लाख का प्रत्यर्पण, वाहनों का दर निर्धारित नहीं होने तथा कार्यालय परिसर की उपलब्धता नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0407 उपभोक्ता फोरम फेज-II का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	109.50		
पुनर्वि०	(-)109.50		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 सिविल पूर्ति योजना (गैर-योजना)			
0004 जन-वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण	640.83	640.83	0.00
मूल	750.00		
पुनर्वि०	(-)109.17		
₹ 109.17 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0407 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	45.08	36.75	(-)8.33
अनुपूरक	1,788.88		
पुनर्वि०	(-)1,743.80		
₹ 1,743.80 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0105 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	52.92	52.09	(-)0.83
मूल	20,000.00		
पुनर्वि०	(-)19,947.08		
₹ 4,791.64 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 15,155.44 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	56,104.71	56,104.71	0.00
मूल	1,39,919.39		
पुनर्वि०	(-)83,814.68		
₹ 17,476.36 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 66,338.32 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 उपभोक्ता सब्सिडी			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बी०पी०एल० परिवारों को न्यूनतम दर पर खाद्यान्न आपूर्ति	0.00	0.00	0.00
मूल	905.00		
पुनर्वि०	(-)905.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, माननीय मंत्री का आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
191 नगर निगम को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	0.35	0.35	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)49.65		
₹ 49.65 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	2.59	2.59	0.00
मूल	85.00		
पुनर्वि०	(-)82.41		
₹ 82.41 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र के समितियों या उनके समतुल्य को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	2.43	2.43	0.00
मूल	150.00		
पुनर्वि०	(-)147.57		
₹ 147.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
198 ग्राम पंचायतों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	10.75	10.75	0.00
मूल	250.00		
पुनर्वि०	(-)239.25		
₹ 239.25 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	13,497.69	13,497.69	0.00
मूल	21,216.34		
पुनर्वि०	(-)7,718.65		
₹ 7,718.65 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1,196.50	1,196.50	0.00
मूल	2,121.63		
पुनर्वि०	(-)925.13		
₹ 925.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार			
01 खाद्य			
101 प्रापण एवं पूर्ति			
योजना (राज्य योजना)			
0103 धान, चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता	62,267.99	62,267.99	0.00
मूल	20,000.00		
अनुपूरक	20,000.00		
पुनर्वि०	22,267.99		
प्रावधान में ₹ 22,267.99 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 22,268.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । प्रावधान में वृद्धि किसानों को आर्थिक सहायता पर हुई व्यय के कारण हुआ । प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 18 - क्रमांत

पूँजीगत (दत्तमत)

(v) ₹ 10.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के पूँजी प्रभाग दिसम्बर 2015 (₹ 0.01 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 98.00 लाख) में ₹ 98.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(vi) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	------------------------------

5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

00

051 निर्माण

योजना (राज्य योजना)

0102	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय का आधुनिकीकरण	88.00	88.00	0.00
	अनुपूरक	98.01		
	पुनर्वि०	(-)10.01		

₹ 10.01 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

**अनुदान संख्या - 19 - पर्यावरण एवं वन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी				
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं				
दत्तमत :				
मूल	22,99,651	32,22,002	27,36,442	(-)4,85,560
अनुपूरक	9,22,351			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,39,509
(31 मार्च 2016)				

पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
4406 वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय				
6406 वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज				
दत्तमत :				
मूल	20,001	2,42,651	1,49,342	(-)93,309
अनुपूरक	2,22,650			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				93,309
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 4,855.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 8,131.70 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 84.35 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 1,007.46 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 9,223.51 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,395.09 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,855.60 लाख) से ₹ 460.51 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01 वानिकी			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0103 पथ तट फार्म	1,000.82	1,000.82	0.00
मूल	500.43		
अनुपूरक	625.00		
पुनर्वि०	(-)124.61		
₹ 90.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 34.61 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0103 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	125.79	98.63	(-)27.16
मूल	125.79		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
800 अन्य व्यय			
योजना (राज्य योजना)			
0101 नहर तट फार्म	1,527.10	1,500.03	(-)27.07
मूल	767.97		
अनुपूरक	1,500.00		
पुनर्वि०	(-)740.87		
₹ 191.50 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 549.37 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0105 पथ तट फार्म	4,953.89	4,953.89	0.00
मूल	5,349.57		
अनुपूरक	1,675.00		
पुनर्वि०	(-)2,070.68		
₹ 1,310.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 760.68 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
02 पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीव			
110 वन्य जीव परिरक्षण			
योजना (राज्य योजना)			
0223 एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास	75.87	66.48	(-)9.39
मूल	37.00		
अनुपूरक	125.69		
पुनर्वि०	(-)86.82		
₹ 86.82 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0224 व्याघ्र परियोजना	200.46	200.46	0.00
मूल	235.00		
अनुपूरक	65.30		
पुनर्वि०	(-)99.84		
₹ 99.84 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
04 वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
101 राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम			
योजना (राज्य योजना)			
0301 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	334.35	0.00	(-)334.35
अनुपूरक	334.35		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0302 राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण	31.67	31.67	0.00
मूल	15.00		
अनुपूरक	43.80		
पुनर्वि०	(-)27.13		
₹ 27.13 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय			
(गैर-योजना)			
0006 पर्यावरण एवं वन विभाग	366.30	366.16	(-)0.14
मूल	436.51		
पुनर्वि०	(-)70.21		
₹ 70.21 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 19 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹ 933.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 2,000.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 226.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,226.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4406 वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय			
01 वानिकी			
070 संचार तथा भवन			
योजना (राज्य योजना)			
0101 सड़क और पुल	252.98	242.03	(-)10.95
मूल	0.01		
अनुपूरक	300.00		
पुनर्वि०	(-)47.03		

₹ 47.03 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

(vi) अधिक व्यय (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4406 वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय			
01 वानिकी			
070 संचार तथा भवन			
योजना (राज्य योजना)			
0102 भवन	1,013.94	1,024.89	(+)10.95
मूल	200.00		
अनुपूरक	1,700.00		
पुनर्वि०	(-)886.06		

₹ 886.06 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या - 20 - स्वास्थ्य विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211 परिवार कल्याण			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	3,51,00,113	4,49,60,292	3,53,19,724
अनुपूरक	98,60,179		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			64,88,828
27 नवम्बर 2015	9,58,319		
31 मार्च 2016	55,30,509		

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :			
मूल	1,46,16,596	1,65,86,346	1,07,90,319
अनुपूरक	19,69,750		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			57,93,707
27 नवम्बर 2015	50,27,496		
31 मार्च 2016	7,66,211		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 96,405.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 14.48 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 61,162.21 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 37,425.10 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 98,601.79 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 64,888.28 लाख), अंतिम बचत (₹ 96,405.68 लाख) से ₹ 31,517.40 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 स्वास्थ्य निदेशालय	1,724.55	1,511.89	(-)212.66
मूल	1,878.01		
पुनर्वि०	(-)153.46		
प्रावधान में ₹ 153.46 लाख की हुई कमी, ₹ 51.20 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 204.66 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 जिला चिकित्सा पदाधिकारी	3,806.81	3,044.43	(-)762.38
मूल	3,314.73		
अनुपूरक	475.19		
पुनर्वि०	16.89		
प्रावधान में ₹ 16.89 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 400.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 383.11 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 अंधेपन की रोकथाम	1,049.85	1,033.73	(-)16.12
मूल	1,476.67		
पुनर्वि०	(-)426.82		
₹ 426.82 लाख का प्रत्यर्पण, जिलों से मांग नहीं भेजे जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
110 अस्पताल तथा औषधालय (गैर-योजना)			
0004 नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	6,725.34	6,443.94	(-)281.40
मूल	5,770.03		
अनुपूरक	1,397.14		
पुनर्वि०	(-)441.83		
₹ 441.83 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0006 मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	3,508.27	3,495.33	(-)12.94
मूल	3,361.71		
अनुपूरक	1,004.40		
पुनर्वि०	(-)857.84		
₹ 626.84 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 231.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0010 इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना	2,192.97	1,995.50	(-)197.47
मूल	3,154.34		
पुनर्वि०	(-)961.37		
₹ 961.37 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0011 संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	201.17	199.57	(-)1.60
मूल	234.92		
पुनर्वि०	(-)33.75		
प्रावधान में ₹ 33.75 लाख की हुई कमी, ₹ 6.60 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 40.35 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0013 सदर एवं अनुमंडल अस्पताल	27,201.24	23,374.96	(-)3,826.28
मूल	23,679.53		
अनुपूरक	4,100.00		
पुनर्वि०	(-)578.29		
प्रावधान में ₹ 578.29 लाख की हुई कमी, ₹ 1,400.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 273.08 लाख और प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,705.21 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0019 रोगी कल्याण समितियों हेतु	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0021 वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान चिकित्सालय, पावापुरी की स्थापना	235.85	235.85	0.00
अनुपूरक	704.06		
पुनर्वि०	(-)468.21		
₹ 468.21 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
200 अन्य स्वास्थ्य योजनाएं (गैर-योजना)			
0002 कुष्ठ निरोधक कार्यक्रम	4,698.42	3,932.98	(-)765.44
मूल	5,078.32		
पुनर्वि०	(-)379.90		
₹ 66.04 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 313.86 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0006 विधायक अस्पताल, पटना	133.52	115.97	(-)17.55
मूल	150.54		
पुनर्वि०	(-)17.02		
₹ 17.02 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0008 रक्त भंडार	244.72	240.67	(-)4.05
मूल	392.28		
पुनर्वि०	(-)147.56		
₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 97.56 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0209 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	10,000.00	10,000.00	0.00
मूल	10,000.00		
अनुपूरक	7,083.19		
पुनर्वि०	(-)7,083.19		
₹ 7,083.19 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0301 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	5,100.00	5,100.00	0.00
मूल	5,000.00		
अनुपूरक	1,600.00		
पुनर्वि०	(-)1,500.00		
₹ 1,500.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101 आयुर्वेद			
(गैर-योजना)			
0004 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना	453.28	453.28	0.00
मूल	385.54		
अनुपूरक	122.43		
पुनर्वि०	(-)54.69		
₹ 54.69 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
200 अन्य पद्धतियाँ			
योजना (राज्य योजना)			
0202 औषधीय पौधे संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	1,347.10		
पुनर्वि०	(-)1,347.10		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
101 स्वास्थ्य उप-केन्द्र (गैर-योजना)			
0003 स्वास्थ्य उप केंद्र	4,379.01	3,324.60	(-)1,054.41
मूल	6,186.66		
पुनर्वि०	(-)1,807.65		
₹ 1,328.11 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 479.54 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)			
0001 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	82,876.82	74,848.01	(-)8,028.81
मूल	88,602.41		
पुनर्वि०	(-)5,725.59		
₹ 1,784.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 3,941.59 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
110 अस्पताल तथा औषधालय योजना (राज्य योजना)			
0203 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	24,206.04	24,206.04	0.00
मूल	8,658.00		
अनुपूरक	50,000.00		
पुनर्वि०	(-)34,451.96		
₹ 34,451.96 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सा विमुक्त नहीं किए जाने के कारण हुई ।			
0204 राष्ट्रीय एड्स तथा यौनसंचारी रोग नियंत्रक कार्यक्रम	1,146.39	1,146.39	0.00
मूल	1,575.58		
पुनर्वि०	(-)429.19		
₹ 429.19 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सा विमुक्त नहीं किए जाने के कारण हुई ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0302 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	4,174.96	4,174.96	0.00
मूल	4,000.00		
अनुपूरक	1,174.96		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
₹ 1,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101 आयुर्वेद (गैर-योजना)			
0002 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय	1,093.30	1,093.30	0.00
मूल	1,228.39		
पुनर्वि०	(-)135.09		
₹ 135.09 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 होम्योपैथी (गैर-योजना)			
0001 होम्योपैथी औषधालय	437.58	419.34	(-)18.24
मूल	497.93		
पुनर्वि०	(-)60.35		
₹ 60.35 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 यूनानी (गैर-योजना)			
0001 यूनानी औषधालय	288.03	277.86	(-)10.17
मूल	557.51		
पुनर्वि०	(-)269.48		
₹ 269.48 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
200 अन्य पद्धतियाँ			
योजना (राज्य योजना)			
0203 राष्ट्रीय आयुष मिशन सहित औपधीय पौधे संबंधित मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	597.90		
पुनर्वि०	(-)597.90		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
05 चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
101 आयुर्वेद (गैर-योजना)			
0002 आयुर्वेद कॉलेज, पटना	773.85	750.29	(-)23.56
मूल	887.69		
अनुपूरक	56.38		
पुनर्वि०	(-)170.22		
₹ 170.22 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
105 एलोपैथी (गैर-योजना)			
0001 पटना मेडिकल कॉलेज	7,429.57	6,894.57	(-)535.00
मूल	7,876.60		
अनुपूरक	992.41		
पुनर्वि०	(-)1,439.44		
₹ 750.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 689.44 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0008 श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	2,230.97	2,216.20	(-)14.77
मूल	2,623.50		
पुनर्वि०	(-)392.53		
₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 342.53 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0009 दंत चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	361.80	360.09	(-)1.71
मूल	479.17		
पुनर्वि०	(-)117.37		
₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 67.37 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0012 नर्स-प्रशिक्षण	691.96	652.57	(-)39.39
मूल	795.31		
अनुपूरक	222.35		
पुनर्वि०	(-)325.70		
₹ 325.70 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0013 फार्मसी-प्रशिक्षण	137.38	137.38	0.00
मूल	209.21		
पुनर्वि०	(-)71.83		
₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 21.83 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0022 वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज, पावापुरी	1,316.61	1,311.48	(-)5.13
मूल	1,705.40		
पुनर्वि०	(-)388.79		
₹ 388.79 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0023 राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया	1,571.43	1,546.39	(-)25.04
मूल	1,850.02		
अनुपूरक	349.56		
पुनर्वि०	(-)628.15		
प्रावधान में ₹ 628.15 लाख की हुई कमी, ₹ 30.87 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 659.02 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0024 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा	357.69	22.87	(-)334.82
मूल	388.56		
पुनर्वि०	(-)30.87		
₹ 30.87 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
06 लोक स्वास्थ्य			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 अधीक्षण	676.00	644.30	(-)31.70
मूल	910.12		
पुनर्वि०	(-)234.12		
₹ 234.12 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
003 प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0002 जन स्वास्थ्य संस्थान	803.52	777.91	(-)25.61
मूल	1,555.10		
पुनर्वि०	(-)751.58		
₹ 171.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 580.58 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण (गैर-योजना)			
0003 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	2,986.06	2,222.71	(-)763.35
मूल	3,724.68		
पुनर्वि०	(-)738.62		
₹ 400.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 338.62 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0012 महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना	164.01	105.11	(-)58.90
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)335.99		
₹ 335.99 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण (गैर-योजना)			
0001 खाद्य नियंत्रक स्थापना	264.09	189.29	(-)74.80
मूल	324.10		
पुनर्वि०	(-)60.01		
₹ 60.01 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
107 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (गैर-योजना)			
0001 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ	431.45	383.58	(-)47.87
मूल	462.08		
पुनर्वि०	(-)30.63		
₹ 30.63 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
113 लोक स्वास्थ्य प्रचार (गैर-योजना)			
0001 प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन	41.85	38.35	(-)3.50
मूल	64.46		
पुनर्वि०	(-)22.61		
₹ 22.61 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2211 परिवार कल्याण			
00 निदेशन और प्रशासन			
योजना (राज्य योजना)			
0104 मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	3,060.00	2,209.20	(-)850.80
मूल	2,800.00		
अनुपूरक	270.00		
पुनर्वि०	(-)10.00		
₹ 10.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
003 प्रशिक्षण			
योजना (राज्य योजना)			
0106 मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	1,440.00	710.24	(-)729.76
मूल	900.00		
अनुपूरक	530.00		
पुनर्वि०	10.00		
प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 15.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 5.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (गैर-योजना)			
0001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र मूल	6,932.65 6,932.65	4,770.63	(-)2,162.02
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0105 मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मूल	36,013.00 30,013.00	28,230.77	(-)7,782.23
अनुपूरक	6,000.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 शहरी परिवार कल्याण सेवाएं योजना (राज्य योजना)			
0102 मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मूल	320.00 270.00	219.53	(-)100.47
अनुपूरक	50.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
0001 मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य मूल	522.77 522.77	366.68	(-)156.09
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05 चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105 एलोपैथी (गैर-योजना)			
0005 नालन्दा मेडिकल कॉलेज मूल	4,074.04 3,233.36	3,802.71	(-)271.33
पुनर्वि०	840.68		
प्रावधान में ₹ 840.68 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,170.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 251.50 लाख और प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 77.82 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0007 मगध मेडिकल कॉलेज	2,558.41	2,558.11	(-)0.30
मूल	2,203.57		
पुनर्वि०	354.84		
प्रावधान में ₹ 354.84 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 443.79 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 88.95 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

पूँजी (दत्तमत)

- (v) ₹ 57,960.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 19,697.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 57,937.07 लाख), अंतिम बचत (₹ 57,960.27 लाख) से ₹ 23.20 लाख कम था ।
- (vii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0103 जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं	0.00	0.00	0.00
आवासीय भवनों का निर्माण			
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
110 अस्पताल तथा औषधालय			
योजना (राज्य योजना)			
0113 जिला, अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	525.73	525.73	0.00
मूल	700.00		
पुनर्वि०	(-)174.27		
₹ 174.27 लाख का प्रत्यर्पण, मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (अगस्त 2016) ।			
200 अन्य स्वास्थ्य योजनाएं			
योजना (राज्य योजना)			
0301 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
110 अस्पताल तथा औषधालय			
योजना (राज्य योजना)			
0203 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	50,000.00		
पुनर्वि०	(-)50,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0303 एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	174.96		
पुनर्वि०	(-)174.96		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105 एलोपैथी			
योजना (राज्य योजना)			
0108 स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम-(ई०ए०पी०)योजना	7,719.80	7,719.80	0.00
मूल	12,866.00		
पुनर्वि०	(-)5,146.20		
₹ 5,146.20 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 21 - शिक्षा विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2202 सामान्य शिक्षा			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	20,75,99,147	24,45,53,116	18,64,14,068
अनुपूरक	3,69,53,969		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			11,64,514
3 जुलाई 2015	3,41,014		
21 जनवरी 2016	6,73,500		
11 फरवरी 2016	1,50,000		

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	1,26,80,526	1,28,30,526	52,53,800	(-)75,76,726
अनुपूरक	1,50,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				30,00,000
(20 जुलाई 2015)				

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 5,81,390.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 1,80,286.47 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 1,18,127.68 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 71,125.54 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,69,539.69 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान ₹ 11,645.14 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,81,390.48 लाख) से ₹ 5,69,745.34 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2202 सामान्य शिक्षा			
01 प्रारंभिक शिक्षा			
001 निदेशन और प्रशासन			
योजना (राज्य योजना)			
0101 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	50.00	0.00	(-)50.00
मूल	50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0106 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	1,200.00	584.24	(-)615.76
मूल	1,200.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
003 प्रशिक्षण			
(गैर-योजना)			
0001 बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण	50.00	0.00	(-)50.00
मूल	50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(गैर-योजना)			
0001 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	4,53,030.18	3,28,985.68	(-)1,24,044.50
मूल	4,57,946.70		
पुनर्वि०	(-)4,916.52		
₹ 4,916.52 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
(गैर-योजना)			
0001 गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	3,168.35	2,171.94	(-)996.41
मूल	2,500.00		
पुनर्वि०	668.35		
₹ 668.35 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में	1,500.00	0.00	(-)1,500.00
प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि			
मूल	1,500.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
104 निरीक्षण (गैर-योजना)			
0001 निरीक्षण	13,897.01	11,023.25	(-)2,873.76
मूल	13,697.01		
पुनर्वि०	200.00		
₹ 200.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
107 अध्यापक प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	373.07	372.59	(-)0.48
मूल	4,063.00		
पुनर्वि०	(-)3,689.93		
प्रावधान में ₹ 3,689.93 लाख की हुई कमी, ₹ 373.07 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,015.74 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 3,047.26 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
109 छात्रवृत्तियाँ तथा प्रोत्साहन (गैर-योजना)			
0004 प्रोत्साहन हेतु विद्यालयों में सामाजिक उत्सव	1,740.00	0.00	(-)1,740.00
मूल	1,740.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	5,845.00	4,648.11	(-)1,196.89
मूल	5,845.00		
111 सर्व शिक्षा अभियान (राज्य योजना)			
0101 सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	6,555.88	631.45	(-)5,924.43
मूल	6,555.88		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0201 सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	4,75,218.45	3,77,217.80	(-)98,000.65
मूल	4,76,918.00		
पुनर्वि०	(-)1,699.55		
₹ 1,699.55 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0002 मध्याह्न भोजन योजना-स्थापना	458.00	267.50	(-)190.50
मूल	358.00		
पुनर्वि०	100.00		
₹ 100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0203 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम०डी०एम०)	1,71,382.34	1,20,013.29	(-)51,369.05
मूल	15,918.00		
अनुपूरक	1,40,698.29		
पुनर्वि०	14,766.05		
₹ 14,766.05 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
192 नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3,521.23	2,205.58	(-)1,315.65
मूल	2,106.00		
अनुपूरक	1,415.23		
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य को सहायता (गैर-योजना)			
0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	4,783.26	3,300.34	(-)1,482.92
मूल	2,860.80		
अनुपूरक	1,922.46		
197 प्रखंड पंचायत/मध्य स्तर पंचायत को सहायता (गैर-योजना)			
0002 प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	1,06,868.89	89,045.93	(-)17,822.96
मूल	63,916.80		
अनुपूरक	42,952.09		
उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0102 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	19,000.00	11,300.68	(-)7,699.32
मूल	20,000.00		
अनुपूरक	4,000.00		
पुनर्वि०	(-)5,000.00		
₹ 5,000.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0306 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम०डी०एम०)	72,736.23	72,736.23	0.00
मूल	52,266.00		
अनुपूरक	33,536.73		
पुनर्वि०	(-)13,066.50		
₹ 13,066.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0308 सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	70,346.01	70,346.01	0.00
मूल	93,510.01		
पुनर्वि०	(-)23,164.00		
₹ 23,164.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0109 सर्व शिक्षा अभियान	11,816.65	11,816.65	0.00
मूल	15,754.65		
पुनर्वि०	(-)3,938.00		
₹ 3,938.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
02 माध्यमिक शिक्षा			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0002 जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी	3,806.37	3,009.69	(-)796.68
मूल	3,606.37		
पुनर्वि०	200.00		
₹ 200.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0003 क्षेत्रीय उपनिदेशक एवं अन्य पदाधिकारी	634.52	553.38	(-)81.14
मूल	627.52		
पुनर्वि०	7.00		
₹ 7.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	8,707.42	5,409.58	(-)3,297.84
मूल	6,170.02		
अनुपूरक	750.00		
पुनर्वि०	1,787.40		
₹ 1,787.40 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101 निरीक्षण (गैर-योजना)			
0001 निरीक्षिका	513.56	380.82	(-)132.74
मूल	513.56		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 अनौपचारिक शिक्षा योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	500.00	0.00	(-)500.00
मूल	500.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
107 छात्रवृत्तियाँ योजना (राज्य योजना)			
0105 मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	21,270.78	16,357.49	(-)4,913.29
मूल	15,000.00		
अनुपूरक	4,018.11		
पुनर्वि०	2,252.67		
₹ 2,252.67 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0106 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	20,427.27	16,783.74	(-)3,643.53
मूल	15,000.00		
अनुपूरक	5,427.27		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0107 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	15,798.56	13,475.37	(-)2,323.19
मूल	13,709.47		
अनुपूरक	2,777.92		
पुनर्वि०	(-)688.83		
₹ 688.83 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय (गैर-योजना)			
0001 अन्य विद्यालय	1,05,708.95	82,296.87	(-)23,412.08
मूल	1,05,708.95		
योजना (राज्य योजना)			
0105 आई०सी०टी० परियोजना	2,500.00	15.75	(-)2,484.25
मूल	2,500.00		
0307 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	2,500.00	1,933.54	(-)566.46
मूल	2,500.00		
उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0308 ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में 6000	3,000.00	0.00	(-)3,000.00
आदर्श विद्यालयों की स्थापना की स्कीम			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
₹ 1,000.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
110 अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)			
0002 सैनिक विद्यालय	100.00	12.21	(-)87.79
मूल	100.00		
0007 गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता	31,912.75	28,500.00	(-)3,412.75
मूल	28,500.00		
अनुपूरक	3,412.75		
योजना (राज्य योजना)			
0209 मदरसों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तों को शिक्षा प्रदान कराने की स्कीम	18,056.00	1,564.22	(-)16,491.78
मूल	18,056.00		
उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
191 नगर निगमों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	2,674.92	2,271.69	(-)403.23
मूल	1,543.08		
अनुपूरक	1,131.84		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	4,810.60	2,671.30	(-)2,139.30
मूल	3,280.32		
अनुपूरक	1,528.80		
पुनर्वि०	1.48		
₹ 1.48 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0003 पुस्तकालयाध्यक्षों के समेकित भुगतान हेतु	374.04	254.46	(-)119.58
मूल	245.52		
अनुपूरक	128.52		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
192 नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3,541.37	2,277.30	(-)1,264.07
मूल	1,795.20		
अनुपूरक	1,366.20		
पुनर्वि०	379.97		
₹ 379.97 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3,700.32	2,588.10	(-)1,112.22
मूल	2,164.32		
अनुपूरक	1,536.00		
0003 पुस्तकालयाध्यक्षों के समेकित भुगतान हेतु	297.96	185.13	(-)112.83
मूल	195.36		
अनुपूरक	102.60		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
193 नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समकक्ष संस्थाओं को सहायता (गैर-योजना)			
0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3,493.89	2,601.43	(-)892.46
मूल	1,882.32		
अनुपूरक	1,587.60		
पुनर्वि०	23.97		
₹ 23.97 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	2,794.80	1,784.54	(-)1,010.26
मूल	1,555.20		
अनुपूरक	1,239.60		
0003 पुस्तकालयाध्यक्षों के समेकित भुगतान हेतु	277.56	178.61	(-)98.95
मूल	166.32		
अनुपूरक	111.24		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
196 जिला परिषद/जिला स्तर पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	48,984.10	34,683.05	(-)14,301.05
मूल	31,616.64		
अनुपूरक	17,774.64		
पुनर्वि०	(-)407.18		
₹ 407.18 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु	21,157.52	13,576.80	(-)7,580.72
मूल	12,483.36		
अनुपूरक	8,672.40		
पुनर्वि०	1.76		
₹ 1.76 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0003 पुस्तकालयाध्यक्षों के समेकित भुगतान हेतु	4,453.20	3,006.92	(-)1,446.28
मूल	2,692.80		
अनुपूरक	1,760.40		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	8,410.00	3,710.08	(-)4,699.92
मूल	9,100.00		
अनुपूरक	1,562.67		
पुनर्वि०	(-)2,252.67		
₹ 2,252.67 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0102 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	8,338.02	3,646.64	(-)4,691.38
मूल	9,000.00		
अनुपूरक	1,588.02		
पुनर्वि०	(-)2,250.00		
₹ 2,250.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	3,012.27	1,907.89	(-)1,104.38
मूल	2,500.00		
अनुपूरक	512.27		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0305 ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में 6000	5,395.50	0.00	(-)5,395.50
आदर्श विद्यालयों की स्थापना की स्कीम			
मूल	7,194.00		
पुनर्वि०	(-)1,798.50		
₹ 1,798.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0003 सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन	800.00	610.36	(-)189.64
मूल	800.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन और प्रशासन	914.39	666.22	(-)248.17
मूल	926.29		
पुनर्वि०	(-)11.90		
₹ 11.90 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 विश्वविद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 पटना विश्वविद्यालय	20,067.32	16,269.10	(-)3,798.22
मूल	20,067.32		
0002 मगध विश्वविद्यालय	70,855.65	54,101.34	(-)16,754.31
मूल	70,855.65		
0003 बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय	40,510.96	31,181.52	(-)9,329.44
मूल	40,510.96		
उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा	16,688.75	12,084.67	(-)4,604.08
मूल	16,748.75		
पुनर्वि०	(-)60.00		
₹ 60.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0005 वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	20,637.11	14,957.37	(-)5,679.74
मूल	20,637.11		
0008 बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	24,360.82	18,959.75	(-)5,401.07
मूल	24,360.82		
0009 भागलपुर विश्वविद्यालय	39,575.61	31,303.57	(-)8,272.04
मूल	39,575.61		
0011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	42,553.57	31,473.81	(-)11,079.76
मूल	42,553.57		
0016 मौलाना मजहूरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	252.00	208.32	(-)43.68
मूल	252.00		
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	8,505.10	1,766.50	(-)6,738.60
मूल	12,500.02		
अनुपूरक	6,735.00		
पुनर्वि०	(-)10,729.92		
₹ 2,494.92 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 8,235.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0117 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	300.00	0.00	(-)300.00
मूल	300.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0118 राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु मूल	3,500.00 3,500.00	688.00	(-)2,812.00
0323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मूल	7,500.00 7,500.00	1,233.18	(-)6,266.82
103 राजकीय कॉलेज तथा संस्थान (गैर-योजना)			
0003 राजकीय महिला महाविद्यालय मूल	860.63 860.63	721.56	(-)139.07
उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मूल	45.06 483.78	45.06	0.00
पुनर्वि०	(-)438.72		
प्रावधान में ₹ 438.72 लाख की हुई कमी, ₹ 120.91 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 45.06 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 362.87 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
107 छात्रवृत्तियाँ योजना (राज्य योजना)			
0104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना मूल	6,462.43 3,741.89	2,298.33	(-)4,164.10
अनुपूरक	1,569.11		
पुनर्वि०	1,151.43		
₹ 1,151.43 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
04 प्रौढ़ शिक्षा			
200 अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0001 जिला जन शिक्षा कार्यालय मूल	692.22 692.22	489.22	(-)203.00
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 प्रौढ़ शिक्षा मूल	17,329.91 12,500.00	17,329.91	0.00
अनुपूरक	6,943.91		
पुनर्वि०	(-)2,114.00		
प्रावधान में ₹ 2,114.00 लाख की हुई कमी, ₹ 386.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,500.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	10,619.70	6,633.00	(-)3,986.70
मूल	4,442.00		
अनुपूरक	6,177.70		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 प्रौढ़ शिक्षा	8,796.13	8,796.00	(-)0.13
मूल	10,296.13		
अनुपूरक	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,500.00		
₹ 2,500.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
05 भाषा विकास			
103 संस्कृत शिक्षा			
(गैर-योजना)			
0002 राजकीय संस्कृत विद्यालय	328.50	203.99	(-)124.51
मूल	328.50		
0003 गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय	15,000.00	8,318.19	(-)6,681.81
मूल	15,000.00		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
200 अन्य भाषाओं की शिक्षा			
(गैर-योजना)			
0001 मदरसा इस्लामिया समसुल होदा	196.50	125.13	(-)71.37
मूल	196.50		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 गैर सरकारी मदरसा	32,543.03	21,437.72	(-)11,105.31
मूल	30,000.00		
पुनर्वि०	2,543.03		
₹ 2,543.03 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
80 सामान्य			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 मुख्यालय स्थापना	599.42	499.12	(-)100.30
मूल	584.41		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	15.00		
₹ 15.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	3,125.39	1,066.65	(-)2,058.74
मूल	4,100.00		
पुनर्वि०	(-)974.61		
₹ 974.61 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
003 प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0007 प्रखंड शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान	270.95	139.91	(-)131.04
अनुपूरक	203.24		
पुनर्वि०	67.71		
₹ 67.71 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0104 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान विकास(बाह्य संपोषित परियोजना)	11,219.00	5,532.07	(-)5,686.93
मूल	11,219.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
004 अनुसंधान (गैर-योजना)			
0003 जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना	168.29	132.18	(-)36.11
मूल	168.29		
0004 मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान	152.08	124.28	(-)27.80
मूल	152.08		
0018 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	913.00	657.18	(-)255.82
मूल	913.00		
उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0106 ए०एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	50.00	0.00	(-)50.00
मूल	50.00		
0108 ललित नारायण मिश्र इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंजेज	100.00	0.00	(-)100.00
मूल	100.00		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
00			
104 खेल-कूद			
योजना (राज्य योजना)			
0108 बिहार सवजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग कार्यक्रम	450.00	0.00	(-)450.00
मूल	450.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2205 कला एवं संस्कृति			
00			
105 सार्वजनिक पुस्तकालय (गैर-योजना)			
0001 सार्वजनिक पुस्तकालय	167.93	110.59	(-)57.34
मूल	151.83		
पुनर्वि०	16.10		
₹ 16.10 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 प्रमंडलीय पुस्तकालय-सहायक अनुदान	27.00	0.00	(-)27.00
मूल	27.00		
0005 जिला केन्द्रीय पुस्तकालय-सहायक अनुदान	44.27	0.00	(-)44.27
मूल	44.27		
0011 राजा राम मोहन राय पुस्तकालय-प्रतिष्ठान, कलकत्ता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि में राज्य सरकार का अनुदान	40.00	0.00	(-)40.00
मूल	40.00		
उपर्युक्त तीन मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

00

090 सचिवालय
(गैर-योजना)

0002 शिक्षा विभाग 805.62 561.90 (-)243.72
मूल 805.62

अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारंभिक शिक्षा

001 निदेशन और प्रशासन

योजना (राज्य योजना)

0105 शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक 1,188.61 878.07 (-)310.54
महोत्सव का आयोजन

मूल 600.00

पुनर्वि० 588.61

₹ 588.61 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है
(अगस्त 2016) ।

109 छात्रवृत्तियाँ तथा प्रोत्साहन

योजना (राज्य योजना)

0101 मुख्यमंत्री पोशाक योजना 43,387.00 39,045.30 (-)4,341.70
मूल 20,000.00

अनुपूरक 2,800.00

पुनर्वि० 20,587.00

₹ 20,587.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है
(अगस्त 2016) ।

0102 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना 30,893.34 24,856.01 (-)6,037.33
मूल 20,000.00

अनुपूरक 493.34

पुनर्वि० 10,400.00

₹ 10,400.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है
(अगस्त 2016) ।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
02 माध्यमिक शिक्षा			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	1,095.43	1,021.68	(-)73.75
मूल	887.68		
पुनर्वि०	207.75		
₹ 207.75 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
80 सामान्य			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0002 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	153.08	138.07	(-)15.01
मूल	89.82		
पुनर्वि०	63.26		
₹ 63.26 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
004 अनुसंधान (गैर-योजना)			
0001 राष्ट्रभाषा पर्षद	253.12	253.12	0.00
मूल	214.12		
पुनर्वि०	39.00		
₹ 39.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0007 के०पी० जायसवाल शोध संस्थान, पटना	208.33	198.74	(-)9.59
मूल	167.84		
पुनर्वि०	40.49		
₹ 40.49 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹ 75,767.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 1,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 30,000.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 75,767.26 लाख) से ₹ 45,767.26 लाख कम था ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01 सामान्य शिक्षा			
202 माध्यमिक शिक्षा			
योजना (राज्य योजना)			
0103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	14,157.25	13,623.76	(-)533.49
मूल	29,157.25		
पुनर्वि०	(-)15,000.00		
₹ 15,000.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0110 राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के भवन-बाह्य संपोषित परियोजना (ई०ए०पी०)	65,000.00	29,606.59	(-)35,393.41
मूल	65,000.00		
0211 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	5,437.00	4,461.06	(-)975.94
मूल	5,437.00		
203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
योजना (राज्य योजना)			
0207 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	6,910.00	1,742.60	(-)5,167.40
मूल	6,910.00		
उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
600 सामान्य			
योजना (राज्य योजना)			
0103 जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना	100.00	0.00	(-)100.00
मूल	100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	5,000.00	1,404.00	(-)3,596.00
मूल	20,000.00		
पुनर्वि०	(-)15,000.00		
₹ 15,000.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 22 - गृह विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2055 पुलिस			
2056 जेल			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
दत्तमत :			
मूल	5,70,05,421	6,17,07,230	5,54,78,731 (-)62,28,499
अनुपूरक	47,01,809		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			39,55,512
9 फरवरी 2016	23,080		
31 मार्च 2016	39,32,432		
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	47,85,058	57,70,634	42,14,984 (-)15,55,650
अनुपूरक	9,85,576		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			7,43,558
25 नवम्बर 2015	3,24,176		
14 जनवरी 2016	2,00,000		
31 मार्च 2016	2,19,382		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 62,284.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 199.60 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 38,065.30 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 8,753.19 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 47,018.09 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 39,555.12 लाख), अंतिम बचत (₹ 62,284.99 लाख) से ₹ 22,729.87 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	--------------------------

2014 न्याय प्रशासन

00

114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (कार्डसिल)
(गैर-योजना)

0004	अभियोजन निदेशालय	3,497.88	3,474.98	(-)22.90
	मूल	4,138.05		
	अनुपूरक	42.73		
	पुनर्वि०	(-)682.90		

₹ 452.10 लाख का प्रत्यर्पण प्रोन्नति के बकाये वेतन, स्थानांतरण यात्रा-भत्तों का भुगतान न होने तथा मशीन खरीद की स्वीकृति आदेश न होने के कारण हुई । ₹ 230.80 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

00

090 सचिवालय
(गैर-योजना)

0002	गृह (विशेष) विभाग	1,034.68	1,033.03	(-)1.65
	मूल	1,289.42		
	अनुपूरक	0.01		
	पुनर्वि०	(-)254.75		

₹ 254.75 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा अन्य विभागों में स्थानांतरण के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

092 अन्य कार्यालय
(गैर-योजना)

0002	स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्षद-मुख्यालय प्रभार	106.22	106.22	0.00
	मूल	130.40		
	अनुपूरक	12.00		
	पुनर्वि०	(-)36.18		

₹ 36.18 लाख का प्रत्यर्पण, निदेशक का पद रिक्त रहने के कारण हुई ।

2055 पुलिस

00

001 निदेशन और प्रशासन
(गैर-योजना)

0003	केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय	6,436.60	6,434.88	(-)1.72
	मूल	7,690.00		
	पुनर्वि०	(-)1,253.40		

₹ 1,253.40 लाख का प्रत्यर्पण, मितव्ययता के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0008 सिपाही की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्यद	161.05	161.05	0.00
मूल	1,748.75		
पुनर्वि०	(-)1,587.70		
प्रावधान में ₹ 1,587.70 लाख की हुई कमी, ₹ 30.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,617.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 1,617.70 लाख का प्रत्यर्पण पुलिस बहाली की प्रक्रिया विचाराधीन होने के कारण हुई । वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
003 शिक्षा और प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0002 प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर	1,131.54	1,126.45	(-)5.09
मूल	1,374.97		
पुनर्वि०	(-)243.43		
₹ 243.43 लाख का प्रत्यर्पण, मितव्ययता के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0007 प्रशिक्षण विद्यालय, सिमुलतल्ला	496.49	471.21	(-)25.28
मूल	586.14		
पुनर्वि०	(-)89.65		
₹ 89.65 लाख का प्रत्यर्पण, पद रिक्त तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
051 निर्माण (गैर-योजना)			
0001 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा पुलिस भवनों के मरम्मत एवं रख रखाव	1,732.67	1,732.67	0.00
मूल	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,267.33		
₹ 1,267.33 लाख का प्रत्यर्पण रख-रखाव एवं मरम्मत के सामग्रियों के अनुमोदन नहीं होने के कारण हुई ।			
101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता (गैर-योजना)			
0003 भारत-नेपाल सीमा पर चेक पोस्ट	689.87	616.95	(-)72.92
मूल	731.72		
पुनर्वि०	(-)41.85		
₹ 41.85 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारी का सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण तथा मितव्ययता के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
104 विशेष पुलिस (गैर-योजना)			
0001 अश्वारोही सैन्य पुलिस	1,207.70	291.17	(-)916.53
मूल	1,139.73		
पुनर्वि०	67.97		
प्रावधान में ₹ 67.97 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 122.60 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 54.63 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 54.63 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण तथा मितव्ययता के कारण हुई । प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
109 जिला पुलिस (गैर-योजना)			
0001 जिला कार्यकारी दल	2,45,357.94	2,37,512.07	(-)7,845.87
मूल	2,66,056.71		
पुनर्वि०	(-)20,698.77		
प्रावधान में ₹ 20,698.77 लाख की हुई कमी, ₹ 950.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,380.33 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 16,268.44 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 16,268.44 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण तथा मितव्ययता के कारण हुई । वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 उग्रवाद प्रभावित गाँवों में विशेष पुलिस पदाधिकारी हेतु मानदेय	535.74	531.23	(-)4.51
मूल	600.00		
पुनर्वि०	(-)64.26		
प्रावधान में ₹ 64.26 लाख की हुई कमी, ₹ 80.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 144.26 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 144.26 लाख का प्रत्यर्पण, विशेष पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0005 स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस हेतु	13,792.06	11,578.83	(-)2,213.23
मूल	17,032.00		
पुनर्वि०	(-)3,239.94		
₹ 3,239.94 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0006 उग्रवाद प्रभावित थानों/ओ०पी० के सुदृढ़ीकरण हेतु एस०आर०ई० स्कीम के तहत	583.47	582.28	(-)1.19
मूल	1,400.00		
पुनर्वि०	(-)816.53		
₹ 486.53 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । ₹ 330.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0007 एस.आर.ई. योजना से आच्छादित जिलों में स्थानीय जनता के बीच सामुदायिक पुलिसिंग पर व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	66.93	66.93	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)33.07		
₹ 33.07 लाख का प्रत्यर्पण, मितव्ययता के कारण हुई ।			
0008 एस०आर०ई० योजना से आच्छादित जिलों में ग्राम सुरक्षा हेतु संसाधन पर ग्राम सुरक्षा समिति/नागरिक सुरक्षा समिति पर व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	4.59	4.59	0.00
मूल	44.00		
पुनर्वि०	(-)39.41		
₹ 39.41 लाख का प्रत्यर्पण, मितव्ययता के कारण हुई ।			
0009 एस.आर.ई. योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में किराये पर लिए जाने वाले वाहनों/ हेलिकॉप्टरों/ संचार संसाधन (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.00	0.00	0.00
मूल	520.00		
पुनर्वि०	(-)520.00		
₹ 395.00 लाख का प्रत्यर्पण, हेलिकॉप्टर को किराये पर नहीं लेने के कारण हुई । ₹ 125.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0012 थानों के लिए व्यय	159.23	65.27	(-)93.96
मूल	222.05		
पुनर्वि०	(-)62.82		
₹ 62.82 लाख का प्रत्यर्पण, मितव्ययता के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0014 प्रमुख नदियों तथा दियारा क्षेत्र के अपराध नियंत्रण एवं प्राथमिक आपदा प्रबंधन हेतु नदी थाना	2.71	2.21	(-)0.50
मूल	54.00		
पुनर्वि०	(-)51.29		
₹ 51.29 लाख का प्रत्यर्पण, मशीनरी नावों का उत्पादन नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
110 ग्राम पुलिस (गैर-योजना)			
0001 चौकीदार-दफादार स्थापना	51,714.88	50,778.51	(-)936.37
मूल	58,017.30		
पुनर्वि०	(-)6,302.42		
प्रावधान में ₹ 6,302.42 लाख की हुई कमी, ₹ 485.38 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 6,787.80 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
111 रेल पुलिस (गैर-योजना)			
0002 आर्डर पुलिस	16,118.14	15,464.17	(-)653.97
मूल	18,742.70		
पुनर्वि०	(-)2,624.56		
प्रावधान में ₹ 2,624.56 लाख की हुई कमी, ₹ 20.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,300.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 344.56 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 344.56 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण के कारण हुई। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
113 पुलिस कर्मियों का कल्याण (गैर-योजना)			
0001 चिकित्सालय व्यय	940.81	931.65	(-)9.16
मूल	1,108.37		
पुनर्वि०	(-)167.56		
₹ 167.56 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों का स्थानांतरण तथा मितव्ययता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0004 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	662.06	662.06	0.00
मूल	850.00		
पुनर्वि०	(-)187.94		
₹ 187.94 लाख का प्रत्यर्पण, उग्रवादियों द्वारा पुलिस बलों को नहीं मारे जाने के कारण हुई।			
0006 अनुग्रह अनुदान	200.00	40.00	(-)160.00
मूल	200.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
114 बेतार और कम्प्यूटर (गैर-योजना)			
0002 कम्प्यूटर	158.06	148.56	(-)9.50
मूल	188.15		
पुनर्वि०	(-)30.09		
₹ 30.09 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना (राज्य योजना)			
0102 पुलिस प्रशासन एवं ढांचागत सुदृढीकरण एवं उन्नयन हेतु	2,481.14	2,477.19	(-)3.95
मूल	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)518.86		
₹ 518.86 लाख का प्रत्यर्पण, निविदा अपूर्ण रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2056 जेल			
00			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 जेल निरीक्षणालय	577.75	577.75	0.00
मूल	673.30		
पुनर्वि०	(-)95.55		
प्रावधान में ₹ 95.55 लाख की हुई कमी, ₹ 31.60 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 127.15 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
101 जेल (गैर-योजना)			
0003 उप-कारा	3,156.62	2,673.62	(-)483.00
मूल	2,287.61		
अनुपूरक	848.61		
पुनर्वि०	20.40		
₹ 20.40 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0006 मुक्त कारागार	91.38	49.67	(-)41.71
मूल	70.38		
अनुपूरक	21.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00			
003 प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0005 गृह रक्षकों को आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण	534.30	507.33	(-)26.97
मूल	600.00		
पुनर्वि०	(-)65.70		
₹ 65.70 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
107 होमगार्ड (गैर-योजना)			
0001 ग्रामीण	28,210.67	27,870.72	(-)339.95
मूल	24,914.19		
अनुपूरक	6,230.98		
पुनर्वि०	(-)2,934.50		
₹ 2,884.50 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने के कारण हुई। ₹ 50.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0002 शहरी	199.75	194.46	(-)5.29
मूल	247.99		
पुनर्वि०	(-)48.24		
₹ 48.24 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
108 अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण (गैर-योजना)			
0001 अग्नि रक्षा सेवा	4,595.53	3,706.07	(-)889.46
मूल	3,196.45		
अनुपूरक	1,399.08		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0205 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
01 पुनर्वासि			
202 अन्य पुनर्वासि योजनाएं (गैर-योजना)			
0004 आत्मसमर्पित अपराधियों एवं उनके परिवार के सर्वांगीण विकास हेतु	0.00	0.00	0.00
मूल	30.00		
पुनर्वि०	(-)30.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200 अन्य कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0003 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता	1,276.75	1,250.64	(-)26.11
मूल	1,400.00		
अनुपूरक	452.36		
पुनर्वि०	(-)575.61		
₹ 375.61 लाख का प्रत्यर्पण, स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके आश्रितों के मृत्यु के कारण हुई । ₹ 200.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0005 थल, जल और वायु सैनिकों का जिला कल्याण परिषद	161.85	132.50	(-)29.34
मूल	177.86		
पुनर्वि०	(-)16.01		
₹ 16.01 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के कमी के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत	90.89	78.79	(-)12.10
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)109.11		
₹ 109.11 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0016 स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री एवं नातिन की शादी हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	25.00		
पुनर्वि०	(-)25.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, विवाह अनुदान स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई।			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0414 आतंकवाद, साम्प्रदायिकता तथा नक्सली हिंसा के पीड़ितों को सहायता	20.00	20.00	0.00
अनुपूरक	80.00		
पुनर्वि०	(-)60.00		
₹ 60.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0006 गृह (आरक्षी) विभाग	497.12	491.79	(-)5.33
मूल	438.65		
पुनर्वि०	58.47		
₹ 58.47 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2055 पुलिस			
00			
003 शिक्षा और प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0008 प्रशिक्षण विद्यालय, डुमराँव	357.26	357.26	0.00
मूल	234.51		
पुनर्वि०	122.75		
₹ 122.75 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
104 विशेष पुलिस (गैर-योजना)			
0003 विशेष टास्क फोर्स	8,633.83	8,371.40	(-)262.43
मूल	7,033.98		
पुनर्वि०	1,599.85		
₹ 1,599.85 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 आतंकवाद निरोधक दस्ता	777.47	777.47	0.00
मूल	618.78		
पुनर्वि०	158.69		
₹ 158.69 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
109 जिला पुलिस (गैर-योजना)			
0017 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय	1,439.44	1,417.88	(-)21.56
मूल	1,100.00		
पुनर्वि०	339.44		
₹ 339.44 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200 अन्य कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0004 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत	594.05	567.16	(-)26.89
मूल	500.00		
पुनर्वि०	94.05		
₹ 94.05 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

पूँजीगत (दत्तमत)

(v) ₹ 15,556.50 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2015 (₹ 7,855.76 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 2,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 9,855.76 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,435.58 लाख), अंतिम बचत (₹ 15,556.50 लाख) से ₹ 8,120.92 लाख कम था ।

(vii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
050 भूमि			
योजना (राज्य योजना)			
0101 धाना/चौकी के भू-अर्जन हेतु	1,000.00	190.50	(-)809.50
मूल	1,000.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
207 राज्य पुलिस			
(गैर-योजना)			
0001 पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के	7,200.00	0.00	(-)7,200.00
समतुल्य राशि			
मूल	7,200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 पुलिस आधुनिकीकरण	182.24	0.00	(-)182.24
मूल	5,424.00		
पुनर्वि०	(-)5,241.76		
₹ 5,241.76 लाख का प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	52.00	0.00	(-)52.00
मूल	52.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमांत

(viii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	--------------------------

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

00

051 निर्माण

योजना (राज्य योजना)

0103 केन्द्रीय/मंडल/उप-काराओं के भवन निर्माण	5,000.00	5,000.00	0.00
(गृह कारा विभाग)			

मूल 3,000.00

पुनर्वि० 2,000.00

₹ 2,000.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

051 निर्माण

योजना (राज्य योजना)

0101 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी	3,996.07	4,119.23	(+)123.16
-------------------------------------	----------	----------	-----------

मूल 4,000.00

अनुपूरक 2,000.00

पुनर्वि० (-)2,003.93

₹ 2,003.93 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

**अनुदान संख्या - 23 - उद्योग विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2408	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार			
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग			
2852	उद्योग			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल		77,95,436	1,37,47,872	98,43,677
अनुपूरक		59,52,436		(-)39,04,195
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				38,52,075
13 जुलाई 2015		5,93,886		
31 मार्च 2016		32,58,189		

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय
6857	रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	99,500	1,12,340	1,03,340	(-)9,000
अनुपूरक	12,840			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,000
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 39,041.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 4.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 21,300.36 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 38,220.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 59,524.36 लाख का अनुपूरक अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 38,520.75 लाख), अंतिम बचत (₹ 39,041.95 लाख) से ₹ 521.20 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार			
01 खाद्य			
103 खाद्य संसाधन			
योजना (राज्य योजना)			
0301 राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	69.41	69.41	0.00
मूल	194.00		
पुनर्वि०	(-)124.59		
₹ 30.59 लाख का प्रत्यर्पण, वचनबद्ध दायित्व की पूर्ति के कारण हुई । ₹ 94.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2851 ग्राम तथा लघु उद्योग			
00			
102 लघु उद्योग			
(गैर-योजना)			
0001 प्रदर्शन केन्द्र	1,766.49	1,743.97	(-)22.52
मूल	2,316.51		
पुनर्वि०	(-)550.02		
₹ 550.02 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0106 उद्योग मित्र	110.29	110.29	0.00
मूल	150.00		
पुनर्वि०	(-)39.71		
₹ 39.71 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 हस्तकरघा उद्योग			
(गैर-योजना)			
0001 हस्तकरघा के विकास की योजना	189.10	158.06	(-)31.04
मूल	189.10		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 हस्तकरघा विकास की योजना	1,058.10	1,058.10	0.00
मूल	2,729.82		
पुनर्वि०	(-)1,671.72		
₹ 1,671.72 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0113 शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सृष्टीकरण	227.05	227.05	0.00
मूल	258.00		
पुनर्वि०	(-)30.95		
₹ 30.95 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0326 राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
मूल	55.00		
पुनर्वि०	(-)55.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
104 हस्तशिल्प उद्योग (गैर-योजना)			
0001 हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान	368.05	364.90	(-)3.15
मूल	436.00		
पुनर्वि०	(-)67.95		
₹ 67.95 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 हस्तशिल्प का विकास	445.52	445.52	0.00
मूल	1,532.00		
अनुपूरक	200.00		
पुनर्वि०	(-)1,286.48		
₹ 90.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,196.48 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
107 रेशम उत्पादन उद्योग (गैर-योजना)			
0001 रेशम का विकास	619.53	612.11	(-)7.42
मूल	1,217.33		
पुनर्वि०	(-)597.80		
₹ 597.80 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास	1,930.43	1,930.43	0.00
मूल	5,649.00		
पुनर्वि०	(-)3,718.57		
₹ 3,718.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0204 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	171.24	171.24	0.00
अनुपूरक	284.35		
पुनर्वि०	(-)113.11		
₹ 113.11 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0303 रेशम कीट पालन के अन्तर्गत उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	144.45	144.45	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)55.55		
₹ 55.55 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0304 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	18.16	18.16	0.00
अनुपूरक	54.00		
पुनर्वि०	(-)35.84		
₹ 35.84 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0102 बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	50.00	0.00	(-)50.00
मूल	50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0106 रेशम का विकास	200.00	0.00	(-)200.00
मूल	210.00		
पुनर्वि०	(-)10.00		
₹ 10.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2852 उद्योग			
08 उपभोक्ता उद्योग			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 आर्थिक सहायता	456.08	451.57	(-)4.51
मूल	1,176.57		
अनुपूरक	4.80		
पुनर्वि०	(-)725.29		
₹ 725.29 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(गैर-योजना)			
0002 निदेशन	2,078.28	2,071.94	(-)6.34
मूल	2,467.00		
पुनर्वि०	(-)388.72		
₹ 1.80 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 386.92 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
003 औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र	152.55	151.24	(-)1.31
मूल	210.57		
पुनर्वि०	(-)58.02		
₹ 58.02 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 औद्योगिक उत्पादकता योजना (राज्य योजना)			
0110 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
अनुपूरक	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)3,100.00		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) से मुख्यमंत्री की पृच्छा की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
0135 इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	715.12	715.12	0.00
मूल	746.18		
अनुपूरक	94.00		
पुनर्वि०	(-)125.06		
प्रावधान में ₹ 125.06 लाख की हुई कमी, ₹ 90.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 215.06 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0142 प्रोजेक्ट एवं फिजिविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य	1,808.38	1,808.38	0.00
परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि०	(-)691.62		
₹ 691.62 लाख का प्रत्यर्पण, परियोजना अनुश्रवण एजेंसी से विपत्र की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
0159 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन	16,692.79	16,571.45	(-)121.34
मूल	10,000.00		
अनुपूरक	11,700.00		
पुनर्वि०	(-)5,007.21		
₹ 5,007.21 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0160 प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	61,850.82	61,821.46	(-)29.36
मूल	28,396.54		
अनुपूरक	44,018.00		
पुनर्वि०	(-)10,563.72		
₹ 10,563.72 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0163 व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव- बिहार व्यापार विकास कोष मूल 900.00 अनुपूरक 20.00 पुनर्वि० (-)101.22 ₹ 101.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	818.78	818.78	0.00
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0102 इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना मूल 13,830.69 पुनर्वि० (-)9,282.72 ₹ 9,282.72 लाख का प्रत्यर्पण, अनुसूचित जाति क्षेत्र के उद्यमियों से दावा प्रस्तुत नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	4,547.97	4,516.77	(-)31.20
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0001 उद्योग विभाग मूल 307.04 पुनर्वि० (-)80.83 ₹ 80.83 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	226.21	226.21	0.00

पूँजीगत (दत्तमत)

- (iv) ₹ 90.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के पूँजी प्रभाग में दिसंबर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 128.40 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6857 रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों के लिए कर्ज			
01 रसायन तथा कीटनाशक उद्योग			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज (गैर-योजना)			
0001 बिहार राज्य रसायन और औषध निर्माण निगम लिमिटेड को कर्ज 75.00 अनुपूरक 75.00 पुनर्वि० (-)75.00 ₹ 75.00 लाख का प्रत्यर्पण, एल0पी0ए0-88/2016 के संदर्भ में फैसला अभी तक लंबित रहने के कारण हुई ।	0.00	0.00	0.00

**अनुदान संख्या - 24 - सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2220 सूचना तथा प्रचार			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	20,10,625	21,60,627	14,14,229 (-)7,46,398
अनुपूरक	1,50,002		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			7,42,223
8 जुलाई 2015	2,91,291		
31 मार्च 2016	4,50,932		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 7,463.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 0.01 लाख) तथा फरवरी 2016(₹ 1,500.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,500.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,422.23 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,463.98 लाख) से ₹ 41.75 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2220 सूचना तथा प्रचार			
01 फिल्म			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन और प्रशासन	546.23	545.38	(-)0.85
मूल	1,446.89		
पुनर्वि०	(-)900.66		
₹ 29.16 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 871.50 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
60 अन्य			
106 क्षेत्र प्रचार (गैर-योजना)			
0002 जिला ईकाईयाँ	1,465.35	1,461.61	(-)3.74
मूल	2,545.91		
पुनर्वि०	(-)1,080.56		
प्रावधान में ₹ 1,080.56 लाख की हुई कमी, ₹ 20.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,100.56 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 क्षेत्रीय प्रचार-योजना	3,445.56	3,424.61	(-)20.95
मूल	8,808.32		
पुनर्वि०	(-)5,362.76		
₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 5,312.76 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 क्षेत्रीय प्रचार योजना अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	175.66	160.01	(-)15.65
मूल	193.97		
पुनर्वि०	(-)18.31		
₹ 18.31 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 24 - क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2251	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
00				
090	सचिवालय (गैर-योजना)			
0014	सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	50.89	50.89	0.00
	मूल	93.16		
	अनुपूरक	0.01		
	पुनर्वि०	(-)42.28		

प्रावधान में ₹ 42.28 लाख की हुई कमी, ₹ 9.16 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 51.44 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

**अनुदान संख्या - 25 - सूचना प्रावैधिकी विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2220	सूचना तथा प्रचार			
2230	श्रम तथा रोजगार			
2852	उद्योग			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल		17,52,561	19,39,062	9,90,363
अनुपूरक		1,86,501		(-)9,48,699
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,48,699
(31 मार्च 2016)				

पूंजी				
मुख्य शीर्ष				
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए कर्ज			
दत्तमत :				
मूल		2,00,000	2,03,770	1,99,947
अनुपूरक		3,770		(-)3,823
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,823
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 9,486.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 1,865.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 25 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2230 श्रम तथा रोजगार			
03 प्रशिक्षण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
योजना (राज्य योजना)			
0101 कौशल विकास मिशन	169.89	169.89	0.00
मूल	1,830.40		
पुनर्वि०	(-)1,660.51		
₹ 450.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,210.51 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2852 उद्योग			
07 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग			
202 इलेक्ट्रॉनिक			
योजना (राज्य योजना)			
0101 राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कॉमन सर्विस सेन्टर	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
0103 ई-शासन परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेतु	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
0104 ई-क्रय योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
0105 राज्य की पोर्टल योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
उपर्युक्त चार मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0106 ज्ञान सिटी परियोजना	1,537.17	1,537.17	0.00
मूल	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)462.83		
प्रावधान में ₹ 462.83 लाख की हुई कमी, ₹ 3,200.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 3,662.83 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 25 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0107	सूचना प्रावैधिकी संबंधी प्रचार-प्रसार	22.69	22.69	0.00
	मूल	818.49		
	पुनर्वि०	(-)795.80		
	₹ 200.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 595.80 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0108	राज्य डाटा सेन्टर	39.07	39.07	0.00
	मूल	100.00		
	पुनर्वि०	(-)60.93		
	₹ 60.93 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0109	ई-शासन राज्य योजना	5,335.14	5,335.14	0.00
	मूल	10,805.00		
	पुनर्वि०	(-)5,469.86		
	₹ 2,650.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 2,819.86 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0110	ई-डिस्ट्रीक्ट योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	100.00		
	पुनर्वि०	(-)100.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00				
090	सचिवालय (गैर-योजना)			
0027	सूचना प्रावैधिकी विभाग	160.14	160.14	0.00
	मूल	370.72		
	अनुपूरक	0.01		
	पुनर्वि०	(-)210.59		
	₹ 210.59 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0118	सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	425.10	425.10	0.00
	मूल	1,000.00		
	पुनर्वि०	(-)574.90		
	₹ 250.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 324.90 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 25 - क्रमशः

(iii) अधिक व्यय (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2852 उद्योग			
07 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग			
202 इलेक्ट्रॉनिक			
योजना (राज्य योजना)			
0102 मुख्यमंत्री सचिवालय में जन शिकायत कोषांग	349.44	349.44	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	249.44		

प्रावधान में ₹ 249.44 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 350.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 100.56 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹ 38.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 37.70 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए कर्ज			
02 इलेक्ट्रॉनिक			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज (गैर-योजना)			
0001 बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि० को ऋण	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	37.70		
पुनर्वि०	(-)37.70		

सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 26 - श्रम संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230	श्रम तथा रोजगार			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल	51,01,980	54,76,678	24,37,101	(-)30,39,577
अनुपूरक	3,74,698			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				14,35,775
3	जुलाई 2015	9,750		
22	नवम्बर 2015	3,350		
23	नवम्बर 2015	22,342		
24	नवम्बर 2015	11,250		
1	फरवरी 2016	3,00,000		
11	फरवरी 2016	715		
29	मार्च 2016	6,35,378		
31	मार्च 2016	4,52,990		
पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :				
मूल	40,000	40,000	0	(-)40,000
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				40,000
23	नवम्बर 2015	10,000		
25	फरवरी 2016	30,000		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 30,395.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 97.51 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 1,407.83 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 2,241.64 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,746.98 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 14,357.75 लाख), अंतिम बचत (₹ 30,395.77 लाख) से ₹ 16,038.02 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :				
शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) (₹ लाख में) बचत (-)
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना				
योजना (राज्य योजना)				
0103 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग		1.95	1.95	0.00
मूल	83.00			
पुनर्वि०	(-)81.05			
₹ 31.05 लाख के प्रत्यर्पण, बी०एम०एस०आई०सी०एल० द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति नहीं होने के कारण हुई । ₹ 50.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।				
2230 श्रम तथा रोजगार				
01 श्रम				
001 निदेशन और प्रशासन				
(गैर-योजना)				
0001 श्रम आयुक्त		362.53	362.00	(-)0.53
मूल	542.70			
पुनर्वि०	(-)180.17			
₹ 180.17 लाख का प्रत्यर्पण, कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति, वेतन पुनरीक्षण के बकाए के भुगतान नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।				
101 औद्योगिक संबंध				
(गैर-योजना)				
0006 श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन		756.17	754.54	(-)1.63
मूल	978.26			
पुनर्वि०	(-)222.09			
प्रावधान में ₹ 222.09 लाख की हुई कमी, ₹ 25.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1.49 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 245.60 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 245.60 लाख का प्रत्यर्पण कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने तथा वेतन पुनरीक्षण के बकाये का भुगतान नहीं होने के कारण हुई । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।				
0007 कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन		2,157.94	2,156.20	(-)1.74
मूल	2,937.69			
पुनर्वि०	(-)779.75			
₹ 627.70 लाख का प्रत्यर्पण, कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति तथा वेतन पुनरीक्षण के बकाये का भुगतान नहीं होने के कारण हुई । ₹ 152.05 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।				

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0106 बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन	125.30	125.30	0.00
मूल	160.00		
पुनर्वि०	(-)34.70		
₹ 34.70 लाख का प्रत्यर्पण, वेतन पुनरीक्षण का भुगतान नहीं होने के कारण हुई ।			
0109 कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	78.00	78.00	0.00
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)422.00		
₹ 422.00 लाख का प्रत्यर्पण, कुल सामग्रियों की आपूर्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
102 कार्य की परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा (गैर-योजना)			
0002 कारखानों के निरीक्षक	378.05	378.04	(-)0.01
मूल	519.60		
पुनर्वि०	(-)141.55		
प्रावधान में ₹ 140.30 लाख की कमी, कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति तथा वेतन पुनरीक्षण के वकाये का भुगतान नहीं होने के कारण हुई । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1.25 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 सामान्य श्रम कल्याण			
योजना (राज्य योजना)			
0103 बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण	176.63	176.63	0.00
मूल	250.00		
पुनर्वि०	(-)73.37		
₹ 73.37 लाख का प्रत्यर्पण, समय से विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
02 रोजगार सेवाएं			
101 रोजगार सेवाएं			
योजना (राज्य योजना)			
0101 नियोजन सेवा का विस्तार	43.89	43.89	0.00
मूल	90.00		
पुनर्वि०	(-)46.11		
₹ 46.11 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0110 नियोजन सेवा हेतु ई-प्रोसेस	103.51	103.51	0.00
मूल	150.00		
पुनर्वि०	(-)46.49		
₹ 46.49 लाख का प्रत्यर्पण, पोर्टेबल जेनरेटर की खरीद नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0111 नियोजन-सह-व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम	110.82	109.95	(-)0.87
मूल	185.00		
पुनर्वि०	(-)74.18		
₹ 74.18 लाख का प्रत्यर्पण, रोजगार मेला का आयोजन नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0112 सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो	0.00	0.00	0.00
मूल	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)3,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना एवं विकास विभाग की सहमति नहीं होने के कारण हुई ।			
03 प्रशिक्षण			
003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0005 मुख्यालय स्थापना	291.06	290.38	(-)0.68
मूल	346.60		
पुनर्वि०	(-)55.54		
₹ 55.54 लाख का प्रत्यर्पण, अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0105 पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	10.97	10.97	0.00
मूल	60.00		
पुनर्वि०	(-)49.03		
₹ 49.03 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
0233 कौशल विकास मिशन	209.30	209.30	0.00
मूल	240.00		
अनुपूरक	1,155.39		
पुनर्वि०	(-)1,186.09		
₹ 1,186.09 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0333 कौशल विकास मिशन	59.98	59.98	0.00
मूल	150.00		
अनुपूरक	107.50		
पुनर्वि०	(-)197.52		
₹ 90.02 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई । ₹ 107.50 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (गैर-योजना)			
0001 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद	3,966.49	3,966.11	(-)0.38
मूल	4,541.31		
पुनर्वि०	(-)574.82		
₹ 574.82 लाख का प्रत्यर्पण, अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	186.25	184.79	(-)1.46
मूल	250.00		
अनुपूरक	11.47		
पुनर्वि०	(-)75.22		
₹ 75.22 लाख का प्रत्यर्पण, अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 प्रशिक्षु प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 शिक्षु प्रशिक्षण योजना	186.59	184.52	(-)2.07
मूल	243.49		
पुनर्वि०	(-)56.90		
₹ 56.90 लाख का प्रत्यर्पण, अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
110 अन्य बीमा योजनाएं			
योजना (राज्य योजना)			
0101 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	880.00		
पुनर्वि०	(-)880.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0202 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	19,383.22	3,432.28	(-)15,950.94
मूल	19,383.22		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0202 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा मूल	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	5,070.03		
	(-)5,070.03		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना योजना (राज्य योजना)			
0201 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा मूल	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	403.75		
	(-)403.75		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0008 श्रम संसाधन विभाग मूल	409.15	365.49	(-)43.66
अनुपूरक	441.77		
पुनर्वि०	29.97		
	(-)62.59		
₹ 62.59 लाख का प्रत्यर्पण, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा प्रशिक्षण में कम कर्मचारियों के भाग लेने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
091 संलग्न कार्यालय (गैर-योजना)			
0001 सचिवालय-भोजशाला की स्थापना मूल	422.58	422.35	(-)0.23
पुनर्वि०	604.87		
	(-)182.29		
₹ 157.29 लाख का प्रत्यर्पण, कुछ कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के कारण हुई । ₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 विधानमंडल भोजशाला की स्थापना मूल	116.00	112.68	(-)3.32
पुनर्वि०	162.03		
	(-)46.03		
₹ 46.03 लाख का प्रत्यर्पण, कुछ कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमांत

पूँजीगत (दत्तमत)

(iv) इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 400.00 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वर्ष के दौरान इसका उपयोग नहीं किया गया ।

(v) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	------------------------------

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

00

050 भूमि

योजना (राज्य योजना)

0101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन के लिए	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

मूल		400.00	
-----	--	--------	--

पुनर्वि०		(-)400.00	
----------	--	-----------	--

₹ 300.00 लाख का प्रत्यर्पण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि का चयन नहीं होने के कारण हुई । ₹ 100.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

**अनुदान संख्या - 27 - विधि विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	65,64,994	66,22,567	51,56,181 (-)14,66,386
अनुपूरक	57,573		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			14,57,890
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 14,663.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 286.23 लाख), दिसंबर 2015 (₹ 230.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 59.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 575.73 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 14,578.90 लाख), अंतिम बचत (₹ 14,663.86 लाख) से ₹ 84.96 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2014 न्याय प्रशासन			
00			
003 प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 बिहार न्यायिक अकादमी	273.63	273.63	0.00
मूल	403.80		
पुनर्वि०	(-)130.17		
₹ 130.17 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
105 सिविल और सत्र न्यायालय (गैर-योजना)			
0001 सिविल एवं सत्र न्यायालय	43,499.76	43,434.56	(-)65.20
मूल	55,107.24		
अनुपूरक	286.00		
पुनर्वि०	(-)11,893.48		
₹ 11,893.48 लाख का प्रत्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययता के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0006 ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट	139.68	135.24	(-)4.44
मूल	400.00		
पुनर्वि०	(-)260.32		
₹ 260.32 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) (गैर-योजना)			
0002 निर्धनों को कानूनी सहायता	961.82	959.37	(-)2.45
मूल	1,340.21		
पुनर्वि०	(-)378.39		
₹ 378.39 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0006 विधि आयोग	75.03	75.03	0.00
मूल	123.53		
पुनर्वि०	(-)48.50		
₹ 48.50 लाख का प्रत्यर्पण, पदों के रिक्त रहने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 27 - क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना	(राज्य योजना)			
0105	बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउंसिल/एसोसिएशन को अनुदान	0.00	0.00	0.00
	मूल	700.00		
	पुनर्वि०	(-)700.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
117	परिवार न्यायालय (गेर-योजना)			
0001	परिवार न्यायालय	628.37	625.98	(-)2.39
	मूल	1,219.56		
	पुनर्वि०	(-)591.19		
	₹ 591.19 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00				
090	सचिवालय (गेर-योजना)			
0018	विधि विभाग	570.74	568.97	(-)1.77
	मूल	728.47		
	अनुपूरक	0.17		
	पुनर्वि०	(-)157.90		
	₹ 157.90 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**विनियोग संख्या - 28 - उच्च न्यायालय
(सभी प्रभारित)**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2014 न्याय प्रशासन				
प्रभारित :				
मूल	13,35,061	13,74,811	9,99,535	(-) 3,75,276
अनुपूरक	39,750			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,69,340
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (प्रभारित)

- (i) ₹ 3,752.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 76.50 लाख), दिसंबर 2015 (₹ 250.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 71.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 397.50 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,693.40 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,752.76 लाख) से ₹ 59.36 लाख कम था ।

विनियोग संख्या - 28 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2014 न्याय प्रशासन			
00			
102 उच्च न्यायालय (गैर-योजना)			
0001 उच्च न्यायालय, पटना	9,533.91	9,475.10	(-)58.81
मूल	12,866.69		
अनुपूरक	77.50		
पुनर्वि०	(-)3,410.28		
₹ 3,410.28 लाख का प्रत्यर्पण मुख्यतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, स्वीकृत पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं होने, अधिकारियों का पदोन्नति तथा व्यय विपत्र जमा नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0005 ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट	278.40	278.40	0.00
मूल	483.92		
पुनर्वि०	(-)205.52		
₹ 205.52 लाख का प्रत्यर्पण, कंप्यूटरीकरण के विपत्र जमा नहीं करने के कारण हुई।			
0006 पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह	242.40	241.85	(-)0.55
अनुपूरक	320.00		
पुनर्वि०	(-)77.60		
₹ 77.60 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या - 29 - खान एवं भूतत्व विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	2,02,189	2,02,189	1,27,886 (-)74,303
अनुपूरक	0		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			73,436
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 743.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए इस अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत ₹ 2,021.89 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 734.36 लाख), अंतिम बचत (₹ 743.03 लाख) से ₹ 8.67 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 29 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
02 खानों का विनियमन तथा विकास			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 खनन एवं भूतत्व स्थापना	1,250.71	1,242.59	(-)8.12
मूल	1,969.81		
पुनर्वि०	(-)719.10		
₹ 719.10 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00 सचिवालय			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0004 खान तथा भूतत्व विभाग	36.82	36.27	(-)0.55
मूल	52.08		
पुनर्वि०	(-)15.26		
₹ 15.26 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 30 - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2053 जिला प्रशासन			
2202 सामान्य शिक्षा			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	18,03,111	27,65,176	23,06,894
अनुपूरक	9,62,065		(-)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			3,02,526
15 मई 2015	9,900		
23 नवंबर 2015	2,40,000		
31 मार्च 2016	52,626		

पूँजी

मुख्य शीर्ष			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश			
7465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज			
दत्तमत :			
मूल	11,90,680	21,35,580	21,16,239
अनुपूरक	9,44,900		(-)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			17,715
23 नवंबर 2015	5,000		
31 मार्च 2016	12,715		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 4,582.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 249.78 लाख), दिसंबर 2015 (₹ 9,267.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 103.87 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 9,620.65 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,025.26 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,582.82 लाख) से ₹ 1,557.56 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2053 जिला प्रशासन			
00			
094 अन्य स्थापनाएं (गैर-योजना)			
0010 अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय	580.41	578.55	(-)1.86
मूल	545.99		
अनुपूरक	128.16		
पुनर्वि०	(-)93.74		
₹ 93.74 लाख का प्रत्यर्पण, पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
2202 सामान्य शिक्षा			
02 माध्यमिक शिक्षा			
107 छात्रवृत्तियाँ			
योजना (राज्य योजना)			
0210 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	844.16	843.70	(-)0.46
मूल	3,400.00		
पुनर्वि०	(-)2,555.84		
₹ 2,555.84 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277 शिक्षा			
योजना (राज्य योजना)			
0111 अल्पसंख्यक छात्रावासों में रखरखाव एवं आधुनिकीकरण योजना	173.75	173.29	(-)0.46
मूल	300.00		
पुनर्वि०	(-)126.25		
₹ 126.25 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

अनुदान संख्या - 30 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
00			
101 धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान योजना (राज्य योजना)			
0101 मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप में राशि उपलब्ध कराने हेतु	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
800 अन्य व्यय योजना (राज्य योजना)			
0108 वक्फ संपत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिबौलविंग फंड के रूप में अनुदान देने के संबंध में	0.00	0.00	0.00
मूल	20.00		
पुनर्वि०	(-)20.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 193.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 99.00 लाख), दिसंबर 2015 (₹ 8,650.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 700.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 9,449.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 177.15 लाख), अंतिम बचत (₹ 193.41 लाख) से ₹ 16.26 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश			
01 सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंको आदि में निवेश योजना (राज्य योजना)			
0103 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को हिस्सा पूँजी में इक्यूटिपार्टिसिपेशन राज्य के हिस्सा पूँजी के रूप में अंशदान	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 31 - संसदीय कार्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	17,100	17,295	16,393
अनुपूरक	195		(-)902
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			896
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

- (i) ₹ 9.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 (₹ 1.55 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 0.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1.95 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8.96 लाख), अंतिम बचत (₹ 9.02 लाख) से ₹ 0.06 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 32- विधान मंडल

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल				
दत्तमत :				
मूल	14,57,937	15,00,498	12,51,300	(-)2,49,198
अनुपूरक	42,561			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,26,981
26 फरवरी 2016	1,500			
15 मार्च 2016	7,100			
31 मार्च 2016	2,18,381			
प्रभारित :				
मूल	11,438	11,538	7,670	(-)3,868
अनुपूरक	100			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,475
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 2,491.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 39.50 लाख), दिसंबर 2015 (₹ 290.01 लाख) तथा फरवरी 2016(₹ 96.10 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 425.61 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,269.81 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,491.98 लाख) से ₹ 222.17 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 32 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल			
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल			
101 विधान सभा (गैर-योजना)			
0004 सचेतकगण	212.69	212.69	0.00
मूल	601.32		
पुनर्वि०	(-)388.63		
₹ 388.63 लाख के प्रत्यर्पण, सचेतकों के पद रिक्त रहने के कारण हुई।			
0005 सदस्यगण	4,811.23	4,653.45	(-)157.78
मूल	6,523.67		
अनुपूरक	30.00		
पुनर्वि०	(-)1,742.44		
₹ 1,637.90 लाख का प्रत्यर्पण, मितव्ययता के कारण हुई। ₹ 104.54 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी कम मात्रा में टी०ए० विपत्र की प्राप्ति होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
102 विधान परिषद (गैर-योजना)			
0007 सचेतकगण	194.63	185.61	(-)9.02
मूल	274.98		
पुनर्वि०	(-)80.35		
₹ 74.85 लाख का प्रत्यर्पण, सचेतकों के पद रिक्त रहने के कारण हुई। ₹ 5.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0008 राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो	49.04	49.04	(-)0.00
मूल	71.42		
अनुपूरक	0.50		
पुनर्वि०	(-)22.88		
₹ 22.88 लाख का प्रत्यर्पण, ब्यूरो सदस्यों के पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या - 32 - क्रमांत

राजस्व (प्रभारित)

- (iv) ₹ 38.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 1.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 34.75 लाख), अंतिम बचत (₹ 38.68 लाख) से ₹ 3.93 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

101 विधान सभा

(गैर-योजना)

0001	अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते	42.36	38.44	(-)3.92
	मूल	67.96		
	अनुपूरक	1.00		
	पुनर्वि०	(-)26.60		

₹ 26.60 लाख का प्रत्यर्पण, मितव्ययता के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

102 विधान परिषद

(गैर-योजना)

0001	सभापति एवं उप-सभापति के वेतन एवं भत्ते	38.27	38.27	0.00
	मूल	46.42		
	पुनर्वि०	(-)8.15		

₹ 8.15 लाख का प्रत्यर्पण, समय से मेडिकल बिल जमा नहीं होने के कारण हुई ।

अनुदान संख्या - 33 - सामान्य प्रशासन विभाग

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2051	लोक सेवा आयोग			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053	जिला प्रशासन			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
मूल		49,07,180	54,47,168	36,32,238
अनुपूरक		5,39,988		(-)18,14,930
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				17,76,826
(31 मार्च 2016)				
प्रभारित				
मूल		41,064	42,080	39,563
अनुपूरक		1,016		(-) 2,517
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,287
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 18,149.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अगस्त 2015 (₹ 98.36 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 1,122.05 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 4,179.47 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,399.88 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 17,768.26 लाख), अंतिम बचत (₹ 18,149.30 लाख) से ₹ 381.04 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 33 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2051 लोक सेवा आयोग			
00			
103 कर्मचारी चयन आयोग (गैर-योजना)			
0001 बिहार कर्मचारी चयन आयोग	470.06	469.89	(-)0.17
मूल	1,998.57		
अनुपूरक	50.00		
पुनर्वि०	(-)1,578.51		
₹ 1,578.51 लाख का प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0002 बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग	0.00	0.00	0.00
मूल	285.58		
पुनर्वि०	(-)285.58		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, कार्यालय की स्थापना नहीं होने के कारण हुई।			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0004 सामान्य प्रशासन विभाग	1,543.74	1,541.78	(-)1.96
मूल	1,806.61		
अनुपूरक	147.50		
पुनर्वि०	(-)410.37		
₹ 410.37 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0005 सामान्य प्रशासन विभाग (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग)	143.80	143.80	0.00
मूल	193.63		
पुनर्वि०	(-)49.83		
₹ 49.83 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0041 अति पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग	114.78	114.78	0.00
मूल	182.58		
पुनर्वि०	(-)67.80		
₹ 67.80 लाख का प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या - 33 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0045	राज्य महादलित आयोग	146.28	146.28	0.00
	मूल	239.34		
	पुनर्वि०	(-)93.06		
	₹ 93.06 लाख का प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।			
0051	उच्च जातियों के लिये राज्य आयोग	48.80	0.00	(-)48.80
	मूल	239.76		
	पुनर्वि०	(-)190.96		
	₹ 190.96 लाख का प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
092	अन्य कार्यालय (गैर-योजना)			
0008	स्थानिक आयुक्त	109.76	109.76	0.00
	मूल	115.90		
	अनुपूरक	20.45		
	पुनर्वि०	(-)26.59		
	₹ 26.59 लाख का प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।			
2053	जिला प्रशासन			
00				
093	जिला स्थापनाएं (गैर-योजना)			
0001	जिला प्रशासन	15,207.14	15,052.06	(-)155.08
	मूल	24,641.01		
	अनुपूरक	6.41		
	पुनर्वि०	(-)9,440.28		
	₹ 9,440.28 लाख का प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
094	अन्य स्थापनाएं (गैर-योजना)			
0001	अनुमंडलीय स्थापना	6,598.23	6,495.47	(-)102.76
	मूल	9,529.01		
	अनुपूरक	7.95		
	पुनर्वि०	(-)2,938.73		
	₹ 2,908.73 लाख के प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । ₹ 30.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 33 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
101 आयुक्त (गैर-योजना)			
0001 मुख्य कार्यालय	1,912.36	1,846.68	(-)65.68
मूल	2,537.00		
अनुपूरक	50.00		
पुनर्वि०	(-)674.64		
प्रावधान में ₹ 674.64 लाख की हुई कमी, ₹ 30.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 704.64 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । प्रावधान में कमी निधि के निकासी नहीं होने के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु	352.52	351.69	(-)0.83
मूल	528.25		
पुनर्वि०	(-)175.73		
₹ 175.73 लाख का प्रत्यर्पण, पैक्स चुनाव स्थगित होने तथा कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 सुशासन केन्द्र सोसाइटी	0.00	0.00	0.00
मूल	450.70		
पुनर्वि०	(-)450.70		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।			
003 प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0006 बिहार लोक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)	549.00	549.00	0.00
मूल	1,077.93		
पुनर्वि०	(-)528.93		
₹ 528.93 लाख का प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।			
115 अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि (गैर-योजना)			
0003 सर्किट भवन	571.87	567.97	(-)3.90
मूल	1,100.62		
पुनर्वि०	(-)528.75		
₹ 528.75 लाख का प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 33 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
00			
092 अन्य कार्यालय (गैर-योजना)			
0002 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय	354.99	352.26	(-)2.73
मूल	672.80		
अनुपूरक	10.00		
पुनर्वि०	(-)327.81		

₹ 327.81 लाख का प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

राजस्व (प्रभारित)

- (iv) ₹ 25.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 10.16 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 22.87 लाख), अंतिम बचत (₹ 25.17 लाख) से ₹ 2.30 लाख कम अधिक था ।

विनियोग संख्या - 34- बिहार लोक सेवा आयोग

(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2051 लोक सेवा आयोग			
प्रभारित :			
मूल	1,81,019	2,48,819	1,95,928
अनुपूरक	67,800		(-)52,891
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			52,639
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (प्रभारित)

- ₹ 528.91 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 (₹ 178.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 678.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 526.39 लाख), अंतिम बचत (₹ 528.91 लाख) से ₹ 2.52 लाख कम था ।

विनियोग संख्या -34 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2051 लोक सेवा आयोग			
00			
102 राज्य लोक सेवा आयोग (गैर-योजना)			
0001 राज्य लोक सेवा आयोग (प्रभृत)	1,961.80	1,959.28	(-)2.52
मूल	1,810.19		
अनुपूरक	678.00		
पुनर्वि०	(-)526.39		

₹ 526.39 लाख का प्रत्यर्पण, मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या - 35 - योजना एवं विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053	जिला प्रशासन			
2059	लोक निर्माण कार्य			
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :				
मूल		26,82,675	26,87,677	13,37,323
अनुपूरक		5,002		(-)13,50,354
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,36,765
9 जुलाई 2015		5,000		
31 मार्च 2016		11,31,765		
पूँजी				
मुख्य शीर्ष				
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :				
मूल		1,68,41,908	2,18,39,826	2,30,29,861
अनुपूरक		49,97,918		(+)11,90,035
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				58,30,413
2 जुलाई 2015		37,57,918		
31 मार्च 2016		20,72,495		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 13,503.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 50.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 11,367.65 लाख), अंतिम बचत (₹ 13,503.54 लाख) से ₹ 2,135.89 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
090 सचिवालय			
योजना (राज्य योजना)			
0103 योजना तंत्र का सुदृढीकरण	1.95	1.95	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)198.05		
₹ 198.05 लाख का प्रत्यर्पण, नई योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
2053 जिला प्रशासन			
00			
093 जिला स्थापनाएं			
योजना (राज्य योजना)			
0107 मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	400.00		
पुनर्वि०	(-)400.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, नई योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
094 अन्य स्थापनाएं			
(गैर-योजना)			
0007 योजना तंत्र का सुदृढीकरण	8,966.52	7,185.48	(-)1,781.04
मूल	8,986.52		
पुनर्वि०	(-)20.00		
₹ 20.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0109 योजना तंत्र का सुदृढीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत	600.00	316.14	(-)283.86
स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में			
मूल	600.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2059 लोक निर्माण कार्य			
01 कार्यालय भवन			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत			
(गैर-योजना)			
0024 मेला, हाट, बाजार, कचहरी भवन का संधारण	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, नई योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00				
001	निदेशन और प्रशासन			
योजना	(राज्य योजना)			
0105	बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण	28.00	28.00	0.00
	मूल	300.00		
	पुनर्वि०	(-)272.00		
	₹ 272.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00				
101	योजना आयोग/योजना बोर्ड			
	(गैर-योजना)			
0001	बिहार राज्य योजना बोर्ड	486.55	484.03	(-)2.52
	मूल	609.72		
	अनुपूरक	0.02		
	पुनर्वि०	(-)123.19		
	₹ 123.19 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	बिहार राज्य योजना बोर्ड	2.06	2.06	0.00
	मूल	700.00		
	पुनर्वि०	(-)697.94		
	₹ 697.94 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
001	निदेशन और प्रशासन			
	(गैर-योजना)			
0001	योजना कार्यों का मूल्यांकन	99.37	99.37	0.00
	मूल	122.60		
	पुनर्वि०	(-)23.23		
	₹ 23.23 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
111	जन्म-मृत्यु सांख्यिकी			
	(गैर-योजना)			
0001	सामान्य सांख्यिकी का संग्रह	667.28	667.28	0.00
	मूल	838.69		
	पुनर्वि०	(-)171.41		
	प्रावधान में ₹ 171.41 लाख की हुई कमी, ₹ 63.54 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 234.95 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । प्रावधान में कमी अन्य मदों से वेतन आदि के भुगतान के लिए स्थानांतरण के कारण हुई । वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
204 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (गैर-योजना)			
0001 प्रखंड स्तर पर सांख्यिकीय यंत्र मूल 1,220.24 पुनर्वि० (-)512.32 ₹ 447.20 लाख का प्रत्यर्पण, अन्य मदों से वेतनादि के भुगतान के लिए स्थानांतरण के कारण हुई । ₹ 65.12 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	707.92	705.68	(-)2.24
0002 राज्य सांख्यिकी संगठन मूल 2,036.84 पुनर्वि० (-)430.08 ₹ 366.54 लाख का प्रत्यर्पण, अन्य मदों से वेतनादि के भुगतान के लिए स्थानांतरण के कारण हुई । ₹ 63.54 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	1,606.76	1,574.05	(-)32.71
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0401 आर्थिक गणना मूल 1,141.59 पुनर्वि० (-)773.85 ₹ 773.85 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से पूरी राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	367.74	367.63	(-)0.11
0408 क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण मूल 111.20 पुनर्वि० (-)38.61 ₹ 38.61 लाख के प्रत्यर्पण, अन्य मदों से वेतनादि के भुगतान के लिए स्थानांतरण के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	72.59	72.01	(-)0.58
0409 फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित्त योजना मूल 77.24 पुनर्वि० (-)39.16 ₹ 39.16 लाख के प्रत्यर्पण, अन्य मदों से वेतनादि के भुगतान के लिए स्थानांतरण के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	38.08	37.59	(-)0.49
योजना (राज्य योजना)			
0119 योजना कार्यों का मूल्यांकन मूल 150.00 पुनर्वि० (-)128.14 ₹ 128.14 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	21.86	21.86	0.00

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0120	भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	60.00		
	पुनर्वि०	(-)60.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, नई योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
205	राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
योजना	(केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0405	लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना	26.70	26.47	(-)0.23
	मूल	516.30		
	पुनर्वि०	(-)489.60		
	₹ 489.60 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0406	राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण)	0.99	0.99	0.00
	मूल	59.00		
	पुनर्वि०	(-)58.01		
	₹ 58.01 लाख का प्रत्यर्पण, तकनीकी कारणों से हुई ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	समग्र सांख्यिकी विकास योजना	853.27	852.73	(-)0.54
	मूल	7,420.66		
	पुनर्वि०	(-)6,567.39		
	₹ 6,567.39 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
00				
004	अनुसंधान, अनुसंधान विकास			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	मुख्य मंत्री नवप्रवर्तन प्रोत्साहन योजना	0.21	0.21	0.00
	मूल	200.00		
	अनुपूरक	50.00		
	पुनर्वि०	(-)249.79		
	₹ 199.79 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई । ₹ 50.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹ 11,900.35 लाख की अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 37,579.18 लाख) तथा दिसम्बर 2015 (₹ 12,400.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 49,979.18 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ, अधिक व्यय के विनियमितकरण की आवश्यकता है ।

(v) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0109 योजना तंत्र का सुदृढीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत	7,886.70	327.33	(-)7,559.37
स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में			
मूल	7,998.86		
पुनर्वि०	(-)112.16		
₹ 112.16 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0114 आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना,	32,316.54	32,316.54	0.00
विश्व बैंक संपोषित			
मूल	88,762.54		
पुनर्वि०	(-)56,446.00		
₹ 18,866.82 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई । ₹ 37,579.18 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0102 कृषि विभाग के भवन	32.00	0.00	(-)32.00
मूल	35.00		
पुनर्वि०	(-)3.00		
₹ 3.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई । सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमांत

(vi) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0107 मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम	68,157.10	1,46,402.90	(+)78,245.80
मूल	33,316.22		
अनुपूरक	36,579.18		
पुनर्वि०	(-)1,738.30		

₹ 1,738.30 लाख का प्रत्यर्पण, विशेष कार्यक्रम की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

**अनुदान संख्या - 36 - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2215 जलापूर्ति तथा सफाई			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	46,01,956	46,01,956	35,87,549 (-)10,14,407
अनुपूरक	0		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			9,97,861

पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	1,05,59,400	1,20,59,400	77,37,918 (-)43,21,482
अनुपूरक	15,00,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			18,97,760

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 10,144.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत ₹ 46,019.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,978.61 लाख), अंतिम बचत (₹ 10,144.07 लाख) से ₹ 165.46 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2215 जलापूर्ति तथा सफाई			
01 जलापूर्ति			
101 शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0004 शहरी जलापूर्ति योजना	5,782.95	5,682.79	(-)100.16
मूल	7,592.99		
पुनर्वि०	(-)1,810.04		
₹ 1,810.04 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्रों के पारित नहीं होने, संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0006 सरकारी भवनों में जलापूर्ति	699.18	699.18	0.00
मूल	1,150.00		
पुनर्वि०	(-)450.82		
₹ 450.82 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्रों के पारित नहीं होने के कारण हुई।			
102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0001 ग्रामीण जलापूर्ति योजना	13,257.82	13,232.77	(-)25.05
मूल	17,783.49		
पुनर्वि०	(-)4,525.67		
₹ 4,525.67 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्रों के पारित नहीं होने, संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
0002 हस्तचालित ट्यूबवेल्ल्स, तालाब, कुएं तथा उच्च प्रवाही नलकूप	12,018.16	11,978.00	(-)40.16
मूल	13,990.00		
पुनर्वि०	(-)1,971.84		
₹ 1,971.84 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्रों के पारित नहीं होने, संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
योजना (राज्य योजना)			
0105 क्षेत्र विस्तृत पद्धति द्वारा स्वास्थ्य सुदृढीकरण (बाह्य सम्पोषित परियोजना)	4,151.35	4,137.69	(-)13.66
मूल	5,259.00		
पुनर्वि०	(-)1,107.65		
₹ 1,107.65 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
02 मल-जल तथा सफाई			
003 प्रशिक्षण			
योजना (राज्य योजना)			
0102 बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण सह शोध कार्य के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00
मूल	25.00		
पुनर्वि०	(-)25.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

00			
090 सचिवालय			
(गैर-योजना)			
0016 लोक स्वास्थ्य अभिव्यंजन विभाग	131.49	131.40	(-)0.09
मूल	219.07		
पुनर्वि०	(-)87.58		
₹ 87.58 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्रों के पारित नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 43,214.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए दिसम्बर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 15,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक रशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 18,977.60 लाख), अंतिम बचत (₹ 43,214.82 लाख) से ₹ 24,237.22 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01 जलापूर्ति			
102 ग्रामीण जलापूर्ति			
योजना (राज्य योजना)			
0118 प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	64.69	60.85	(-)3.84
मूल	120.00		
पुनर्वि०	(-)55.31		
₹ 55.31 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0119 निदेशन, प्रशासन एवं स्थापना	510.87	508.33	(-)2.54
मूल	800.00		
पुनर्वि०	(-)289.13		
₹ 289.13 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0229 निर्मल भारत अभियान	17,087.37	3,217.62	(-)13,869.75
मूल	25,778.00		
पुनर्वि०	(-)8,690.63		
₹ 8,690.63 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0230 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	21,745.00	12,300.00	(-)9,445.00
मूल	9,445.00		
अनुपूरक	12,300.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0330 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	17,742.49	17,668.00	(-)74.49
मूल	25,730.96		
पुनर्वि०	(-)7,988.47		
₹ 3,400.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 4,588.47 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0102 ग्रामीण जलापूर्ति योजना	33.92	9.68	(-)24.24
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)16.08		
₹ 16.08 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0104 ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास	550.00	150.00	(-)400.00
हेतु नाबार्ड से ऋण			
मूल	550.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0106 प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	13.48	13.48	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)36.52		
₹ 36.52 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0312 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2,655.16	2,631.58	(-)23.58
मूल	5,790.48		
पुनर्वि०	(-)3,135.32		
₹ 600.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 2,535.32 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप)	291.55	272.12	(-)19.43
मूल	350.00		
पुनर्वि०	(-)58.45		
₹ 58.45 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0111 प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	0.00	0.00	0.00
मूल	30.00		
पुनर्वि०	(-)30.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0217 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	250.00	0.00	(-)250.00
मूल	250.00		
अनुपूरक	300.00		
पुनर्वि०	(-)300.00		
₹ 300.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0218 निर्मल भारत अभियान	226.12	226.12	0.00
मूल	630.00		
पुनर्वि०	(-)403.88		
₹ 403.88 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

(vii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01 जलापूर्ति			
102 ग्रामीण जलापूर्ति			
योजना (राज्य योजना)			
0103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नल कूप द्वारा)	10,369.06	10,336.67	(-)32.39
मूल	9,150.00		
पुनर्वि०	1,219.06		
प्रावधान में ₹ 1,219.06 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,900.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 680.94 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
02 मल-जल तथा सफाई			
106 मल-जल सेवाएं			
योजना (राज्य योजना)			
0104 शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	2,370.91	2,370.91	0.00
मूल	1,500.00		
पुनर्वि०	870.91		

प्रावधान में ₹ 870.91 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 629.09 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

अनुदान संख्या - 37- ग्रामीण कार्य विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054 सड़क तथा सेतु			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	1,40,88,114	1,40,88,114	98,67,454
अनुपूरक	0		(-)42,20,660
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			38,40,510
(31 मार्च 2016)			

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :				
मूल	5,41,22,974	9,08,49,274	7,87,55,902	(-)1,20,93,372
अनुपूरक	3,67,26,300			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,11,25,171
29 सितंबर 2015	5,00,000			
31 मार्च 2016	1,06,25,171			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- (i) ₹ 42,206.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत ₹ 1,40,881.14 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 38,405.10 लाख), अंतिम बचत (₹ 42,206.60 लाख) से ₹ 3,801.50 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 37 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0009 अभियंत्रण स्थापना	6,990.11	6,695.44	(-)294.67
मूल	10,214.40		
पुनर्वि०	(-)3,224.29		
₹ 3,224.29 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0108 ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना	11,083.91	10,803.70	(-)280.21
मूल	19,000.00		
पुनर्वि०	(-)7,916.09		
₹ 7,916.09 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3054 सड़क तथा सेतु			
04 जिला तथा अन्य सड़कें			
105 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0001 ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय	82,882.23	79,660.73	(-)3,221.50
मूल	1,10,000.00		
पुनर्वि०	(-)27,117.77		
₹ 27,117.77 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0029 ग्रामीण कार्य विभाग	519.79	514.67	(-)5.12
मूल	666.74		
पुनर्वि०	(-)146.95		
₹ 146.95 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 37 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 1,20,933.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 (₹ 1,31,863.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 2,35,400.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,67,263.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,11,251.71 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,20,933.72 लाख) से ₹ 9,682.01 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
103 ग्रामीण विकास			
योजना (राज्य योजना)			
0101 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	21,597.05	11,915.04	(-)9,682.01
मूल	30,530.00		
पुनर्वि०	(-)8,932.95		
₹ 5,000.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग के आदेश के आलोक में हुई । ₹ 3,932.95 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0216 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०)	2,04,334.05	2,04,334.05	0.00
मूल	1,21,182.24		
अनुपूरक	1,56,917.00		
पुनर्वि०	(-)73,765.19		
₹ 73,765.19 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0217 ग्राम सड़क (केन्द्रीय सड़क निधि से)	73,765.19	73,765.19	0.00
मूल	1,02,318.76		
पुनर्वि०	(-)28,553.57		
₹ 28,553.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 38- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2030 स्टाम्प तथा पंजीकरण			
2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	14,62,185	15,45,155	10,55,688
अनुपूरक	82,970		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			(-)4,89,467
			4,85,713
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	0	10,000	10,000
अनुपूरक	10,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			0
टीका एवं टिप्पणियाँ-			
राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 4,894.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 (₹ 264.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 565.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 829.70 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,857.13 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,894.67 लाख) से ₹ 37.54 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 38 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2030 स्टाम्प तथा पंजीकरण			
02 स्टाम्प-न्यायिकेतर			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 अधीक्षण	29.80	29.44	(-)0.36
मूल	60.74		
पुनर्वि०	(-)30.94		
₹ 30.94 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के सेवानिवृति तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101 स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)			
0002 प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
03 पंजीकरण			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 अधीक्षण	324.73	324.73	0.00
मूल	367.60		
पुनर्वि०	(-)42.87		
₹ 42.87 लाख का प्रत्यर्पण कर्मचारियों के सेवानिवृति तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुई ।			
0002 जिला प्रभार	3,852.43	3,836.31	(-)16.12
मूल	5,783.10		
अनुपूरक	238.62		
पुनर्वि०	(-)2,169.29		
₹ 2,169.29 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के सेवानिवृति तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 38 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
00			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 अधीक्षण	424.72	424.72	0.00
मूल	623.69		
अनुपूरक	30.25		
पुनर्वि०	(-)229.22		
₹ 229.22 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुई ।			
0002 जिला प्रभार	4,455.22	4,435.74	(-)19.48
मूल	6,578.62		
अनुपूरक	10.83		
पुनर्वि०	(-)2,134.23		
₹ 2,134.23 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0007 उत्पाद दुकानों की बन्दी के लिए मुआवजा	0.00	0.00	0.00
मूल	20.00		
पुनर्वि०	(-)20.00		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण मुआवजे की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 39 - आपदा प्रबंधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	55,70,217	2,80,13,019	39,45,498
अनुपूरक	2,24,42,802		(-)2,40,67,521
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,03,31,471
24 नवंबर 2015	60,000		
2 दिसंबर 2015	1,01,52,499		
31 मार्च 2016	1,18,972		
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	4,000	4,000	1,116
अनुपूरक	0		(-)2,884
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,880
(31 मार्च 2016)			
टीका एवं टिप्पणियाँ-			
राजस्व (दत्तमत)			

- (i) ₹ 2,40,675.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 2,20,500.01 लाख), दिसंबर 2015 (₹ 600.01 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 3,328.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,24,428.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,03,314.71 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,40,675.21 लाख) से ₹ 1,37,360.50 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00			
106 सिविल रक्षा (गैर-योजना)			
0001 मुख्यालय स्थापना	134.80	134.66	(-)0.14
मूल	215.86		
पुनर्वि०	(-)81.06		
₹ 81.06 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 जिला प्रभार	39.48	36.90	(-)2.58
मूल	84.15		
पुनर्वि०	(-)44.67		
प्रावधान में ₹ 44.67 लाख की हुई कमी, ₹ 3.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 47.67 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 प्रशिक्षण	57.86	56.13	(-)1.73
मूल	102.71		
पुनर्वि०	(-)44.85		
₹ 3.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 41.85 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
01 पुनर्वास			
200 अन्य राहत उपाय (गैर-योजना)			
0003 शीत लहर से बचाव हेतु उपाय	21.70	19.73	(-)1.97
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)28.30		
₹ 28.30 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 मृदा कटाव से विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए सहायक अनुदान	1,000.00	238.57	(-)761.43
मूल	1,000.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01 सूखा			
101 आनुग्रहिक राहत (गैर-योजना)			
0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान	2,250.00	(-)0.88	(-)2,249.12
मूल	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)750.00		
₹ 750.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 खाद्यान्न की आपूर्ति	750.00	4.00	(-)746.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)250.00		
₹ 250.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0005 अन्य कार्य	750.00	0.00	(-)750.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)250.00		
₹ 250.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0006 अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान)	975.00	0.00	(-)975.00
मूल	1,300.00		
पुनर्वि०	(-)325.00		
₹ 325.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 पीने के पानी की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 ट्रकों एवं टैंकों से पेयजल की आपूर्ति	750.00	0.00	(-)750.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)250.00		
₹ 250.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
104 चारे की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 चारे की पूर्ति	75.00	0.00	(-)75.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)25.00		
₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
105 पशु चिकित्सा (गैर-योजना)			
0001 पशुओं के लिए दवा	37.50	0.00	(-)37.50
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)12.50		
₹ 12.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
282 लोक स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
0002 जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मत	750.00	0.00	(-)750.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)250.00		
₹ 250.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
02 बाढ़, चक्रवात आदि			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था	591.44	194.97	(-)396.47
मूल	591.44		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101 आनुग्रहिक रहत (गैर-योजना)			
0001 निःसहाय एवं विकलांगों को नगद अनुदान	6,178.00	3,502.64	(-)2,675.36
मूल	6,178.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 खाद्यान्न की आपूर्ति	11,450.00	4,384.39	(-)7,065.61
मूल	12,000.00		
पुनर्वि०	(-)550.00		
₹ 550.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0003 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	800.00	608.72	(-)191.28
मूल	800.00		
0005 आग लगने से रहत कार्य के लिए नकद अनुदान	500.00	237.25	(-)262.75
मूल	500.00		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0006 आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	1,125.00	85.72	(-)1,039.28
मूल	1,500.00		
पुनर्वि०	(-)375.00		
₹ 375.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0007 आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान	750.00	222.91	(-)527.09
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)250.00		
₹ 250.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0010 वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान	600.00	466.75	(-)133.25
मूल	300.00		
पुनर्वि०	300.00		
₹ 300.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0011 नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पयात भाग का क्षरण	150.00	7.64	(-)142.36
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0012 विभिन्न पंचायतों में भूखमरी से प्रभावित परिवारों के लिए एक किंवदल खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार	400.50	0.00	(-)400.50
मूल	534.00		
पुनर्वि०	(-)133.50		
₹ 133.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0016 राज्य की स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से राहत हेतु अनुदान	550.01	440.92	(-)109.09
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	550.00		
₹ 550.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 पीने के पानी की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 पेयजल की आपूर्ति	282.06	0.00	(-)282.06
मूल	375.99		
पुनर्वि०	(-)93.93		
₹ 93.93 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
104 चारे की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 चारे की पूर्ति	187.50	0.00	(-)187.50
मूल	250.00		
पुनर्वि०	(-)62.50		
₹ 62.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
105 पशु चिकित्सा (गैर-योजना)			
0001 पशुओं के लिए दवा	168.75	0.00	(-)168.75
मूल	225.00		
पुनर्वि०	(-)56.25		
₹ 56.25 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
106 खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना (गैर-योजना)			
0001 क्षतिग्रस्त सड़कों-पुलों की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन	1,850.00	0.00	(-)1,850.00
मूल	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)150.00		
₹ 150.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
109 खराब जल-पूर्ति, जल-निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना (गैर-योजना)			
0001 क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मत एवं प्रतिस्थापन	150.00	11.38	(-)138.62
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
112 जनसंख्या का निष्क्रमण (गैर-योजना)			
0002 जनसंख्या का निष्क्रमण	5,084.98	782.71	(-)4,302.27
मूल	5,234.98		
पुनर्वि०	(-)150.00		
₹ 150.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0003 आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव संयंत्रों तथा निकासन संयंत्रों का क्रय	1,125.00	0.00	(-)1,125.00
मूल	1,500.00		
पुनर्वि०	(-)375.00		
₹ 375.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 संचार उपकरणों का क्रय	375.00	0.00	(-)375.00
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)125.00		
₹ 125.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0104 संचार उपकरणों का क्रय	360.00	0.00	(-)360.00
मूल	360.00		
संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
113 घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता (गैर-योजना)			
0001 बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापन	300.00	12.39	(-)287.61
मूल	400.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
₹ 100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0003 अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण	5,000.00	1,518.37	(-)3,481.63
मूल	500.00		
अनुपूरक	40,000.00		
पुनर्वि०	(-)35,500.00		
प्रावधान में ₹ 35,500.00 लाख की हुई कमी, ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 36,500.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
114 कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	1,11,608.00	93,028.37	(-)18,579.63
मूल	1,608.00		
अनुपूरक	1,75,000.00		
पुनर्वि०	(-)65,000.00		
₹ 65000.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 वार्षिक फसलों के लिए सहायता	37.50	0.00	(-)37.50
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)12.50		
₹ 12.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0003 कृषि फसलों के लिए सहायता	37.50	0.00	(-)37.50
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)12.50		
₹ 12.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
115 भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता	37.50	0.15	(-)37.35
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)12.50		
₹ 12.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
117 पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 बाढ़/सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का विस्थापन	75.00	0.71	(-)74.29
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)25.00		
₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0003 जीवनोपयोगी पशुओं का विस्थापन	112.50	2.72	(-)109.78
मूल	125.00		
पुनर्वि०	(-)12.50		
₹ 12.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
118 मछली पकड़ने के लिए खराब किशितयों तथा उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापना के लिए सहायता (गैर-योजना)			
0001 क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मती/नये नावों का निर्माण	625.99	200.42	(-)425.57
मूल	625.99		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
122 क्षतिग्रस्त सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना (गैर-योजना)			
0001 क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मति	1,451.93	917.31	(-)534.62
मूल	500.00		
पुनर्वि०	951.93		
₹ 951.93 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
282 लोक स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
0004 कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति	44.00	0.10	(-)43.90
मूल	44.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0008 क्षतिग्रस्त विद्युत आपूर्ति	177.25	0.00	(-)177.25
मूल	233.00		
पुनर्वि०	(-)55.75		
₹ 55.75 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
06 भूकम्प			
101 आनुग्रहिक राहत (गैर-योजना)			
0001 मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान	460.00	296.00	(-)164.00
मूल	10.00		
पुनर्वि०	450.00		
₹ 450.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0003 खाद्यान की आपूर्ति	40.00	1.31	(-)38.69
अनुपूरक	40.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 भूकंप से प्रभावितों को कपड़ा तथा वर्तन का मुफ्त वितरण	50.00	1.06	(-)48.94
अनुपूरक	50.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
113 घर की मरम्मत-पुनर्निर्माण के लिए सहायता (गैर-योजना)			
0001 भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत-पुनर्स्थापन	390.00	191.26	(-)198.74
मूल	5.00		
अनुपूरक	385.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
80 सामान्य			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना	333.24	306.88	(-)26.36
मूल	458.24		
पुनर्वि०	(-)125.00		
₹ 125.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन योजना (राज्य योजना)			
0104 राज्य आपदा रिसर्पॉन्स फोर्स	1,440.60	1,409.58	(-)31.02
मूल	1,600.00		
अनुपूरक	600.00		
पुनर्वि०	(-)759.40		
₹ 759.40 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0105 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	400.00	12.17	(-)387.83
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)600.00		
₹ 600.00 लाख का प्रत्यर्पण, बिहार सैन्य पुलिस/बिहार पुलिस के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति राज्य आपदा मोचन बल में होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
800 अन्य व्यय			
योजना (राज्य योजना)			
0102 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	1,128.00	656.16	(-)471.84
मूल	1,128.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	--------------------------

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

00

090 सचिवालय
(गैर-योजना)

0017 आपदा प्रबंधन विभाग	360.18	359.23	(-)0.95
-------------------------	--------	--------	---------

मूल	432.81
-----	--------

पुनर्वि०	(-)72.63
----------	----------

₹ 72.63 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹ 28.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 40.00 लाख का मूल अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 28.80 लाख), अंतिम बचत (₹ 28.84 लाख) से ₹ 0.04 लाख कम था ।

(vi) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	--------------------------

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

00

051 निर्माण
योजना (राज्य योजना)

0104 भांडागार	11.20	11.16	(-)0.04
---------------	-------	-------	---------

मूल	40.00
-----	-------

पुनर्वि०	(-)28.80
----------	----------

₹ 28.80 लाख का प्रत्यर्पण, जिलों से अधियाचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

(vii) राज्य आपदा रिस्पाँस निधि (एस०डी०आर०एफ०)

सकल बजट बनाने की पद्धति के अधीन विधानमंडल में उपस्थापित अनुदानों की माँग व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि के लिए होती है । फलतः वसूली की राशि, जिसे लेखे में व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया जाता है, को उपेक्षित किया जाता है एवं बजट में माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है । योजना में निर्धारित किए गए बजट एवं लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार भी जितना राहत व्यय निधि से वित्त पोषित किया जाता है, उसे राज्य सरकार के अनुदानों की माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है । इसके विपरीत, सकल राशि में से जितना राहत व्यय (₹ 40,657.00 लाख) राज्य आपदा रिस्पाँस निधि से वित्त पोषित किया जाता था, उसे घटाने के बाद निकले निवल राशि के लिए अनुदान प्राप्त किया गया था ।

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

नौवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता देने की एक योजना बनाई, जो वित्तीय वर्ष 1990-91 से लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक जारी रही। दसवें वित्त आयोग ने वर्ष 1995-96 से आपदा राहत निधि की योजना को वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अंत तक जारी रखा। ग्यारहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक कुछ संशोधनों के साथ आपदा राहत निधि योजना को पुनः जारी रखने की अनुशंसा की। तदोपरान्त, बारहवें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना का परिचालन एवं प्रशासन वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक जारी रखा।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32-3/2010-एन.डी.एम.-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 के द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को अंगीभूत करते हुए राज्य आपदा रिस्पांस निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुभाग 46 (1) एवं 48 (1) (क) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक जारी रही। इस योजना के तहत राज्य आपदा रिस्पांस निधि का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया। 31 मार्च 2010 को आपदा राहत निधि में अवशेष राशि का स्थानान्तरण राज्य आपदा रिस्पांस निधि में किया गया और आपदा राहत निधि का अस्तित्व 01.04.2010 से समाप्त हो गया।

एस०डी०आर०एफ० योजना के अनुसार, इस निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ निम्नलिखित प्रतिमान के अनुसार किया जाएगा, जबतक भारत सरकार द्वारा अन्यथा कोई निदेश जारी न की जाय :-

(क) केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियाँ,

(ख) नीलाम किए गए खजाना बिल,

(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट।

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य आपदा रिस्पांस निधि के लिए निधि का प्रावधान किया तथा एस०डी०आर०एफ० में राज्यों को 10 प्रतिशत अंशदान एवं शेष 90 प्रतिशत संघ सरकार द्वारा दिये जाने का अनुशंसा किया। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 33-3/2015-एन.डी.एम.-1 दिनांक 30 जुलाई 2015 द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को इस संशोधन के साथ अंगीभूत किया कि राज्यों का हिस्सा पूर्ववत् जारी रहेगा। राज्य आपदा रिस्पांस निधि में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक अंशदान की राशि निम्नवत् होगी :-

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	जोड़ (₹ करोड़ में)
केन्द्र का हिस्सा (75%)	351.75	369.00	387.75	407.25	427.50	1,943.25
राज्य का हिस्सा (25%)	117.25	123.00	129.25	135.75	142.50	647.75
जोड़	469.00	492.00	517.00	543.00	570.00	2,591.00

अनुदान संख्या - 39 - क्रमांत

वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रारंभ में एस०डी०आर०एफ० में आरंभिक शेष ₹ 1,809.57 करोड़ था ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये भारत सरकार के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त के मद में कुल ₹ 351.75 करोड़ (प्रत्येक किश्त ₹ 175.875 करोड़) क्रमशः दिनांक 27 मई 2015 एवं 29 जनवरी 2016 को विमुक्त की गई तथा राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश संख्या 146 दिनांक 6 जुलाई 2015 एवं 1174 दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा राज्यांश ₹ 117.25 करोड़ सहित कुल राशि ₹ 569.00 करोड़ एस०डी०आर०एफ० में जमा अंतरण हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया । तदनुसार केन्द्रांश ₹ 351.75 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 117.25 करोड़, कुल ₹ 569.00 करोड़ एस०डी०आर०एफ० में जमा किया गया । राज्य सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या 596 दिनांक 10 फरवरी 2016 द्वारा सूचित वर्ष 2014-15 के दौरान एस०डी०आर०एफ० के अवशेष से ट्रेजरी बिल में ₹ 383.16 करोड़ एवं ₹ 383.56 करोड़ के निवेश से प्राप्त ब्याज ₹ 33.28 करोड़ को भी एस०डी०आर०एफ० में अंतरण क्रेडिट किया गया । तदनुसार, ₹ 351.75 करोड़, ₹ 117.25 करोड़ एवं ₹ 33.28 करोड़ कुल ₹ 502.28 करोड़ एस०डी०आर०एफ० में अंतरण क्रेडिट किया गया ।

राज्य सरकार से ₹ 152.089 करोड़, ₹ 275.504 करोड़, ₹ 634.005 करोड़ एवं ₹ 224.989 करोड़ के डेबिट नोट प्राप्त हुए । तदनुसार राशि ₹ 152.089 करोड़, ₹ 275.504 करोड़, ₹ 634.005 करोड़ एवं ₹ 224.989 करोड़ कुल ₹ 1,286.587 करोड़ एस०डी०आर०एफ० को नामे किया गया, वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में एस०डी०आर०एफ० का अवशेष ₹ 1,408.43 करोड़ रह गया ।

**अनुदान संख्या -40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
2029 भू-राजस्व			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075 विविध सामान्य सेवाएं			
2506 भूमि सुधार			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
दत्तमत :			
मूल	67,67,241	72,80,443	48,96,765
अनुपूरक	5,13,202		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			23,44,653
19 जनवरी 2016	65,000		
16 मार्च 2016	5,000		
31 मार्च 2016	22,74,653		
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	3,75,652	3,75,652	2,22,107
अनुपूरक	0		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,50,882
16 मार्च 2016	20,000		
31 मार्च 2016	1,30,882		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 23,836.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 32.52 लाख), दिसंबर 2015 (₹ 342.06 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 4,757.44 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,132.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 23,446.53 लाख), अंतिम बचत (₹ 23,836.78 लाख) से ₹ 390.25 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2014 न्याय प्रशासन			
00			
106 लघुवाद न्यायालय (गैर-योजना)			
0003 बिहार भूमि न्यायाधिकरण	119.10	119.10	0.00
मूल	148.13		
अनुपूरक	11.00		
पुनर्वि०	(-)40.03		
₹ 40.03 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2029 भू-राजस्व			
00			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 जिला प्रभार भू-अर्जन स्थापना	1,303.85	1,282.29	(-)21.56
मूल	1,741.40		
अनुपूरक	3.02		
पुनर्वि०	(-)440.57		
₹ 440.57 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 जोतों की चकबंदी	1,199.73	1,195.92	(-)3.81
मूल	1,400.00		
पुनर्वि०	(-)200.27		
₹ 200.27 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0103 विभाग के मुख्यालय एवं कार्यालय का आधुनिकीकरण	19.77	19.77	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)80.23		
₹ 50.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्ध्यय में कटौती के कारण हुई । ₹ 30.23 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य			
योजना (राज्य योजना)			
0101 सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	2,685.44	2,680.32	(-)5.12
मूल	4,200.00		
पुनर्वि०	(-)1,514.56		
₹ 1,514.56 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 भू-अभिलेख (गैर-योजना)			
0001 भू-अभिलेख स्थापना	640.73	640.73	0.00
मूल	778.83		
पुनर्वि०	(-)138.10		
₹ 138.10 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबंधन (गैर-योजना)			
0001 राजस्व प्रशासन पर व्यय	36,513.43	36,448.51	(-)64.92
मूल	54,948.30		
अनुपूरक	280.01		
पुनर्वि०	(-)18,714.88		
प्रावधान में ₹ 18,714.88 लाख की हुई कमी, ₹ 18,716.88 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षा	441.93	410.81	(-)31.12
मूल	588.17		
पुनर्वि०	(-)146.24		
₹ 2.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 144.24 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0003 भूदान यज्ञ समिति की सहायक अनुदान	158.16	158.16	0.00
मूल	158.16		
अनुपूरक	128.65		
पुनर्वि०	(-)128.65		
₹ 128.65 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0004 जमींदारी उन्मूलन बन्धपत्र	0.00	0.00	0.00
मूल	41.76		
पुनर्वि०	(-)41.76		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0017 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	907.95	891.85	(-)16.10
मूल	1,040.15		
अनुपूरक	27.15		
पुनर्वि०	(-)159.35		
₹ 159.35 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
099 राजस्व बोर्ड (गैर-योजना)			
0001 राजस्व पर्षद	291.96	290.89	(-)1.07
मूल	398.01		
अनुपूरक	32.69		
पुनर्वि०	(-)138.74		
₹ 138.74 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0022 बिहार राज्य मेला प्राधिकार	0.00	0.00	0.00
मूल	43.29		
पुनर्वि०	(-)43.29		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2506 भूमि सुधार			
00			
102 चकबन्दी (गैर-योजना)			
0001 जोतों की चकबन्दी	240.39	235.29	(-)5.10
मूल	379.62		
पुनर्वि०	(-)139.23		
₹ 139.23 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
01 जनगणना			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0402 कृषि गणना	112.06	79.18	(-)32.88
मूल	127.30		
अनुपूरक	18.00		
पुनर्वि०	(-)33.24		
₹ 33.24 लाख का प्रत्यर्पण, केन्द्र सरकार से कम एवं विलंब से राशि प्राप्त होने तथा कुछ जिलों द्वारा मानदेय की निकासी नहीं किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
101 जनगणना आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण (गैर-योजना)			
0002 जनगणना स्थापना, 2011	3,222.39	3,053.09	(-)169.30
अनुपूरक	4,613.59		
पुनर्वि०	(-)1,391.20		
₹ 1,391.20 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 1,535.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 3,756.52 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,508.82 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,535.45 लाख) से ₹ 26.63 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
050 भूमि			
योजना (राज्य योजना)			
0104 सड़क निर्माण हेतु भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	422.76	420.96	(-)1.80
मूल	550.00		
पुनर्वि०	(-)127.24		
₹ 127.24 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0104 भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के न्यायालय कक्ष का निर्माण	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	1,240.64	1,221.69	(-)18.95
मूल	2,625.10		
पुनर्वि०	(-)1,384.46		
₹ 337.91 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 1,046.55 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 40 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	------------------------------

796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

योजना (राज्य योजना)

0101 गृहविहीनों के लिए वास भूमि 8.00 2.40 (-)5.60

मूल 146.15

पुनर्वि० (-)138.15

₹ 100.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्य में कटौती के कारण हुई । ₹ 38.15 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

(vii) अधिक व्यय (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	------------------------------

4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

00

789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

योजना (राज्य योजना)

0104 गृह विहीन परिवारों के लिए गृह निर्माण 576.30 576.02 (-)0.28

मूल 334.27

पुनर्वि० 242.03

प्रावधान में ₹ 242.03 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 337.91 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 95.88 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

अनुदान संख्या - 41 - पथ निर्माण विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
3054 सड़क तथा सेतु			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	94,00,717	1,03,29,417	91,53,095
अनुपूरक	9,28,700		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			7,71,256
(31 मार्च 2016)			
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	4,85,49,900	5,03,89,904	4,43,90,119
अनुपूरक	18,40,004		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			51,03,889
15 जून 2015	36,500		
10 सितंबर 2015	12,60,000		
10 फरवरी 2016	9,40,000		
31 मार्च 2016	28,67,389		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 11,763.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 9,287.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,712.56 लाख), अंतिम बचत (₹ 11,763.22 लाख) से ₹ 4,050.66 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
3054 सड़क तथा सेतु			
03 राजकीय राजमार्ग			
001 निदेशन तथा प्रशासन (राज्य योजना)			
0101 क्षमता विकास (बाह्य सम्पौषित परियोजना)	269.91	269.91	0.00
मूल	73.00		
अनुपूरक	365.00		
पुनर्वि०	(-)168.09		
₹ 168.09 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
052 मशीनरी तथा उपस्कर (गैर-योजना)			
0001 मशीने और उपकरण	191.86	191.25	(-)0.61
मूल	300.01		
पुनर्वि०	(-)108.15		
₹ 108.15 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0001 कार्यभारित व्यय	53.83	53.83	0.00
मूल	300.00		
पुनर्वि०	(-)246.17		
₹ 64.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 182.17 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0002 पर्यवेक्षण	20,742.60	20,607.17	(-)135.43
मूल	25,240.28		
पुनर्वि०	(-)4,497.68		
प्रावधान में ₹ 4,497.68 लाख की हुई कमी, हुई । ₹ 58.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 4,555.68 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0006 राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना-निदेशन	2,191.30	0.00	(-)2,191.30
मूल	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)808.70		
₹ 808.70 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0010 बिहार लोक कार्य संबिदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण	91.87	89.93	(-)1.94
मूल	120.09		
पुनर्वि०	(-)28.22		
प्रावधान में ₹ 28.22 लाख की हुई कमी, ₹ 6.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 34.22 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
797 आरक्षित निधि/जमा खाते को/से अंतरण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 केन्द्रीय सड़क निधि से स्थानांतरण	8,922.00	8,006.00	(-)916.00
अनुपूरक	8,922.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय			
(गैर-योजना)			
0014 पथ निर्माण विभाग	283.20	280.82	(-)2.38
मूल	326.03		
पुनर्वि०	(-)42.83		
₹ 42.83 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 59,997.85 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 0.01 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 0.03 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 18,400.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 18,400.04 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 51,038.89 लाख), अंतिम बचत (₹ 59,997.85 लाख) से ₹ 8,958.96 लाख कम था।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
02 महत्वपूर्ण सीमा सड़कें			
337 सड़क निर्माण कार्य			
योजना (राज्य योजना)			
0101 भारत-नेपाल सीमा सड़क	31,883.61	27,327.03	(-)4,556.58
मूल	72,000.00		
पुनर्वि०	(-)40,116.39		
₹ 12,600.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई। ₹ 18,000.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 9,516.39 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)			

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
03 राज्य राजमार्ग			
052 मशीनरी तथा उपस्कर योजना (राज्य योजना)			
0101 मशीनें एवं उपस्कर	3.98	3.98	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)46.02		
₹ 46.02 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101 सेतु			
योजना (राज्य योजना)			
0101 पुल	35,213.27	35,130.68	(-)82.59
मूल	40,434.90		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	(-)5,221.64		
₹ 5,221.64 लाख का प्रत्यर्पण, विस्तृत आकस्मिक विपन्न लंबित रहने से राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0208 सड़कें तथा पुलें	14,778.94	13,258.14	(-)1,520.80
मूल	8,922.00		
पुनर्वि०	5,856.94		
प्रावधान में ₹ 5,856.94 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 9,000.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 3,143.06 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
337 सड़क निर्माण कार्य			
योजना (राज्य योजना)			
0111 विशेष सहायता (बी०आर०जी०-पथ)	29,999.99	29,999.99	0.00
मूल	59,999.99		
पुनर्वि०	(-)30,000.00		
₹ 15,100.00 लाख का प्रत्यर्पण, केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई । ₹ 14,900.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0306 केन्द्रीय सड़क निधि	203.85	203.85	0.00
मूल	387.00		
पुनर्वि०	(-)183.15		
₹ 183.15 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(vii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	--------------------------

5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

03 राज्य राजमार्ग

101 सेतु

योजना (राज्य योजना)

0104 मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजना	30,063.11	30,124.42	(+)61.31
--------------------------------------	-----------	-----------	----------

मूल	40,000.00
-----	-----------

पुनर्वि०	(-)9,936.89
----------	-------------

₹ 1,436.89 लाख का प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । ₹ 8,500.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

337 सड़क निर्माण कार्य

0102 वृहद्-सड़कें	1,50,154.41	1,85,673.81	(+)35,519.40
-------------------	-------------	-------------	--------------

मूल	1,00,000.00
-----	-------------

अनुपूरक	18,400.01
---------	-----------

पुनर्वि०	31,754.40
----------	-----------

प्रावधान में ₹ 31,754.40 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 41,797.75 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 9,397.75 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 645.60 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

(viii) **उचंत लेन-देन :** (क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 37,658.39 लाख (निवल) का उपयोग उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नाम और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं । लघुशीर्ष उचंत के चार उप-प्रभाग होते हैं, यथा-(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचंत । प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देनों की प्रकृति निम्नलिखित है -

(i) स्टॉक :- इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गयी सामग्रियों का मूल्य हटा दिया जाता है । स्टॉक का शेष, स्टॉक में रखी गयी सामग्रियों के मूल्य का सूचक है ।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(ii) **क्रय :-** जब मास के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किये बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, उसका मूल्य यथा स्थिति लेखा के उस विशिष्ट “कार्य” शीर्ष में या “स्टॉक” उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर क्रय में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि का “क्रय” शीर्ष में नामे डालकर प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यदि यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है तो यह प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है। वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को “8658-उचंत लेखा, 129-सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा” में दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा - भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पहले के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।

(iii) **विविध निर्माण कार्य अग्रिम :-** इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय की गई राशि, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(iv) **कार्यशाला उचंत :-** (क) लोक निर्माण विभाग के विभागी कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार, उनकी वसूली या उनके समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

(ख) इनमें से प्रत्येक उप-प्रभागों के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अंतशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2015 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2016 को अंतशेष
(₹ लाख में)					
(i) 3054 - सड़क तथा सेतु					
क्रय	(-)4,047.20	0.00	0.00	0.00	(-)4,047.20
स्टॉक	(-)690.43	0.00	0.00	0.00	(-)690.43
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	4,749.39	(-)1,320.89	0.00	(-)1,320.89	3,428.50
जोड़	11.76	(-)1,320.89	0.00	(-)1,320.89	(-)1,309.13
(ii) 5054 - सड़क तथा सेतु पूर पैँजीगत परिव्यय					
क्रय	(-)4.43	0.00	0.00	0.00	(-)4.43
स्टॉक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	3,88,400.94	(-)36,337.50	0.00	(-)36,337.50	3,52,063.44
जोड़	3,88,396.51	(-)36,337.50	0.00	(-)36,337.50	3,52,059.01

अनुदान संख्या - 41 - क्रमांत

- (ix) **पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा :-** लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती हैं तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2013-14 से 2015-16 के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है :-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता
(₹ लाख में)					
2013-14	4,37,963.27	26,277.80	6.00	426.41	0.09
2014-15	3,62,983.41	23,447.05	6.45	383.48	0.10
2015-16	5,35,151.33	23,669.27	4.42	195.23	0.04

(x) **केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त अनुदान**

भारत सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्प्रिट पर उत्पाद तथा आयात शुल्क की आय में से किया जाता है। इस निधि के अंतरण के लिए प्रत्येक वर्ष संस्वीकृत राशि केन्द्रीय सरकार के खाते में मुख्य शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु" में प्रतिपक्ष नामे डालकर इस शीर्ष में जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्यों आदि को आवंटित की जाती है।

इस निधि से प्राप्त राशि एवं उससे होने वाले व्यय को राज्य सरकार के खाते में निम्न प्रकार से लेखांकन प्रक्रिया हैं:-

केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त की गई राशि मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान, 01-योजनेतर अनुदान-106-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान या 02-राज्य की योजनागत योजना के लिए अनुदान-105-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान अथवा 04-केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत योजना के लिए अनुदान-105-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान जैसा भी मामला हो, में जमा की जाती है। तत्पश्चात, इतनी ही राशि मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु-80-सामान्य-797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को से अंतरण में प्रतिपक्ष जमा करके मुख्यशीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान में जमा की जाती है।

इन योजनाओं में हुई वास्तविक व्यय को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 3054/5054 के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है एवं अंततः इस मुख्य शीर्ष में किया गया व्यय को मुख्य राशि 8449-अन्य जमा अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि के शेष से पूरा किया जाता है। इन राशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान के नामे डालकर प्रतिपक्ष नामे मुख्य शीर्ष 3054/5054-902-जमा शीर्ष से प्रतिपूर्ति किया जाता है।

राज्य सरकार ने विहित प्रक्रिया नहीं अपनायी है, यद्यपि भारत सरकार से वर्ष 2014-15 में ₹ 8,336.00 लाख प्राप्त हुई एवं मुख्य शीर्ष 1601-02-105 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान के अंतर्गत जमा की गई।

**अनुदान संख्या - 42 - ग्रामीण विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2203 तकनीकी शिक्षा			
2216 आवास			
2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505 ग्राम रोजगार			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
दत्तमत :			
मूल	4,97,26,567	7,08,24,488	3,52,84,083
अनुपूरक	2,10,97,921		(-)3,55,40,405
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			3,52,79,386
7 जुलाई 2015	3		
8 जुलाई 2015	74,52,517		
15 जुलाई 2015	35,00,000		
17 जुलाई 2015	10,00,000		
30 मार्च 2016	92,051		
31 मार्च 2016	2,32,34,815		
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	24,34,050	24,34,050	1,00,532
अनुपूरक	0		(-)23,33,518
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			23,33,518
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 3,55,404.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 2,10,979.21 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,52,793.86 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,55,404.05 लाख) से ₹ 2,610.19 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2216 आवास			
03 ग्रामीण आवास			
105 इंदिरा आवास योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0102 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	0.00	0.00	0.00
मूल	10,000.00		
पुनर्वि०	(-)10,000.00		
₹ 2,500.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 7,500.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0104 इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	0.00	0.00	0.00
मूल	400.00		
पुनर्वि०	(-)400.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0106 मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	97.96	97.96	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)902.04		
₹ 902.04 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0202 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	46,512.65	46,512.65	0.00
मूल	44,672.00		
अनुपूरक	64,031.00		
पुनर्वि०	(-)62,190.35		
₹ 62,190.35 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0103 मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	3,965.10	3,965.10	0.00
मूल	30,000.00		
पुनर्वि०	(-)26,034.90		
₹ 7,500.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 18,534.90 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0202 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	35,068.53	35,068.53	0.00
मूल	57,956.00		
अनुपूरक	8,496.00		
पुनर्वि०	(-)31,383.47		
₹ 31,383.47 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0302	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	21,879.62	21,879.62	0.00
	मूल	19,318.67		
	अनुपूरक	16,540.00		
	पुनर्वि०	(-)13,979.05		
	प्रावधान में ₹ 13,979.05 लाख की हुई कमी, ₹ 7,500.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 21,479.05 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि और कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0202	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	2,137.28	2,137.28	0.00
	मूल	2,731.00		
	अनुपूरक	2,018.00		
	पुनर्वि०	(-)2,611.72		
	₹ 2,611.72 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
01	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
001	निर्देशन तथा प्रशासन			
योजना	(राज्य योजना)			
0104	बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग	410.61	410.61	0.00
	मूल	650.00		
	पुनर्वि०	(-)239.39		
	₹ 239.39 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
06	स्वरोजगार कार्यक्रम			
001	निर्देशन तथा प्रशासन			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- मुख्यालय स्थापना	79.92	79.69	(-)0.23
	मूल	400.00		
	पुनर्वि०	(-)320.08		
	₹ 320.08 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम वचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	20,000.00		
	पुनर्वि०	(-)20,000.00		
	₹ 5,000.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 15,000.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0202	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	14,815.49	14,815.49	0.00
	मूल	2,048.11		
	अनुपूरक	25,254.50		
	पुनर्वि०	(-)12,487.12		
	प्रावधान में ₹ 12,487.12 लाख की हुई कमी, ₹ 7,540.46 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 20,027.58 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि और कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	10,000.00		
	पुनर्वि०	(-)10,000.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0202	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	7,896.26	7,896.26	0.00
	मूल	733.06		
	अनुपूरक	15,622.61		
	पुनर्वि०	(-)8,459.41		
	प्रावधान में ₹ 8,459.41 लाख की हुई कमी, ₹ 4,373.47 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 12,832.88 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि और कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0202	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	4,667.79	4,667.79	0.00
	मूल	530.83		
	अनुपूरक	5,881.89		
	पुनर्वि०	(-)1,744.93		
	प्रावधान में ₹ 1,744.93 लाख की हुई कमी, ₹ 2,117.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 3,861.93 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि और कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2505	ग्राम रोजगार			
01	राष्ट्रीय कार्यक्रम			
701	राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम			
योजना	(राज्य योजना)			
0102	मुख्यालय स्थापना	650.80	328.77	(-)322.03
	मूल	650.80		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
02 ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
योजना (राज्य योजना)			
0201 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	85,002.18	85,002.18	0.00
मूल	1,10,412.53		
पुनर्वि०	(-)25,410.35		
₹ 25,410.35 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि नहीं प्राप्त होने के कारण हुई ।			
0301 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	9,654.39	9,654.39	0.00
अनुपूरक	33,306.61		
पुनर्वि०	(-)23,652.22		
₹ 23,652.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0201 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	16,385.96	16,385.96	0.00
मूल	21,284.21		
पुनर्वि०	(-)4,898.25		
₹ 4,898.25 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि नहीं प्राप्त होने के कारण हुई ।			
0301 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	3,386.87	1,706.87	(-)1,680.00
अनुपूरक	4,500.01		
पुनर्वि०	(-)1,113.14		
₹ 1,113.14 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0201 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	1,024.12	1,024.12	0.00
मूल	1,330.26		
पुनर्वि०	(-)306.14		
₹ 306.14 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि नहीं प्राप्त होने के कारण हुई ।			
0301 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	211.68	211.68	0.00
अनुपूरक	278.58		
पुनर्वि०	(-)66.90		
₹ 66.90 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
60 अन्य कार्यक्रम			
105 राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम			
योजना (राज्य योजना)			
0101 राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	45,985.18		
पुनर्वि०	(-)45,985.18		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0101	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	13,550.00		
	पुनर्वि०	(-)13,550.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
00				
003	प्रशिक्षण			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	0.00	0.00	0.00
	मूल	350.00		
	पुनर्वि०	(-)350.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना वापस लेने के कारण हुई ।			
102	सामुदायिक विकास (गैर-योजना)			
0001	प्रखण्ड स्थापना	24,721.82	24,201.54	(-)520.28
	मूल	28,390.00		
	पुनर्वि०	(-)3,668.18		
	₹ 35.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 3,633.18 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0116	बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (बाह्य सम्पोषित परियोजना)	98.33	98.33	0.00
	मूल	700.00		
	पुनर्वि०	(-)601.67		
	₹ 601.67 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0117	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित- ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	10,161.88	10,161.88	0.00
	मूल	26,882.50		
	पुनर्वि०	(-)16,720.62		
	₹ 6,720.62 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 10,000.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0110 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित- ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	5,893.89	5,893.89	0.00
मूल	15,591.85		
पुनर्वि०	(-)9,697.96		
₹ 3,897.96 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 5,800.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0117 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित- ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	4,267.99	4,267.99	0.00
मूल	11,290.65		
पुनर्वि०	(-)7,022.66		
₹ 2,822.66 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 4,200.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0010 ग्रामीण विकास विभाग	648.48	647.51	(-)0.97
मूल	863.00		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	(-)214.53		
प्रावधान में ₹ 214.53 लाख की हुई कमी, ₹ 35.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 249.53 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 249.53 लाख का प्रत्यर्पण, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2216 आवास			
03 ग्रामीण आवास			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0302 इंदिरा आवास योजना	1,852.61	1,852.61	0.00
मूल	910.33		
पुनर्वि०	942.28		
प्रावधान में ₹ 942.28 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 2,500.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,557.72 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि और कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06 स्वरोजगार कार्यक्रम			
101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	8,125.56	8,118.03	(-)7.53
मूल	682.71		
अनुपूरक	6,250.00		
पुनर्वि०	1,192.85		
प्रावधान में ₹ 1,192.85 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,680.16 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 487.31 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	2,982.60	2,907.88	(-)74.72
मूल	176.94		
अनुपूरक	1,050.00		
पुनर्वि०	1,755.66		
₹ 1,755.66 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹ 23,335.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 24,340.50 लाख का मूल अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(vi) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 प्रखण्ड के भवन	0.00	0.00	0.00
मूल	5,340.00		
पुनर्वि०	(-)5,340.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 सामुदायिक विकास			
योजना (राज्य योजना)			
0102 बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना	0.00	0.00	0.00
(बाह्य संपोषित परियोजना)			
मूल	700.00		
पुनर्वि०	(-)700.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 ग्रामीण विकास			
योजना (राज्य योजना)			
0102 प्रखंड लघु निर्माण कार्य	1,005.32	1,005.32	0.00
मूल	18,300.50		
पुनर्वि०	(-)17,295.18		
₹ 17,295.18 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 43 - विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2203 तकनीकी शिक्षा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	9,81,627	12,13,454	8,50,012 (-)3,63,442
अनुपूरक	2,31,827		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			3,60,585
23 नवंबर 2015	88,812		
10 फरवरी 2016	1,26,500		
31 मार्च 2016	1,45,273		
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	2,42,099	4,22,100	2,48,186 (-)1,73,914
अनुपूरक	1,80,001		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,73,512
23 नवंबर 2015	1		
31 मार्च 2016	1,73,511		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 3,634.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 (₹ 2,253.27 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 65.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,318.27 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,605.85 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,634.42 लाख) से ₹ 28.57 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2203 तकनीकी शिक्षा			
00			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 तकनीकी शिक्षा निदेशालय	328.84	324.29	(-)4.55
मूल	353.61		
अनुपूरक	14.63		
पुनर्वि०	(-)39.40		
प्रावधान में ₹ 39.40 लाख की हुई कमी, ₹ 1.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 40.40 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद	133.03	133.03	0.00
मूल	154.41		
अनुपूरक	0.60		
पुनर्वि०	(-)21.98		
प्रावधान में ₹ 21.98 लाख की हुई कमी, ₹ 0.50 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 22.48 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
004 अनुसंधान (गैर-योजना)			
0001 अनुदान तथा अनुसंधान शोधवृत्ति	0.00	0.00	0.00
मूल	35.00		
पुनर्वि०	(-)35.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार काउन्सिल ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर, प्लेनेटोरियम, पटना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,297.00		
पुनर्वि०	(-)1,297.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 तकनीकी विद्यालय (गैर-योजना)			
0001 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	68.62	68.52	(-)0.10
मूल	104.97		
पुनर्वि०	(-)36.35		
प्रावधान में ₹ 36.35 लाख की हुई कमी, ₹ 4.17 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2.96 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 37.56 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
105 पॉलिटेक्नीक (गैर-योजना)			
0001 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	3,034.86	3,018.18	(-)16.68
मूल	3,423.60		
अनुपूरक	192.15		
पुनर्वि०	(-)580.89		
₹ 41.17 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 539.72 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में हुई कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 स्नातक-पत्र पाठ्यक्रम-विश्व बैंक सम्पोषित पॉलिटेक्नीक शिक्षा सुदृढीकरण परियोजना	58.79	58.54	(-)0.25
मूल	54.26		
अनुपूरक	50.00		
पुनर्वि०	(-)45.47		
₹ 45.47 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0205 राष्ट्रीय उच्च शिक्षा, अभियान- पॉलिटेक्नीक के माध्यम से सामुदायिक विकास	29.93	26.37	(-)3.56
अनुपूरक	82.41		
पुनर्वि०	(-)52.48		
₹ 52.48 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
112 इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान			
योजना (राज्य योजना)			
0101 स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	185.42	185.42	0.00
मूल	185.14		
अनुपूरक	35.00		
पुनर्वि०	(-)34.72		
₹ 34.72 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0105 बिहार कौशल विकास मिशन	2.57	2.57	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)997.43		
₹ 997.43 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0203 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	139.23		
पुनर्वि०	(-)139.23		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 43 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0303 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम अनुपूरक पुनर्वि० ₹ 36.51 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	9.97 46.48 (-)36.51	9.97	0.00
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0003 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मूल अनुपूरक पुनर्वि० प्रावधान में ₹ 18.24 लाख की हुई कमी, ₹ 1.46 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 19.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	103.07 106.68 14.63 (-)18.24	99.63	(-)3.44

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 1,739.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 (₹ 600.01 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 1,200.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,800.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,735.12 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,739.14 लाख) से ₹ 4.02 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
02 तकनीकी शिक्षा			
104 पॉलिटेक्निक योजना (राज्य योजना)			
0102 पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय मूल अनुपूरक पुनर्वि० ₹ 1,007.20 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	892.80 750.00 1,150.00 (-)1,007.20	888.79	(-)4.01
105 अभियंत्रण/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान योजना (राज्य योजना)			
0102 पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय मूल अनुपूरक पुनर्वि० ₹ 727.91 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।	1,593.07 1,670.98 650.00 (-)727.91	1,593.07	0.00

**अनुदान संख्या - 44 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं				
दत्तमत :				
मूल	1,49,65,208	1,91,80,215	1,55,65,227	(-)36,14,988
अनुपूरक	42,15,007			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				26,68,326
24 नवम्बर 2015	3,13,203			
9 फरवरी 2016	3,33,000			
31 मार्च 2016	20,22,123			

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	10,000	10,000	10,000	0
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 36,149.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 12,563.84 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 12,936.07 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 16,550.16 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 42,150.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 26,683.26 लाख), अंतिम बचत (₹ 36,149.88 लाख) से ₹ 9,466.62 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 44 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00			
001 निदेशन और प्रशासन			
योजना (राज्य योजना)			
0106 अम्बेदेकर फाउण्डेशन	0.00	0.00	0.00
मूल	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001 निदेशन और प्रशासन			
(गैर-योजना)			
0001 निदेशन और प्रशासन	3,961.91	3,929.27	(-)32.64
मूल	4,640.02		
पुनर्वि०	(-)678.11		
प्रावधान में ₹ 678.11 लाख की हुई कमी, ₹ 19.55 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 692.66 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 692.66 लाख का प्रत्यर्पण कर्मचारियों की कमी के कारण हुई । वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 निदेशन और प्रशासन	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना एवं विकास विभाग के आदेश के आलोक में हुई ।			
102 आर्थिक विकास			
योजना (राज्य योजना)			
0101 परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त	0.00	0.00	0.00
अनुदान			
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना एवं विकास विभाग के आदेश के आलोक में हुई ।			
0216 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी०एम०ए०जी०वाई०)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,100.00		
पुनर्वि०	(-)1,100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना एवं विकास विभाग के आदेश के आलोक में हुई ।			

अनुदान संख्या -44 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना	300.00	300.00	0.00
मूल	300.00		
अनुपूरक	597.08		
पुनर्वि०	(-)597.08		
₹ 597.08 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
197 प्रखंड पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर के पंचायतों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 छात्रवृत्ति/वजीफा	13,290.48	13,007.83	(-)282.65
मूल	14,781.20		
पुनर्वि०	(-)1,490.72		
₹ 1,490.72 लाख के प्रत्यर्पण, जिला शिक्षा कार्यालयों से अधियाचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
277 शिक्षा (गैर-योजना)			
0002 छात्रावासों का संधारण	538.43	538.43	0.00
मूल	1,200.71		
पुनर्वि०	(-)662.28		
₹ 639.73 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों की कमी के कारण हुई । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 22.55 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0003 आवासीय विद्यालय	7,771.70	7,688.21	(-)83.49
मूल	9,429.29		
पुनर्वि०	(-)1,657.59		
₹ 1,657.59 लाख के प्रत्यर्पण, शिक्षकों की कम नियुक्ति तथा सेवानिवृत्ति के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0011 छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ	901.40	901.40	0.00
मूल	1,085.00		
पुनर्वि०	(-)183.60		
₹ 183.60 लाख का प्रत्यर्पण, मांग पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0012 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	146.19	141.79	(-)4.40
मूल	218.12		
पुनर्वि०	(-)71.93		
₹ 71.93 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों की कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या -44 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0101 शिक्षा	2,000.00	1,083.46	(-)916.54
मूल	2,000.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0218 अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	19,739.79	19,499.80	(-)239.99
मूल	15,269.00		
अनुपूरक	7,757.18		
पुनर्वि०	(-)3,286.39		
₹ 550.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना एवं विकास विभाग के आदेश के आलोक में हुई । ₹ 2,736.39 लाख का प्रत्यर्पण, जिला शिक्षा कार्यालयों से अधियाचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0318 अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	375.27	357.96	(-)17.31
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)624.73		
₹ 624.73 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
793 अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0401 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	12,823.88	8,023.14	(-)4,800.74
अनुपूरक	17,907.48		
पुनर्वि०	(-)5,083.60		
₹ 5,083.60 लाख के प्रत्यर्पण, निधि की निकासी नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
001 निदेशन और प्रशासन			
(गैर-योजना)			
0001 राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	105.80	105.80	0.00
मूल	178.77		
पुनर्वि०	(-)72.97		
₹ 72.97 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 आर्थिक विकास			
योजना (राज्य योजना)			
0101 अनुसूचित जनजातियों का बहुमुखी विकास-संविधान की धारा	586.00	0.00	(-)586.00
275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त			
मूल	1,722.00		
पुनर्वि०	(-)1,136.00		
₹ 1,136.00 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या -44 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0102 अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2,518.26	1,668.26	(-)850.00
मूल	1,675.00		
अनुपूरक	843.26		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
197 प्रखंड पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर के पंचायतों को सहायता			
योजना (राज्य योजना)			
0101 छात्रवृत्ति/बजीफा	938.15	865.53	(-)72.62
मूल	1,165.00		
पुनर्वि०	(-)226.85		
₹ 226.85 लाख का प्रत्यर्पण, जिला शिक्षा कार्यालय से अधियाचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
198 ग्राम पंचायतों को सहायता			
योजना (राज्य योजना)			
0101 छात्रवृत्ति/बजीफा	3,205.31	3,097.67	(-)107.64
मूल	3,490.00		
अनुपूरक	230.00		
पुनर्वि०	(-)514.69		
₹ 514.69 लाख का प्रत्यर्पण, जिला शिक्षा कार्यालय से अधियाचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
277 शिक्षा			
(गैर-योजना)			
0003 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	43.07	43.07	0.00
मूल	157.46		
पुनर्वि०	(-)114.39		
₹ 114.39 लाख का प्रत्यर्पण, रसोईया की कमी तथा अधियाचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0004 आवासीय विद्यालय	1,388.38	1,388.38	(-)0.00
मूल	1,711.62		
पुनर्वि०	(-)323.24		
₹ 323.24 लाख का प्रत्यर्पण, शिक्षकों की कमी के कारण हुई ।			
0005 प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र	0.00	0.00	0.00
मूल	25.85		
पुनर्वि०	(-)25.85		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, संस्थान के अकार्यरत रहने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या -44 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0013 खड़िया एवं अन्य आदिम जातियों के कल्याण के निमित्त विशेष योजनाएं	6.96	6.95	(-)0.01
मूल	42.74		
पुनर्वि०	(-)35.78		
₹ 35.78 लाख का प्रत्यर्पण, संस्थान के अकार्यरत रहने तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 शिक्षा	2,643.88	2,320.41	(-)323.47
मूल	2,849.00		
पुनर्वि०	(-)205.12		
₹ 205.12 लाख का प्रत्यर्पण, अधियाचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0214 अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीम	718.98	718.98	0.00
मूल	1,704.00		
पुनर्वि०	(-)985.02		
₹ 985.02 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0427 वनबन्धु कल्याण योजना	310.00	80.00	(-)230.00
अनुपूरक	310.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0125 थरूहट क्षेत्र विकास	0.00	0.00	0.00
मूल	2,530.00		
पुनर्वि०	(-)2,530.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना एवं विकास विभाग के आदेश के आलोक में हुई ।			
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	339.48	338.98	(-)0.50
मूल	378.36		
अनुपूरक	28.20		
पुनर्वि०	(-)67.08		
प्रावधान में ₹ 67.08 लाख की हुई कमी, ₹ 8.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 75.08 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था । ₹ 75.08 लाख का प्रत्यर्पण, अधियाचना प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 45 - गन्ना उद्योग विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2401 फसल कृषि-कर्म			
2852 उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3452 पर्यटन			
दत्तमत :			
मूल	12,10,492	23,69,292	16,42,734
अनुपूरक	11,58,800		(-)7,26,558
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			7,19,669
13 जुलाई 2015	5,07,100		
31 मार्च 2016	2,12,569		

पूँजी

मुख्य शीर्ष

6860 उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	5,894	1,81,884	1,75,914	(-)5,970
अनुपूरक	1,75,990			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				5,970
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 7,265.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 5,071.00 लाख), दिसंबर 2015 (₹ 3,836.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 2,681.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,588.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,196.69 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,265.58 लाख) से ₹ 68.89 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2401 फसल कृषि-कर्म			
00			
108 वाणिज्यिक फसलें (गैर-योजना)			
0002 ईख की खेती	1,026.10	1,006.17	(-)19.93
मूल	1,359.62		
पुनर्वि०	(-)333.52		
₹ 333.52 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0109 ईख विकास	1,946.74	1,903.81	(-)42.93
मूल	5,100.00		
अनुपूरक	2,100.00		
पुनर्वि०	(-)5,253.26		
प्रावधान में ₹ 5,253.26 लाख की हुई कमी, ₹ 8.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 5,261.76 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0221 ईख विकास के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	181.00		
पुनर्वि०	(-)181.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0108 ईख विकास	108.44	104.93	(-)3.51
मूल	900.00		
अनुपूरक	400.00		
पुनर्वि०	(-)1,191.56		
₹ 1,191.56 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2852 उद्योग			
08 उपभोक्ता उद्योग			
201 चीनी			
(गैर-योजना)			
0001 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण एक्ट 1937 से संबंधित	126.06	123.65	(-)2.41
व्यय-मुख्यालय			
मूल	181.19		
अनुपूरक	3.00		
पुनर्वि०	(-)58.13		
₹ 58.13 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 45 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0002 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण एक्ट 1937 से संबंधित व्यय-जिला	128.52	128.52	0.00
मूल	203.79		
पुनर्वि०	(-)75.27		
₹ 75.27 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0002 गन्ना उद्योग विभाग	100.32	100.22	(-)0.10
मूल	176.04		
अनुपूरक	3.00		
पुनर्वि०	(-)78.72		
₹ 78.72 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 59.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 (₹ 1,725.96 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 33.94 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,759.90 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

अनुदान संख्या - 46 - पर्यटन विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3452 पर्यटन			
दत्तमत :			
मूल	2,62,676	3,24,026	2,98,864
अनुपूरक	61,350		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			24,557
(31 मार्च 2016)			

पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	3,30,121	6,71,047	3,77,464
अनुपूरक	3,40,926		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			66,300
(31 मार्च 2016)			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 251.62 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 613.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 245.57 लाख), अंतिम बचत (₹ 251.62 लाख) से ₹ 6.05 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	--------------------------

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

00

090 सचिवालय
(गैर-योजना)

0015 पर्यटन विभाग	209.11	204.12	(-)4.99
-------------------	--------	--------	---------

मूल 226.29

अनुपूरक 13.50

पुनर्वि० (-)30.68

₹ 30.68 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

3452 पर्यटन

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन
(गैर-योजना)

0001 निदेशालय	1,263.50	1,262.55	(-)0.95
---------------	----------	----------	---------

मूल 1,421.63

पुनर्वि० (-)158.13

₹ 78.13 लाख का प्रत्यर्पण, संयुक्त निदेशक तथा अन्य अधिकारियों की पदस्थापना नहीं होने के कारण हुई । ₹ 80.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में हुई कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)

पूँजीगत (दत्तमत)

(iv) ₹ 2,935.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 (₹ 2,578.55 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 830.71 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,409.26 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 663.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,935.83 लाख) से ₹ 2,272.83 लाख कम था ।

(vi) बचत (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	--------------------------

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

01 पर्यटक अवसंरचना

101 पर्यटक केन्द्र

योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)

0406 टूरिज्म सर्किट- स्वदेश दर्शन स्कीम	15.55	15.55	0.00
---	-------	-------	------

अनुपूरक 678.55

पुनर्वि० (-)663.00

₹ 663.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

अनुदान संख्या - 46 - क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0407	प्रसाद स्कीम (पी०आर०ए०एस०ए०डी० स्कीम)	830.71	0.00	(-)830.71
	अनुपूरक	830.71		
	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0104	पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	5,201.21	3,759.08	(-)1,442.13
	मूल	3,301.21		
	अनुपूरक	1,900.00		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 47 - परिवहन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2041 वाहन कर			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
3055 सड़क परिवहन			
3075 अन्य परिवहन सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	5,56,298	5,81,498	4,10,808
अनुपूरक	25,200		(-)1,70,690
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			1,44,239

पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
दत्तमत :			
मूल	22,691	32,05,091	32,05,091
अनुपूरक	31,82,400		0
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			0

**टीका एवं टिप्पणियाँ-
राजस्व (दत्तमत)**

- ₹ 1,706.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 252.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,442.39 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,706.90 लाख) से ₹ 264.51 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2041 वाहन कर			
00			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 राज्य परिवहन अधिकरण	535.13	535.13	0.00
मूल	678.78		
अनुपूरक	2.00		
पुनर्वि०	(-145.65)		
₹ 145.65 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101 संग्रहण प्रभार (गैर-योजना)			
0001 प्रादेशिक परिवहन अधिकरण	237.21	237.21	0.00
मूल	337.40		
पुनर्वि०	(-100.19)		
₹ 100.19 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 मोटर वाहन पर नियंत्रण	2,978.60	2,717.72	(-)260.88
मूल	3,441.70		
अनुपूरक	250.00		
पुनर्वि०	(-713.10)		
प्रावधान में ₹ 713.10 लाख की हुई कमी, ₹ 120.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 833.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 833.10 लाख का प्रत्यर्पण, सलाहकार समिति की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			
102 मोटर वाहनों का निरीक्षण (गैर-योजना)			
0001 वाहनों का निरीक्षण	190.53	187.17	(-)3.36
मूल	565.72		
पुनर्वि०	(-375.19)		
₹ 120.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 255.19 लाख प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 47 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0035 परिवहन विभाग	93.77	93.77	0.00
मूल	137.07		
पुनर्वि०	(-)43.30		
₹ 43.30 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3055 सड़क परिवहन			
00			
003 प्रशिक्षण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट	0.00	0.00	0.00
मूल	60.26		
पुनर्वि०	(-)60.26		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2015 निर्वाचन				
2215 जलापूर्ति तथा सफाई				
2217 शहरी विकास				
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं				
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं				
दत्तमत :				
मूल	2,16,98,494	3,11,11,473	1,97,74,716	(-)1,13,36,757
अनुपूरक	94,12,979			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,08,83,218
23 नवम्बर 2015	7,50,000			
18 जनवरी 2016	41,15,800			
31 मार्च 2016	60,17,418			

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	100	3,77,300	0	(-)3,77,300
अनुपूरक	3,77,200			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,77,300
23 नवम्बर 2015	3,77,200			
31 मार्च 2016	100			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 1,13,367.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 65,524.79 लाख) तथा दिसम्बर 2015 (₹ 28,605.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 94,129.79 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,08,832.18 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,13,367.57 लाख) से ₹ 4,535.39 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2015 निर्वाचन			
00			
109 पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार (गैर-योजना)			
0001 नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव	32.95	32.95	0.00
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)467.05		
₹ 15.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 452.05 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2215 जलापूर्ति तथा सफाई			
01 जलापूर्ति			
191 स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	819.25	813.25	(-)6.00
मूल	1,092.33		
पुनर्वि०	(-)273.08		
₹ 273.08 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
192 नगरपालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायक अनुदान योजना (राज्य योजना)			
0101 पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	525.00	525.00	0.00
मूल	700.00		
पुनर्वि०	(-)175.00		
₹ 175.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	1,025.35	1,015.77	(-)9.58
मूल	1,400.00		
पुनर्वि०	(-)374.65		
₹ 350.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 24.65 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	1,505.75	666.98	(-)838.77
मूल	2,007.67		
पुनर्वि०	(-)501.92		
₹ 501.92 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0102 पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	4,769.46	4,421.93	(-)347.53
मूल	7,500.00		
पुनर्वि०	(-)2,730.54		
₹ 1,875.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 855.54 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0103 पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	5,573.53	5,545.08	(-)28.45
मूल	7,900.00		
पुनर्वि०	(-)2,326.47		
₹ 1,975.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 351.47 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
02 मल-जल तथा सफाई			
106 वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण योजना (राज्य योजना)			
0202 राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन०आर०सी०पी०)	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	17,300.00		
पुनर्वि०	(-)17,300.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।			
191 स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0102 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	2,749.12	2,656.90	(-)92.22
मूल	4,200.00		
पुनर्वि०	(-)1,450.88		
₹ 1,050.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 400.88 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0102 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	3,541.65	3,336.73	(-)204.92
मूल	4,800.00		
पुनर्वि०	(-)1,258.35		
₹ 58.35 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । ₹ 1,200.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0102 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	3,043.33	2,870.78	(-)172.55
मूल	4,199.83		
पुनर्वि०	(-)1,156.50		
₹ 106.54 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । ₹ 1,049.96 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	1,781.27	1,684.13	(-)97.14
मूल	2,400.17		
पुनर्वि०	(-)618.90		
₹ 18.86 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । ₹ 600.04 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0203 राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन०आर०सी०पी०) अनुपूरक	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	3,262.00		
	(-)3,262.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।			
2217 शहरी विकास			
01 राज्य की राजधानी का विकास			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 नगरपालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी	486.44	486.44	0.00
मूल	627.63		
पुनर्वि०	(-)141.19		
₹ 141.19 लाख का प्रत्यर्पण, सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
053 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0001 बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	468.91	468.91	0.00
मूल	1,300.00		
पुनर्वि०	(-)831.09		
₹ 831.09 लाख के प्रत्यर्पण, बिहार शहरी आधारभूत विकास निगम (बुडको) से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई ।			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार राज्य आवास बोर्ड को विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00
मूल	10,000.00		
पुनर्वि०	(-)10,000.00		
₹ 2,500.00 लाख का प्रत्यर्पण, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त योजना उद्ध्यय प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
₹ 7,500.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
191 नगर निगम, स्थानीय निकाय, शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी सुधार बोर्ड आदि को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0109 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान	4,494.36	4,132.50	(-)361.86
मूल	4,600.00		
पुनर्वि०	(-)105.64		
₹ 105.64 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0110 शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/ प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, शहरी स्थानीय निकाय से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0115 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	9,049.85	9,034.00	(-)15.85
मूल	5,900.00		
अनुपूरक	5,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,850.15		
₹ 375.15 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । ₹ 1,475.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0116 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ	4,686.29	4,483.07	(-)203.22
मूल	5,200.17		
पुनर्वि०	(-)513.88		
₹ 513.88 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0102 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को	825.00	825.00	0.00
सहायक अनुदान			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि०	(-)275.00		
₹ 275.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
192 नगरपालिकाओं तथा नगर परिषद् को सहायता			
योजना (राज्य योजना)			
0101 नगर परिषदों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के	131.84	131.84	0.00
निर्माण-जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान			
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)368.16		
₹ 368.16 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।			
0105 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान	7,022.44	6,559.63	(-)462.81
मूल	9,600.00		
पुनर्वि०	(-)2,577.56		
₹ 177.56 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । ₹ 2,400.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0106 शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना	0.00	0.00	0.00
तैयार करने हेतु नगर निकायों/ प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य			
संस्थाओं को सहायक अनुदान			
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0102 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	113.46	92.17	(-)21.29
मूल	120.00		
पुनर्वि०	(-)6.54		
₹ 6.54 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0103 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	5,542.13	4,951.74	(-)590.39
मूल	7,500.00		
पुनर्वि०	(-)1,957.87		
₹ 82.87 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । ₹ 1,875.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0104 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान	6,737.16	6,737.16	0.00
मूल	9,342.85		
पुनर्वि०	(-)2,605.69		
₹ 269.98 लाख का प्रत्यर्पण, नगर पंचायतों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । ₹ 2,335.71 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0105 शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राज्य के विभिन्न शहरी निकायों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0102 परिवहन हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	838.87	835.23	(-)3.64
मूल	1,200.00		
पुनर्वि०	(-)361.13		
₹ 61.13 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । ₹ 300.00 लाख पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
04 गन्दी बस्तियों का विकास			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0202 राजीव आवास योजना	11.25	11.25	0.00
मूल	1,231.00		
अनुपूरक	31,656.00		
पुनर्वि०	(-)32,875.75		
₹ 32,875.75 लाख के प्रत्यर्पण, भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
05 अन्य शहरी विकास परियोजनाएं			
001 निदेशन और प्रशासन			
योजना (राज्य योजना)			
0102 योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन	30.00	30.00	0.00
केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों हेतु			
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)70.00		
₹ 70.00 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।			
0105 अभियंत्रण कोषांग हेतु	522.05	496.37	(-)25.68
मूल	700.00		
पुनर्वि०	(-)177.95		
₹ 177.95 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0107 शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित समस्याएँ	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	20,197.45	19,202.91	(-)994.54
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	20,197.44		
₹ 20,197.44 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0102 बिहार नगरीय विकास परियोजना (ई०ए०पी०)	0.00	0.00	0.00
मूल	3,024.00		
पुनर्वि०	(-)3,024.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
80 सामान्य			
001 निदेशन और प्रशासन			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार नगरीय विकास परियोजना (ई०ए०पी०)	0.00	0.00	0.00
मूल	38,134.00		
पुनर्वि०	(-)38,134.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
192 नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (गैर-योजना)			
0008 नगर प्रबंधक	69.90	69.12	(-)0.78
मूल	95.58		
पुनर्वि०	(-)25.68		
₹ 25.68 लाख का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता (गैर-योजना)			
0007 नगर प्रबंधक	94.34	90.54	(-)3.80
मूल	141.60		
पुनर्वि०	(-)47.26		
₹ 47.26 लाख का प्रत्यर्पण, शहरी प्रबंधक के अन्य स्थानीय निकाय में स्थानांतरण तथा राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0008 पेशाकर के आलोक में अनुदान	590.65	590.65	0.00
मूल	667.82		
पुनर्वि०	(-)77.17		
₹ 77.17 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0005 नगर विकास एवं आवास विभाग	559.27	558.46	(-)0.81
मूल	644.39		
पुनर्वि०	(-)85.12		
प्रावधान में ₹ 85.12 लाख की हुई कमी, ₹ 15.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 100.12 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 100.12 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदोन्नति के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमांत

पूँजी (दत्तमत)

(iv) इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 3,773.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वर्ष के दौरान इसका उपयोग नहीं किया गया ।

(v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय			
01 राज्यों की राजधानियों का विकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
योजना (राज्य योजना)			
0201 स्वच्छ भारत मिशन	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	394.00		
पुनर्वि०	(-)394.00		
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0201 स्वच्छ भारत मिशन	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	2,466.00		
पुनर्वि०	(-)2,466.00		
उपर्युक्त मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
योजना (राज्य योजना)			
0201 स्वच्छ भारत मिशन	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	98.00		
पुनर्वि०	(-)98.00		
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0201 स्वच्छ भारत मिशन	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	814.00		
पुनर्वि०	(-)814.00		
उपर्युक्त मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2700 मुख्य सिंचाई			
2701 मध्यम सिंचाई			
2705 कमान क्षेत्र विकास			
2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	86,12,250	91,63,751	83,92,638
अनुपूरक	5,51,501		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			7,56,410
(31 मार्च 2016)			

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
6701 मध्यम सिंचाई के लिए कर्ज				
दत्तमत :				
मूल	1,42,71,613	1,73,76,346	1,48,60,902	(-)25,15,444
अनुपूरक	31,04,733			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				25,44,802
8 जुलाई 2015	1,50,000			
24 नवम्बर 2015	1,87,500			
14 जनवरी 2016	4,92,100			
4 फरवरी 2016	1,86,500			
18 मार्च 2016	7,84,732			
31 मार्च 2016	7,43,970			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 7,711.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 4,515.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 600.01 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 400.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,515.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,564.10 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,711.13 लाख) से ₹ 147.03 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2701 मध्यम सिंचाई			
01 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय (कमला एवं उत्तर बिहार हेतु)	263.22	262.93	(-)0.29
मूल	312.00		
पुनर्वि०	(-)48.78		
₹ 48.78 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
04 किऊल-बदुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	741.45	740.47	(-)0.98
मूल	1,350.00		
पुनर्वि०	(-)608.55		
₹ 325.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 283.55 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
80 सामान्य			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान को सहायक अनुदान	1,435.24	1,434.01	(-)1.23
मूल	1,918.00		
पुनर्वि०	(-)482.76		
₹ 482.76 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
01 बाढ़ नियंत्रण			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0105 बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली परियोजना (विश्व बैंक के डी०एफ०आई०डी० अनुदान राशि द्वारा सम्पोषित)	14.35	14.35	0.00
मूल	152.00		
पुनर्वि०	(-)137.65		
₹ 137.65 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 सिविल निर्माण कार्य (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	6,963.50	6,849.42	(-)114.08
मूल	11,045.00		
पुनर्वि०	(-)4,081.50		
₹ 1,000.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 3,081.50 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
03 जल-निकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 क्षेत्रीय स्थापना	2,101.77	2,041.43	(-)60.34
मूल	2,195.00		
अनुपूरक	175.00		
पुनर्वि०	(-)268.23		
₹ 110.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 158.23 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 सिविल निर्माण कार्य (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	196.77	195.60	(-)1.17
मूल	373.00		
पुनर्वि०	(-)176.23		
₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 126.23.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 25,154.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 14,693.24 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 9,968.09 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 6,386.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 31,047.33 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 25,448.02 लाख), अंतिम बचत (₹ 25,154.44 लाख) से ₹ 293.58 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं (कार्य)	4,816.54	4,816.54	0.00
मूल	7,331.70		
पुनर्वि०	(-)2,515.16		
₹ 1,800.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 715.16 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0103 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	539.87	298.38	(-)241.49
(नाबार्ड सम्पोषित योजना)			
मूल	540.00		
अनुपूरक	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,000.13		
₹ 135.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,865.13 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना	596.04	593.16	(-)2.88
मूल	1,274.80		
पुनर्वि०	(-)678.76		
₹ 300.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 378.76 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
02 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0103 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	39.92	1.03	(-)38.89
(नाबार्ड सम्पोषित योजना)			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,960.08		
₹ 500.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,460.08 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0103 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	38.53	38.53	0.00
मूल	269.00		
अनुपूरक	300.00		
पुनर्वि०	(-530.47		
₹ 67.25 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 463.22 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0204 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	2,353.85	2,284.88	(-)68.97
मूल	700.00		
अनुपूरक	3,181.00		
पुनर्वि०	(-)1,527.15		
₹ 1,527.15 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
04 किऊल-बदुआ-चन्दन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	1,300.52	1,295.40	(-)5.12
मूल	2,920.00		
पुनर्वि०	(-)1,619.48		
₹ 650.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 969.48 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0103 क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	1,064.10	285.01	(-)779.09
मूल	3,500.00		
पुनर्वि०	(-)2,435.90		
₹ 875.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,560.90 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0204 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	1,068.67	941.26	(-)127.41
मूल	20.00		
अनुपूरक	2,860.00		
पुनर्वि०	(-)1,811.33		
₹ 1,811.33 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
80 सामान्य			
005 सर्वेक्षण एवं अन्वेषण योजना (राज्य योजना)			
0101 सर्वेक्षण तथा खोज (स्थापना)	8.21	8.00	(-)0.21
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)41.79		
₹ 41.79 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0102 नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना	428.69	414.14	(-)14.55
मूल	2,500.00		
पुनर्वि०	(-)2,071.31		
₹ 625.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,446.31 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0101 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	4,371.87	3,039.03	(-)1,332.84
मूल	4,382.00		
पुनर्वि०	(-)10.13		
₹ 10.13 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0103 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पौषित योजना)	4,598.36	2,955.17	(-)1,643.19
मूल	826.00		
अनुपूरक	6,653.00		
पुनर्वि०	(-)2,880.64		
प्रावधान में ₹ 2,880.64 लाख की हुई कमी, ₹ 1,222.50 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 4,103.14 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	369.47	321.53	(-)47.94
मूल	370.00		
पुनर्वि०	(-)0.53		
₹ 0.53 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
04 क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	1,108.84	980.96	(-)127.88
मूल	3,872.64		
पुनर्वि०	(-)2,763.80		
₹ 960.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,803.80 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0103 क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	538.93	537.13	(-)1.80
(नाबार्ड सम्पोषित योजना)			
मूल	1,121.00		
पुनर्वि०	(-)582.07		
₹ 280.25 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 301.82 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना	147.60	134.34	(-)13.26
मूल	452.36		
पुनर्वि०	(-)304.76		
₹ 304.76 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
4711 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
051 निर्माण			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0408 गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों का कटाव निरोधक	8,402.56	8,402.56	0.00
योजना (नेपाल भाग एवं सीमावर्ती क्षेत्र में नदी प्रबंधन कार्य) (100 प्रतिशत केन्द्रांश)			
मूल	9,500.00		
पुनर्वि०	(-)1,097.44		
₹ 1,097.44 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 जल निस्सरण परियोजना (कार्य)	500.68	500.68	0.00
मूल	750.00		
पुनर्वि०	(-)249.32		
₹ 249.32 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0106 जमींदारी बांधों का जीर्णोद्धार	799.65	790.43	(-)9.22
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)200.35		
₹ 200.35 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0209 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	7,628.98	3,860.59	(-)3,768.39
(ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम			
मूल	2,500.00		
अनुपूरक	5,129.24		
पुनर्वि०	(-)0.26		
₹ 0.26 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0102 जल निस्सरण परियोजना (कार्य)	29.92	29.92	0.00
मूल	300.00		
पुनर्वि०	(-)270.08		
₹ 75.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 195.08 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0103 जमींदारी बांधों का जीर्णोद्धार	395.01	395.01	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)604.99		
₹ 604.99 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
6701 मध्यम सिंचाई के लिए कर्ज			
60 अन्य			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(गैर-योजना)			
0001 बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को कर्ज	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	163.09		
पुनर्वि०	(-)163.09		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राशि की निकासी नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(vii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01 कोशी बेसिन (अवाणिज्यिक) के लिए सिंचाई परियोजना			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0304 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	3,964.66	2,708.73	(-)1,255.93
(ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम			
मूल	60.00		
पुनर्वि०	3,904.66		
प्रावधान में ₹ 3,904.66 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 6,000.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,095.34 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
02 गंडक बेसिन (अवाणिज्यिक) के लिए सिंचाई परियोजना			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	35,884.71	36,530.22	(+)645.51
मूल	38,553.13		
अनुपूरक	2,100.00		
पुनर्वि०	(-)4,768.42		
प्रावधान में ₹ 4,768.42 लाख की हुई कमी, ₹ 1,300.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6,000.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 68.42 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं	475.00	475.00	0.00
मूल	175.00		
पुनर्वि०	300.00		
₹ 300.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			
04 किऊल-बदुआ-चंदन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0304 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	717.26	714.49	(-)2.77
(ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम			
मूल	60.00		
पुनर्वि०	657.26		
प्रावधान में ₹ 657.26 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 960.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 302.74 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4711 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0309 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	6,998.29	6,564.98	(-)433.31
मूल	2,500.00		
अनुपूरक	1,875.00		
पुनर्वि०	2,623.29		
प्रावधान में ₹ 2,623.29 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 2,625.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1.71 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या - 50 - लघु जल संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2702 लघु सिंचाई			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	68,81,579	69,41,579	33,41,946
अनुपूरक	60,000		(-)35,99,633
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			35,75,709
2 जुलाई 2015	3,30,000		
12 नवम्बर 2015	2,00,000		
31 मार्च 2016	30,45,709		
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	22,02,500	32,26,680	20,05,298
अनुपूरक	10,24,180		(-)12,21,382
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			12,21,216
12 नवम्बर 2015	37,500		
11 फरवरी 2016	2,29,680		
31 मार्च 2016	9,54,036		

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 35,996.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 600.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 35,757.09 लाख), अंतिम बचत (₹ 35,996.33 लाख) से ₹ 239.24 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2702 लघु सिंचाई			
02 भू-जल			
005 अन्वेषण (गैर-योजना)			
0001 सर्वेक्षण और जाँच	16,417.88	16,408.31	(-)9.57
मूल	34,923.04		
पुनर्वि०	(-)18,505.16		
₹ 18,505.16 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के पद रिक्त रहने तथा विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण	391.40	391.07	(-)0.33
मूल	2,050.00		
पुनर्वि०	(-)1,658.60		
₹ 1,658.60 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 सर्वेक्षण और जाँच	0.00	0.00	0.00
मूल	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, समय से कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई ।			
03 रख-रखाव			
101 पानी टंकी (गैर-योजना)			
0001 कार्यभारित व्यय	80.79	75.28	(-)5.51
मूल	160.66		
पुनर्वि०	(-)79.87		
₹ 79.87 लाख का प्रत्यर्पण, कार्यभारित कर्मचारियों के स्थायी स्थापना में समायोजन के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	38.89	35.42	(-)3.47
मूल	825.00		
पुनर्वि०	(-)786.11		
₹ 786.11 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 उत्थान सिंचाई परियोजना (गैर-योजना)			
0005 अन्य रख-रखाव व्यय	62.08	60.66	(-)1.42
मूल	1,450.00		
पुनर्वि०	(-)1,387.92		
₹ 1,387.92 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 नलकूप (गैर-योजना)			
0002 राजकीय नलकूप	5,511.38	5,317.41	(-)193.97
मूल	8,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,488.62		
₹ 2,488.62 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0007 अन्य रख-रखाव व्यय	5,504.09	5,499.10	(-)4.99
मूल	10,500.00		
पुनर्वि०	(-)4,995.91		
₹ 4,995.91 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0104 निजी नलकूप	2,001.13	2,000.62	(-)0.51
मूल	2,633.22		
अनुपूरक	600.00		
पुनर्वि०	(-)1,232.09		
₹ 1,232.09 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 निजी नलकूप	268.67	268.66	(-)0.01
मूल	2,743.06		
पुनर्वि०	(-)2,474.39		
₹ 2,474.39 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0030 लघु जल संसाधन विभाग	382.38	380.64	(-)1.74
मूल	530.81		
पुनर्वि०	(-)148.43		
₹ 148.43 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

पूँजी (दत्तमत)

- (iv) ₹ 12,213.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 3,300.00 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 2,375.00 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 4,566.80 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,241.80 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 12,212.16 लाख), अंतिम बचत (₹ 12,213.82 लाख) से ₹ 1.66 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
101 सतही जल			
योजना (राज्य योजना)			
0101 लघु सिंचाई	8,562.25	8,562.25	0.00
मूल	6,173.39		
अनुपूरक	4,071.80		
पुनर्वि०	(-)1,682.94		
₹ 375.00 लाख का प्रत्यर्पण, समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई । ₹ 1,307.94 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।			
0204 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	2,833.12	2,833.12	0.00
(ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम			
मूल	280.00		
अनुपूरक	2,870.00		
पुनर्वि०	(-)316.88		
₹ 316.88 लाख का प्रत्यर्पण, समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई ।			
0304 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	909.21	909.21	0.00
(ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम			
मूल	93.00		
अनुपूरक	3,300.00		
पुनर्वि०	(-)2,483.79		
₹ 186.99 लाख का प्रत्यर्पण, समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई । ₹ 2,296.80 लाख का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 भू-जल			
योजना (राज्य योजना)			
0101 नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु	4,219.43	4,217.76	(-)1.67
नाबार्ड से ऋण			
मूल	5,800.00		
पुनर्वि०	(-)1,580.57		
₹ 1,580.57 लाख का प्रत्यर्पण, समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0102 नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण मूल 5,852.00 पुनर्वि० (-)5,542.93 ₹ 5,542.93 लाख का प्रत्यर्पण, समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई ।	309.07	309.07	0.00
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 लघु सिंचाई योजना मूल 3,826.61 पुनर्वि० (-)605.05 ₹ 605.05 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।	3,221.56	3,221.56	0.00

**अनुदान संख्या - 51 - समाज कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236 पोषण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	4,17,88,988	6,79,55,689	5,29,31,804 (-)1,50,23,885
अनुपूरक	2,61,66,701		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,44,64,300
25 जनवरी 2016	48,48,809		
31 मार्च 2016	96,15,491		

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	3,000	9,51,100	5,15,322	(-),4,35,778
अनुपूरक	9,48,100			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,07,938
(31 मार्च 2016)				

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

- ₹ 1,50,238.85 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2015 (₹ 55,876.69 लाख), दिसम्बर 2015 (₹ 0.02 लाख) तथा फरवरी 2016 (₹ 2,05,790.30 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,61,667.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,44,643.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,50,238.85 लाख) से ₹ 5,595.85 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02 समाज कल्याण			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन और प्रशासन	71.88	69.28	(-)2.60
मूल	112.51		
पुनर्वि०	(-)40.63		
₹ 40.63 लाख का प्रत्यर्पण, संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण (गैर-योजना)			
0001 नेत्रहीन विद्यालय	148.84	148.84	0.00
मूल	204.94		
पुनर्वि०	(-)56.10		
₹ 56.10 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0002 मूक एवं बधिर विद्यालय एवं कर्मशाला का संधारण	149.47	149.47	0.00
मूल	263.03		
पुनर्वि०	(-)113.56		
₹ 113.56 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0220 असहाय लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)500.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
102 बाल कल्याण (गैर-योजना)			
0001 परिवार और बाल कल्याण	50.00	16.41	(-)33.59
मूल	50.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0116 परवरिश	250.00	0.00	(-)250.00
मूल	250.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0222 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	32,913.67	32,487.81	(-)425.86
मूल	6,961.64		
अनुपूरक	52,215.27		
पुनर्वि०	(-)26,263.24		
₹ 26,263.24 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0223 एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आई०सी०पी०एस०)	2,687.89	1,124.00	(-)1,563.89
मूल	1,124.00		
अनुपूरक	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,436.11		
₹ 1,436.11 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0224 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला)	1,090.17	1,040.50	(-)49.67
अनुपूरक	8,325.50		
पुनर्वि०	(-)7,235.33		
₹ 7,235.33 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0322 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	33,905.36	33,799.34	(-)106.02
मूल	48,789.84		
अनुपूरक	1,433.64		
पुनर्वि०	(-)16,318.12		
₹ 16,318.12 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0323 एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आई०सी०पी०एस०)	500.00	501.68	(+)1.68
मूल	500.00		
अनुपूरक	500.00		
पुनर्वि०	(-)500.00		
₹ 500.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0324 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला)	544.72	533.14	(-)11.58
अनुपूरक	2,994.63		
पुनर्वि०	(-)2,449.91		
₹ 2,449.91 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
103 महिला कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0105 महिला विकास निगम-सहायक अनुदान	250.00	0.00	(-)250.00
मूल	250.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0109 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	1,955.08	1,888.58	(-)66.50
मूल	4,200.00		
पुनर्वि०	(-)2,244.92		
₹ 2,244.92 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0110 नारी शक्ति योजना	900.00	0.00	(-)900.00
मूल	100.00		
अनुपूरक	800.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0111 कन्या सुरक्षा योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	3,200.00		
पुनर्वि०	(-)3,200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0219 इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	2,961.46	2,961.46	0.00
मूल	3,438.00		
अनुपूरक	3,531.00		
पुनर्वि०	(-)4,007.54		
₹ 4,007.54 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0319 इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	1,407.38	1,407.38	0.00
अनुपूरक	2,090.70		
पुनर्वि०	(-)683.32		
₹ 683.32 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
104 वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण (गैर-योजना)			
0001 राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रम गृह	113.64	108.59	(-)5.05
मूल	198.24		
पुनर्वि०	(-)84.60		
₹ 84.60 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0104 बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	1,780.00	1,780.00	0.00
मूल	16,736.49		
पुनर्वि०	(-)14,956.49		
₹ 500.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 14,456.49 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
106 सुधारक सेवाएं (गैर-योजना)			
0001 प्रतिप्रेक्षण गृह	215.96	208.41	(-)7.55
मूल	595.27		
पुनर्वि०	(-)379.31		
₹ 80.33 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 298.98 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0106 बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	583.36	583.36	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)416.64		
₹ 24.29 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 392.35 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0103 आँगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	1,517.57	1,478.52	(-)39.05
मूल	1,779.14		
पुनर्वि०	(-)261.57		
₹ 261.57 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0107 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	682.46	660.83	(-)21.63
मूल	1,700.00		
पुनर्वि०	(-)1,017.54		
₹ 1,017.54 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0108 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	220.00	0.00	(-)220.00
मूल	20.00		
अनुपूरक	200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0109 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,340.00		
पुनर्वि०	(-)1,340.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
0312 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला)	142.05	139.41	(-)2.64
अनुपूरक	909.04		
पुनर्वि०	(-)766.99		
₹ 766.99 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0313 इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	469.12	345.16	(-)123.96
अनुपूरक	696.90		
पुनर्वि०	(-)227.78		
₹ 227.78 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0123 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	47.90	43.30	(-)4.60
मूल	153.00		
पुनर्वि०	(-)105.10		
₹ 105.10 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
(गैर-योजना)			
0001 वृद्धावस्था पेंशन	2,065.48	2,065.48	0.00
मूल	3,826.09		
अनुपूरक	0.30		
पुनर्वि०	(-)1,760.91		
₹ 1.05 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,759.86 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2236 पोषण			
02 पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101 विशेष पोषण कार्यक्रम			
योजना (राज्य योजना)			
0203 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	46,857.71	46,388.33	(-)469.38
मूल	52,875.36		
अनुपूरक	49,875.64		
पुनर्वि०	(-)55,893.29		
₹ 55,893.29 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			
2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय			
(गैर-योजना)			
0015 समाज कल्याण विभाग	351.42	351.42	0.00
मूल	400.03		
पुनर्वि०	(-)48.61		
₹ 48.61 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमांत

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	--------------------------

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 समाज कल्याण

106 सुधारक सेवाएं
(गैर-योजना)

0008 बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद	67.68	64.44	(-)3.24
---	-------	-------	---------

अनुपूरक 0.05

पुनर्वि० 67.63

प्रावधान में ₹ 67.63 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 80.33 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 12.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹ 4,357.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2016 में प्राप्त किया गया ₹ 9,481.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,079.38 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,357.78 लाख) से ₹ 278.40 लाख कम था।

(vii) बचत (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	--------------------------

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 समाज कल्याण

102 बाल कल्याण

योजना (राज्य योजना)

0106 पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

मूल 30.00

पुनर्वि० (-)30.00

सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

0208 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	3,544.80	3,266.40	(-)278.40
---	----------	----------	-----------

अनुपूरक 6,441.00

पुनर्वि० (-)2,896.20

₹ 2,896.20 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

0308 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	1,886.82	1,886.82	0.00
---	----------	----------	------

अनुपूरक 3,040.00

पुनर्वि० (-)1,153.18

₹ 1,153.18 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016)।

परिशिष्ट

वर्ष 2015-16 के लेखे में अनुमान तथा समायोजित वास्तविक वसूलियों का अनुदानवार विवरण
(पृष्ठ सं० xvi पर विनियोग लेखे के सारांश में संदर्भित)

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
1 कृषि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,98,874	(+) 5,98,874
पूँजी	0	802	(+) 802
2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	7,31,362	(+) 7,31,362
3 भवन निर्माण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	520	(+) 520
पूँजी	0	27,080	(-) 27,080
4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	474	(+) 474
5 राज्यपाल सचिवालय			
प्रभारित			
राजस्व	0	154	(-) 154
6 निर्वाचन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	11,504	(-) 11,504
8 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	15,977	(-) 15,977
9 सहकारिता विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	18,722	(-) 18,722
पूँजी	0	40,889	(-) 40,889

परिशिष्ट - क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,80,921	(+) 2,80,921
12 वित्त विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	13,738	(-) 13,738
13 सूद भुगतान			
प्रभारित			
राजस्व	100	0	(-) 100
15 पेंशन			
दत्तमत			
राजस्व	0	(-)1,99,005	(-) 1,99,005
16 पंचायती राज विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,79,306	(+) 3,79,306
17 वाणिज्य-कर विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	15	(+) 15
18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,254	(+) 2254
19 पर्यावरण एवं वन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	757	(+) 757
20 स्वास्थ्य विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	56,521	(-) 56,521
पूँजी	0	27,234	() 27,234

परिशिष्ट - क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
21 शिक्षा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	41,70,818	(+) 41,70,818
पूँजी	0	3,801	(+) 3,801
22 गृह विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	59,325	(-) 59,325
पूँजी	0	86,111	(-) 86,111
23 उद्योग विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,66,076	(+) 1,66,076
पूँजी	0	9,882	(+) 9,882
24 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	104	(+) 104
पूँजी	0	471	(+) 471
25 सूचना प्रावैधिकी विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	10,380	(+) 10,380
26 श्रम संसाधान विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,322	(+) 3,322
27 विधि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	485	(+) 485
30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	44,341	(-) 44,341
पूँजी	0	53,892	(-) 53,892

परिशिष्ट - क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
32 विधानमंडल दत्तमत			
राजस्व	0	206	(+) 206
33 सामान्य प्रशासनिक विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	31,000	(-) 31,000
35 योजना एवं विकास विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	4,41,560	(+) 4,41,560
पूँजी	0	89,542	(-) 89,542
36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	88	(+) 88
पूँजी	0	3,172	(+) 3,172
37 ग्रामीण कार्य विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	61	(+) 61
पूँजी	0	23,880	(-) 23,880
38 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	694	(+) 694
39 आपदा प्रबंधन विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	6,67,012	(+) 6,67,012
40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	64,943	(-) 64,943
पूँजी	0	6,995	(+) 6,995

परिशिष्ट - क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
41 पथ निर्माण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	335	(+) 335
पूँजी	0	3,62,453	(+) 3,62,453
42 ग्रामीण विकास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	84,820	(-) 84,820
43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	35,897	(-) 35,897
44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,01,374	(+) 5,01,374
45 गन्ना उद्योग विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	7	(+) 7
46 पर्यटन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	535	(+) 535
पूँजी	0	39,715	(-) 39,715
47 परिवहन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	18	(+) 18
48 नगर विकास एवं आवास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	4,47,416	(+) 4,47,416

परिशिष्ट - क्रमांत

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
49 जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	7,379	(+) 7,379
पूँजी	0	19,199	(-) 19,199
50 लघु जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	80	(+) 80
पूँजी	0	463	(+) 463
51 समाज कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,56,953	(+) 2,56,953
पूँजी	0	4,437	(+) 4,437
योग			
दत्तमत			
राजस्व	0	89,07,169	(+) 89,07,169
पूँजी	0	8,00,018	(+) 8,00,018
प्रभारित			
राजस्व	100	154	(+) 54
पूँजी	0	0	0
कुल योग	100	97,07,341	(+) 97,07,241

टीका एवं टिप्पणियाँ -

उपर्युक्त मामलों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2016) ।

